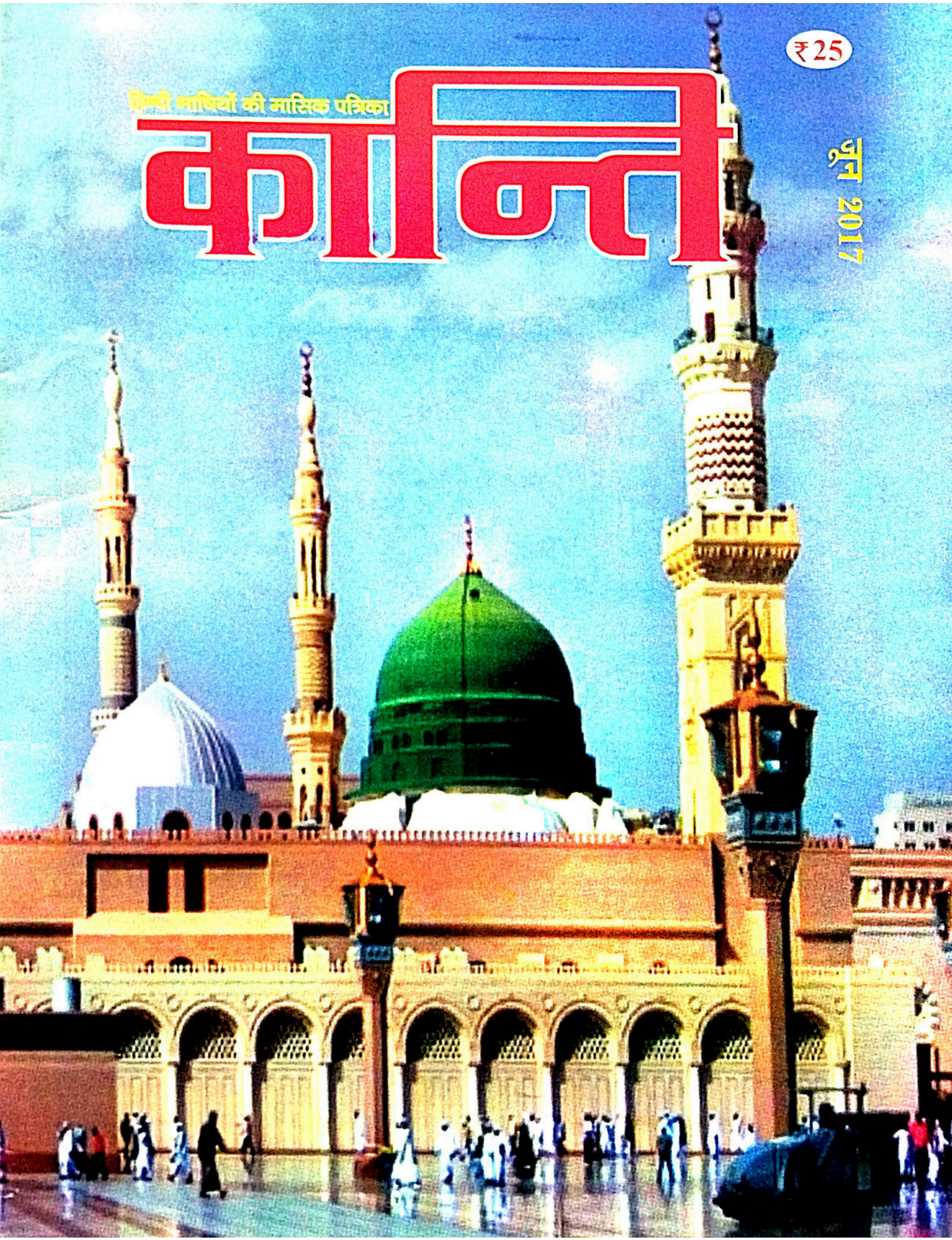
₹25
हिन्दी भाषियों की मासिक पत्रिका
क्रान्ति
मई 2017



Aman's Group

Shop No.3- 4, Ground Floor, Karma Empress Bldg., Near K.T.C Bus Stand, Vasco-da-Gama, Goa.

Ph: 0832 2500823 / 2514134 Cell: 9326127351 / 9823577351

Sales: 9637888409 Email: amanbuilders4u@gmail.com

आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब

हिन्दी भाषियों की मासिक पत्रिका

कान्ति

वर्ष 26 अंक 12 जून 2017

रमज़ान का महीना जिसमें क़ुरआन उतारा गया जो मानवों के लिए सर्वथा मार्गदर्शन है और ऐसी स्पष्ट शिक्षाओं पर आधारित है जो सीधा मार्ग दिखाने वाली और सत्य और असत्य का अन्तर खोल कर रख देने वाली हैं। –क़ुरआन

संपादक

डॉ० मुहम्मद अहमद

अपने विचार, लेख, रचनाएं भेजने एवं संपादकीय मामलों के लिए लिखें–

संपादक, 'कान्ति' मासिक

डी-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव

जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025

ई मेल editorkanti@yahoo.com

* * *

ख़रीदार बनने, एजेंसी लेने, प्रचार-प्रसार एवं प्रबंधकीय मामलों के लिए लिखें–

प्रबंधक, 'कान्ति' मासिक

डी-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव

जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025

* * *

फ़ोन संपादकीय एवं प्रबंधकीय

011-26949430, 09818799223

सहयोग राशि

एक प्रति रु० 25/- विशेषांक रु० 50/-

वार्षिक रु० 270/-, दो वर्ष 500/-

पांच वर्ष 1100/-, आजीवन रु० 6000/-

सऊदी अरब और खाड़ी के देशों से–110 रियाल

यूरोप व अमेरिका से–40 US डॉलर

वेब : **www.kanti.in**

चेक / ड्राफ्ट **'मासिक कान्ति'** के नाम से बनवाएं

नअत

क्या बताए कोई मर्तबा[1] आपका
मद्हख़्वां[2] है ख़ुदा, मुस्तफ़ा आपका

फ़तहे-मक्का[3] भी इक मोजिज़ा[4] आपका
कुफ़्र मुंह देखता रह गया आपका

रहबरी[5] है तो बस रहबरी आपकी
रास्ता है तो बस रास्ता आपका

उम्मते-मुसलिमा[6] कुछ मक़ामी[7] नहीं
कायनाती[8] है ये दायरा आपका

आपको क़त्ल करने जो आया था वो
आपको देखकर हो गया आपका

आज की उलझनों में फंसी ज़िन्दगी
पूछती फिर रही है पता आपका

देख लो मुंह के बल गिर पड़ा वो निज़ाम[9]
जो उड़ाता रहा मुज़हका[10] आपका

एक लम्हा न ठहरेंगे झूटे नबी
नाम तो लीजिएगा ज़रा आपका

आपकी नुक्तासंजी[11] से ऐसा लगा
मस्अले[12] मानते हैं कहा आपका

इक कसक इक तड़प मांगता है 'हफ़ीज़'
दे के अल्लाह को वास्ता आपका।

1. दर्जा 2. प्रशंसक 3. मक्का-विजय 4. चमत्कार 5. नेतृत्व, रहनुमाई 6. मुस्लिम समुदाय 7. स्थानीय 8. विश्वव्यापी 9. जीवन-व्यवस्था 10. खिल्ली, उपहास, हंसी 11. किसी चीज़ के मर्म और बारीकियों को समझना 12. समस्याएं।

● **हफ़ीज़ मेरठी**



कहां क्या है ?

नअत	–हफ़ीज़ मेरठी	3
क़ुरआन ज्योति		5
दुनिया के प्रति उदासीनता (हदीस मंजरी)		6
रमज़ान : उच्च गुणों को निखारने का मास (संपादकीय)		7
सरकारी कार्यालय परिसर में धार्मिक आयोजन अनुचित (आपके पत्र)		8
क़ुरआन मजीद की विशेषताएं (आस्था)	–सैयद मुनव्वर हुसैन	9
क़ुरआन के ईश्वरीय पुस्तक होने का प्रमाण	–श्याम नारायण चौहान	11
ग़ज़ल	–मुहम्मद क़ासिम ख़ान 'तालिब'	12
सदाचरण के पुरोधा हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰)	–डॉ॰ मुहम्मद अहमद	13
हज़रत फ़ातिमा (रज़ि॰) (नेकी के सिपाही)	–संपादन प्रभाग	17
बच्चों को ज़िम्मेदारी का एहसास कराएं (महिला जगत)		
	–आशीष कुमार कटियार	21
विवाह का इस्लामी दृष्टिकोण	–अज़हर शमीम	23
रमज़ान : एक प्रशिक्षण मास (विशेष आयोजन)	–संपादन प्रभाग	26
ग़रीबी उन्मूलन और ज़कात	–संपादन प्रभाग	30
आवश्यकता से अधिक माल पर ज़कात वाजिब	–डॉ॰ रज़ीउल इस्लाम नदवी	32
अपना ख़ून (कहानी)	–रोहित यादव	33
दोहे	–डॉ॰ स्वामी श्यामानंद सरस्वती	34
कैसे रुकेगी भोजन की बर्बादी ? (ज्वलंत सामयिक)		
	–रमेश सर्राफ़ धमोरा	37
स्वास्थ्य नीति की कठिन राह (स्वास्थ्य चर्चा)	–रोहित कौशिक	39
इस्लामी सभ्यता (साहित्यिकी)	–मुंशी प्रेमचंद	41
समाज-सेवा का महत्व (प्रेरणा)	–डॉ॰ ज़फ़र दारिक क़ासिमी	45
भारत-तुर्की संबंधों में नया आयाम (देशान्तर)	–संपादन प्रभाग	48
स्टॉर्क परिवार के पक्षी (बालवीथी)	–मनोज कुमार	49

कुरआन ज्योति

(28) जिस दिन हम उन सबको एक साथ (अपनी अदालत में) इकट्ठा करेंगे, फिर उन लोगों से जिन्होंने शिर्क किया है, कहेंगे कि ठहर जाओ तुम भी और तुम्हारे बनाए हुए शरीक भी, फिर हम उनके बीच से अजनबियत का परदा हटा देंगे[36] और उनके शरीक कहेंगे कि "तुम हमारी बन्दगी तो नहीं करते थे। (29) हमारे और तुम्हारे बीच अल्लाह की गवाही काफ़ी है कि (तुम अगर हमारी बन्दगी करते भी थे तो) हम तुम्हारी उस बन्दगी से बिल्कुल बेख़बर थे।"[37] (30) उस समय हर व्यक्ति अपने किये का मज़ा चख लेगा, सब अपने सच्चे मालिक की ओर फेर दिए जाएंगे और वे सारे झूठ जो उन्होंने गढ़ रखे थे, गुम हो जाएंगे।

(31) इनसे पूछो, कौन तुम्हें आसमान और ज़मीन से रोज़ी देता है ? यह सुनने और देखने की शक्तियां किसके वश में हैं ? कौन बेजान में से जानदार को और जानदार में से बेजान को निकालता है ? कौन इस जगत की व्यवस्था का उपाय कर रहा है ? वे ज़रूर कहेंगे कि अल्लाह ! कहो, फिर तुम (वास्तविकता के विरुद्ध चलने से) परहेज़ नहीं करते ? –क़ुरआन, 10 : 28,31

---

36. मूल अरबी में 'फ़-ज़य्यलना बैनहुम' वाक्य प्रयुक्त हुआ है। इसका अर्थ कुछ टीकाकारों ने यह लिया है कि हम इनका आपसी संबंध व संपर्क तोड़ देंगे, ताकि किसी संबंध के आधार पर वे एक-दूसरे का ध्यान न करें। लेकिन यह अर्थ अरबी मुहावरे के अनुसार नहीं है। अरब के मुहावरे के अनुसार इसका सही अर्थ यह है कि हम उनके बीच अन्तर पैदा कर देंगे या उनका एक-दूसरे से अलग पहचनवाएंगे। इसी अर्थ को बताने के लिए हमने यह शैली अपनाई है कि "इनके बीच से परायेपन का परदा हटा देंगे।" अर्थात मुशरिक और उनके उपास्य आमने-सामने खड़े होंगे और दोनों गिरोहों की पहचान वाली हैसियत एक-दूसरे पर खुल जाएगी, मुशरिक जान लेंगे कि ये हैं वे जिन्हें हम दुनिया में उपास्य बनाए हुए थे और उनके उपास्य जान लेंगे कि ये हैं वे जिन्होंने हमें अपना उपास्य बना रखा था।

37. अर्थात् वे तमाम फ़रिश्ते जिनको दुनिया में देवी और देवता बनाकर पूजा गया और वे तमाम जिन्न, रूहें पुरखे, बाप-दादा, नबी, वली, शहीद आदि जिन्हें ईश्वरीय गुणों में शरीक ठहराकर वे अधिकार उन्हें दिये गये जो वास्तव में अल्लाह के अधिकार थे, वहां अपने पुजारियों से साफ़ कह देंगे कि हमें तो ख़बर तक न थी कि तुम हमारी बन्दगी कर रहे हो। तुम्हारी कोई दुआ, कोई विनती, कोई पुकार और फ़रियाद, कोई नज़्र व नियाज़, कोई चढ़ावे की चीज़, कोई प्रशंसा और हमारे नाम की जाप और तुम्हारा हमें सजदा करना, हमारे आस्ताने को चूमना और दरगाहों का चक्कर लगाना हम तक नहीं पहुंचा।

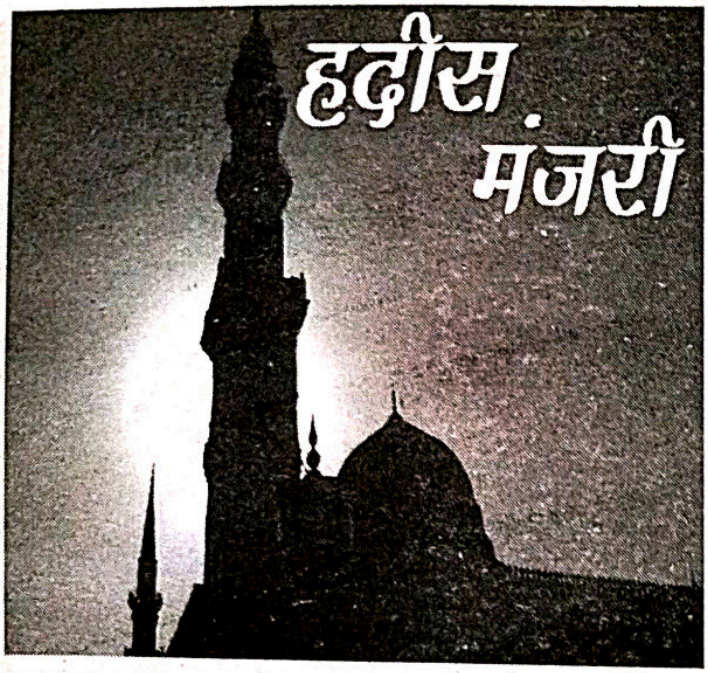

दुनिया के प्रति उदासीनता और थोड़े पर संतोष

● हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि॰) कहते हैं कि अल्लाह की क़सम, जिसके सिवा कोई पूज्य नहीं, मैं भूख के कारण अपना पेट ज़मीन से लगा देता था और भूख के कारण पेट पर पत्थर बांधा करता था। एक दिन मैं उस रास्ते पर बैठ गया जिससे लोग गुज़रते थे। नबी (सल्ल॰) मेरे पास से गुज़रे तो मुझे देखकर मुस्करा दिये और मेरे चेहरे को देखकर मेरी हालत समझ गये, फिर कहा : "ऐ अबू हुरैरा।" मैंने कहा : हाज़िर हूं मैं ऐ अल्लाह के रसूल। आपने कहा : "मेरे साथ चलो।" आप चल पड़े और मैं भी आपके पीछे-पीछे चल पड़ा। आप इजाज़त लेकर घर में गये और फिर मुझे भी इजाज़त दी और मैं भी अन्दर गया। आपने एक प्याले में दूध देखा, तो (घर वालों से) पूछा : " यह दूध कहां से आया है ?" उन्होंने कहा : फलां पुरुष या स्त्री ने आपके लिए भेंट किया है। आपने कहा : "ऐ अबू हुरैरा।" मैंने कहा : मैं हाज़िर हूं ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल॰)। आपने कहा : "जाओ सुफ़्फ़ह वालों को बुला लाओ।" हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं : सुफ़्फ़ह वाले इस्लाम के अतिथि थे, न उनका घर था और न उनके पास माल था और न वे किसी का सहारा लेते थे। नबी (सल्ल॰) के पास सदक़ा की चीज़ आती, तो आप उसे उनकी तरफ़ भेज देते और उसमें से स्वयं कुछ नहीं लेते थे। और जब आपके पास भेंट की चीज़ आती, तो उनको बुला लेते और स्वयं भी इस्तेमाल करते थे और उनको भी उसमें शरीक करते। मुझे यह बात नागवार गुज़री और मैंने (जी में) कहा : सुफ़्फ़ह वालों का इससे क्या बनेगा। मैं इसका ज़्यादा हक़दार था कि इस दूध में से कुछ पीता और कुछ ताक़त हासिल करता। जब वे आ जाएंगे, तो आप मुझी को हुक्म देंगे कि सुफ़्फ़ह वालों को पेश करूं। इस तरह तो इसकी आशा है कि मुझ तक इस दूध में से कुछ न पहुंच सके। और अल्लाह और उसके रसूल (सल्ल॰) के आज्ञापालन के अतिरिक्त कोई चारा भी नहीं है। मैं सुफ़्फ़ह वालों के पास गया और उन्हें बुला लाया। वे आये और आपसे इजाज़त मांगी। आपने इजाज़त दी और वे अपनी-अपनी जगह बैठ गये। आपने कहा : "ऐ अबू हुरैरा।" मैंने कहा : हाज़िर हूं मैं ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल॰)। आपने कहा : "प्याला पकड़ो और उनको दो।" हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि॰) कहते हैं कि मैंने प्याला लिया। मैं उसे एक व्यक्ति को देता और वह पीता यहां तक कि तृप्त हो जाता। फिर वह प्याला मुझे लौटाता और मैं इसे दूसरे को देता। वह तृप्त होकर फिर प्याला मुझे लौटा देता। अंततः मैं नबी (सल्ल॰) तक पहुंचा और सभी लोग तृप्त हो चुके थे। आपने प्याला लिया और उसे अपने हाथ पर रखा। फिर मेरी तरफ़ देखकर मुस्कराये। और कहा : "अबू हुरैरा।" मैंने कहा : हाज़िर हूं मैं ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल॰)। आपने कहा : "अब मैं और तुम बाक़ी रह गये हैं। मैंने कहा : ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) आपने सच कहा। आपने कहा : "बैठो और पियो।" मैं बैठ गया और पीने लगा। आपने कहा : "पियो।" मैंने पिया। आप बराबर यही कहते रहे ? "पियो।" यहां तक कि मैंने कहा : उसकी क़सम जिसने आपको सत्य के साथ भेजा। अब मैं इसके लिए कोई गुंजाइश नहीं पाता। आपने कहा : "अच्छा तो मेरे समक्ष लाओ।" मैंने आपको प्याला दे दिया आपने अल्लाह तआला की प्रशंसा की और अल्लाह का नाम लेकर (बिस्मिल्लाह पढ़कर) बचा हुआ दूध पी लिया। –बुख़ारी

(रियाज़ुस्सालिहीन' से)

इस्लाम-परिचय : हिन्दी वेबसाइटें

www.islamdharma.org
www.islamic videos.com
www.islamicwebdunia.com
www.quranhindi.com

रमज़ान : उच्च गुणों को निखारने का मास

अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने रमज़ान के महीने को 'शहरुल मुआसात' कहा है, जिसका अर्थ है सहायता, सहानुभूति और ग़मख़्वारी व सहनशीलता का महीना । यह इन्सानों, अपने भाइयों और बहनों के साथ हमदर्दी और ग़मख़्वारी का महीना है, विशेष रूप से यह आजीविका के दायरे में एक दूसरे की तंगियों, महरूमियों, परेशानियों और विपत्तियों में शामिल होने एवं उनकी सहायता व सेवा करने का महीना है । इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि केवल इसी महीने ये पुण्य कार्य किये जाएं, बल्कि यह वह प्रशिक्षण मास है, जिसमें प्रशिक्षण प्राप्त कर इन्सान वर्ष के शेष 11 महीनों में भलाई और कल्याण के कार्य करता रहता है । फिर वर्ष में एक बार रमज़ान के महीने में भलाई और कल्याण की ओर अग्रसर रहने का प्रशिक्षण प्राप्त करता है । इस प्रकार यह व्यवस्था अनुपम, पावन और कल्याणकारी बन जाती है । रोज़ेदार की अपनी भूख-प्यास जहां उसमें तक़्वा (ईशपरायणता), आत्म नियंत्रण, अल्लाह के आज्ञापालन और धैर्य के गुण पैदा करने का ज़रिया बन सकती है, वहीं रोज़ेदार को इन्सानों पर भूख-प्यास और दुख-दर्द में जो कुछ बीतती है, उसका आस्वादन कराती है । निजी अनुभव और एहसास से उसके भीतर सहानुभूति और सहायता की बड़ी मज़बूत और जीवंत भावना पैदा हो जाती है । मानव-प्रेम, दयालुता, दयाशीलता, निर्धनों एवं दरिद्र जनों की सहायता, जनसेवा, मानव-भ्रातृत्व व प्रेम-व्यवहार आदि उच्च मानवीय मूल्यों की जो सामान्य शिक्षा इस्लाम अपने अनुयायियों को जीवन में बरतने के लिए दी है, उसे व्यवहार में लाने के लिए रमज़ान के महीने में विशेष बल दिया गया है । नेकी, भलाई और ईशपरायणता का दायरा बहुत विस्तृत है । इनकी अगणित शाखाएं हैं । खाना खिलाना, रोगियों की चिकित्सा, उनकी सेवा-टहल, अनाथों और विधवाओं की ख़बरगीरी, मुहताजों और फ़क़ीरों की उचित आवश्यकताएं पूरी करना और उनकी सहायता करना आदि ये सब इसी विस्तृत सीमा के कुछ क्षेत्र हैं । इस सेवा के पात्र सब हैं । आपके घर-परिवार वाले और निकट संबंधी भी, अपने दीनी भाई और मित्र भी, आपके पड़ोसी भी और आम मुसलमान एवं इन्सान भी ।

सहानुभूति के इस सार्वभौम कार्य की ओर निरंतर ध्यान दिलाने और इसे करते रहने के लिए हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने रोज़ेदार को इफ़्तार कराने की बड़ी प्रेरणा दी है । आपने कहा, "जो व्यक्ति इस महीने में किसी रोज़ेदार को इफ़्तार कराए तो उसके लिए गुनाहों से मुक्ति और दोज़ख़ (नरक) की आग से रिहाई है । उसको उतना की सवाब (पुण्य) मिलेगा जितना रोज़ेदार को, और इससे रोज़ेदार के सवाब में कोई कमी नहीं आएगी ।" सहाबा (रज़ि०) ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल०) हममें सबके पास तो इतना सामान नहीं होता कि रोज़ेदार को इफ़्तार कराएं ? आपने कहा, "अल्लाह तआला यह सवाब उसको भी प्रदान करता है जो एक घूंट दूध, एक खजूर या पानी के एक घूंट से किसी रोज़ेदार को इफ़्तार कराए ।" (फिर कहा) "जो किसी रोज़ेदार को पेट भरकर खाना खिलाए तो अल्लाह तआला उसको अपने हौज़ से इतना तृप्त करेगा कि फिर उसे कभी प्यास न लगेगी यहां तक कि वह जन्नत में दाख़िल हो जाए" (बैहक़ी)।

(शेष पृष्ठ 10 पर)

सरकारी कार्यालय परिसरों में धार्मिक आयोजन अनुचित

किसी भी लोकतांत्रिक देश में प्रत्येक व्यक्ति को जाति-पाति, धर्म-संप्रदाय, ऊंच-नीच तथा छुआछूत की संकीर्ण भावना से ऊपर उठकर रचनात्मक कार्य करने का समानाधिकार प्राप्त होता है । देश के प्रत्येक नागरिक को अपनी-अपनी अलग-अलग भावगत आस्था के अनुसार ईश्वरोपासना तथा धर्माचरण की पूर्ण स्वतंत्रता रहती है । हमारे मुल्क की सरज़मीं पर हिन्दू, मुसलमान, बौद्ध, जैन, पारसी, सिख तथा क्रिश्चियन सहित विभिन्न धार्मिक मतमतांतर के अनुयायी शताब्दियों से परस्पर मिल-जुलकर सहिष्णुतापूर्वक न केवल निवास करते चले आ रहे हैं, बल्कि एक-दूसरे के विभिन्न धार्मिक तथा सांस्कृतिक आयोजनों में प्रीतिपूर्वक सम्मिलित होकर देश की सहिष्णु समन्वयशील परंपरा का संवर्द्धन तथा लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण भी करते आ रहे हैं ।

एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं तथा धार्मिक प्रतीकों का सम्मान करना अच्छी बात है तथा राष्ट्रीय एकता और अखंडता की दृष्टि से यह शुभ है मगर समस्या तब उत्पन्न होती है जब अपनी धार्मिक मान्यताओं तथा आस्था को दूसरों पर थोपने का प्रयास किया जाने लगता है ।

प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक ने ऐसे बहुतेरे सरकारी कार्यालयों तथा शिक्षण संस्थाओं को देखा है जिनके परिसर में विभिन्न देवी-देवताओं के मंदिर तथा उपासनालय विद्यमान हैं । समाज में ऐसे थानों, कोतवालियों, पुलिस चौकियों, ज़िला कारागार तथा पुलिस लाइन की संख्या कम नहीं है जहां प्रतिवर्ष भाद्रपद मास की कृष्णपक्षीय अष्टमी तिथि को भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी उनकी लीलाओं पर आधारित लीलाओं की झांकी सजाकर अनेकानेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ हर्षोल्लासपूर्वक मनायी जाती है ।

रेलवे वर्कशापों और राज्य सड़क परिवहन निगम के कारख़ानों में वार्षिक काल क्रमानुसार प्रत्येक वर्ष 17 सितम्बर को श्रम और शिल्प के आराध्य देवता भगवान विश्वकर्मा का पूजनोत्सव सोल्लास मनाया जाता है । इस मौक़े पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है तथा भगवान विश्वकर्मा की जयकार और भक्ति भावपूर्ण गीतों के प्रसारण से पूजन पंडाल गूंज उठता है ।

सवाल है कि जिन सरकारी कार्यालयों में विभिन्न धर्मावलंबी अलग-अलग पदों पर एक साथ मिलकर काम करते हैं, वहां इस प्रकार का धार्मिक कार्यक्रम उचित है क्या? कार्यालय में काम करने वाले 20 कर्मचारियों की आस्था अपने मज़हब में है तथा वे अपने धर्मानुसार कार्यालय परिसर में किसी प्रकार का आयोजन करते हैं जबकि उसी दफ़्तर में कार्य करने वाले तीन-चार कर्मचारियों की आस्था ऐसे दूसरे मज़हब में है जिसमें बुतपरस्ती की इजाज़त नहीं है ।

इस स्थिति में उनके समक्ष समस्या उत्पन्न हो जाती है । यदि वे कार्यालय परिसर में सम्मिलित होकर भागीदारी करते हैं तो यह उनकी धार्मिक मान्यता तथा विश्वास के विरुद्ध होगा और यदि वे कार्यक्रम में शामिलो-शरीक नहीं होते हैं तो उन पर असहयोगात्मक रुख़ अपनाने और ग़द्दार होने जैसे निराधार मनगढ़ंत आरोप लगाये जाने लगते हैं ।

धर्म का संबंध व्यक्ति की निजी तथा पारिवारिक ज़िन्दगी से है । यदि एक ही धर्म संप्रदाय से ताल्लुक़ रखने वाले लोग सामूहिक रूप से किसी प्रकार का धार्मिक उत्सव आयोजित करते हैं तो इसमें किसी को ऐतिराज़ और शिकायत क्यों हो मगर जहां विभिन्न धार्मिक आस्था से जुड़े अनेक लोग एक साथ कार्यशील हो वहां न एक धर्म संप्रदाय विशेष से संबंधित कार्यक्रम होना चाहिए और न ही ऐसे कार्यालय परिसर में एक धर्म से संबंधित आराधनालय की स्थापना की जानी चाहिए ।

विद्या प्रकाश
सिपाह, जौनपुर (उ०प्र०)

क़ुरआन मजीद की विशेषताएं

■ सैयद मुनव्वर हुसैन

अल्लाह का कलाम पवित्र क़ुरआन मजीद एक ऐसा मोजिज़ा (चमत्कार) था, जिसका तोड़ किसी के पास न था। न उसका कोई जोड़ था और न ही उसका मुक़ाबला करना किसी के बस की बात थी। इसकी कोई बात भी ऐसी न थी, जिस पर पकड़ की जा सके। यह ज़ुबानों को मूक कर देने वाला और चेहरों की रंगत उड़ा देने वाला कलाम था। यह बार-बार अपने मुख़ातिबीन और इन्कार करने वालों को चैलेंज करता था और उसके चैलेंज का किसी के पास कोई उत्तर न था।

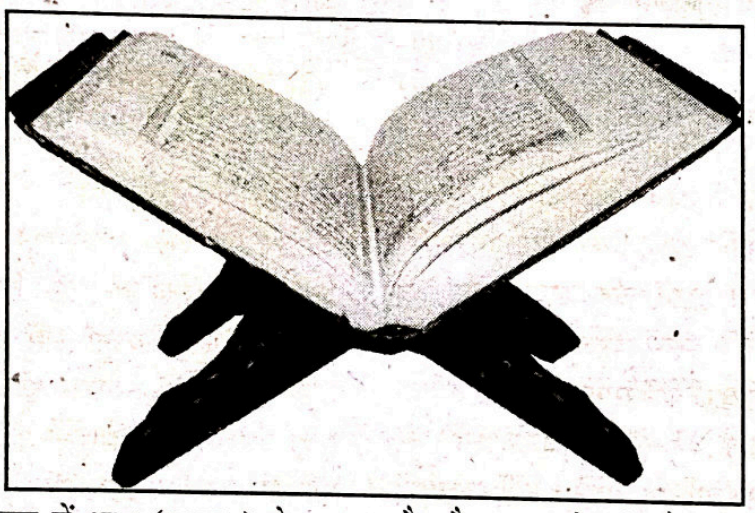

आज तक विश्व में किसी ने इतना बड़ा दावा नहीं किया, जितना बड़ा दावा आप (सल्ल॰) का था कि आप रहमतुल्लिल आलमीन (सारे संसार के लिए रहमत) हैं, अंतिम नबी हैं और आप सारी दुनिया के लिए पथप्रदर्शक बनाकर भेजे गये हैं। अपने इस महान दावे के प्रमाण में आप (सल्ल॰) ने एक किताब पेश कर दी और उस किताब ने सारी दुनिया को चैलेंज कर दिया। इस किताब के सामने आज तक किसी को बोलने का साहस न हुआ।

यह वह किताब है जिसने ज़मीन के हर भू-भाग व क्षेत्र तक अपने क़ानून व नियम पहुंचाए और जिसने रंग-रूप, भेष-भूषा, जाति-पात, ऊंच-नीच, छूतछात से हटकर सारी दुनिया क़ो अपना फ़ैज़ पहुंचाया। इस किताब की यह विशेषता है कि यह समस्त ईश्वरीय धर्मों की पवित्र शिक्षाओं की पुष्टि करती है और उनको अच्छे ढंग से पेश करती है।

क़ुरआन मजीद ही एक ऐसी किताब है, जो अपने कलाम की शुरुआत इस दावे से कर सकती है कि इसका एक-एक शब्द संदेह से परे है और इसको वह सर्वोच्च विशिष्टता प्राप्त है, जो दुनिया की दूसरी किताबों को प्राप्त नहीं है। यह क़ुरआन मजीद की ही विशेषता है कि उसकी वर्णनशैली बहुत ही सभ्य, पवित्र और युक्तिपूर्ण है। इसमें कोई एक शब्द भी सभ्यता के दायरे से बाहर और शर्मोहया के तक़ाज़ों के प्रतिकूल नहीं है और इसने मानव-जीवन के विभिन्न पहलुओं पर बहस की है। अल्लाह तआला क़ुरआन में फ़रमाता है–

"ऐ रसूल (सल्ल॰) सबको कह दीजिए कि अगर इन्सान और जिन्न सबके सब मिलकर इस क़ुरआन जैसी कोई चीज़ लाने की कोशिश करें तो न ला सकेंगे, चाहे वे सब एक-दूसरे के सहायक ही क्यों न हों।"

(क़ुरआन, 17:88)

पवित्र क़ुरआन का यह दावा सदियों से क़ायम है और इस दावे की मौजूदगी में इस्लाम के विरोधी चाहे कितना ही ज़ोर लगा लें, वे क़ुरआन के सामने बेबस हैं। एक इन्सान जिसने कोई शिक्षा प्राप्त न की और उन्हीं के मध्य पला-बढ़ा और उनको ऐसा चैलेंज दे रहा है कि कौन है जो उनके इस चैलेंज को असत्य साबित कर सके। आज दुनिया प्रगति करके शिक्षा और साहित्य के तारे तोड़ लायी है, ज्ञान-विज्ञान व शिक्षाओं की यूनीवर्सिटियां खोल दी गयी हैं और आंज भी यह चैलेंज उसी तरह सारी दुनिया वालों के सामने है।

वास्तविकता यह है कि जो व्यक्ति इस भाषा में जो क़ुरआन मजीद की भाषा है, जितनी ज़्यादा महारत रखता है, उतनी ही वह अच्छी तरह जानता है कि इस चैलेंज का कोई

उत्तर संभव नहीं है ।

क़ुरआन मजीद ने ज़िन्दगी के बारे में जो नियम व सिद्धांत बयान किये हैं और क़ौमों के उत्थान-पत्न की जो हिकमतें व दलीलें बतायी हैं, यद्यपि आज का दौर ज्ञान-विज्ञान में उन्नति करके कहीं से कहीं चला गया है, लेकिन आज भी क़ुरआन के उन सिद्धांतों में कोई सिद्धांत भी न पुराना हुआ है और न ही उसका खंडन करना संभव है । इसमें असत्य व झूठ का कोई हस्तक्षेप नहीं है । ज़माने की उन्नति व प्रगति न इसमें किसी चीज़ को कम साबित करती है न ज़्यादा । यह एक परिपूर्ण, वृहद और असंशोधनीय ईश्वरीय किताब है । अल्लाह तआला फ़रमाता है–

''ये वे लोग हैं जिनके सामने नसीहत भरी वाणी आयी तो इन्होंने उसे मानने से इन्कार कर दिया । मगर वास्तविकता यह है कि यह एक ज़बरदस्त किताब है, असत्य न सामने से इस पर आ सकता है न पीछे से, यह एक तत्वदर्शी और प्रशंसित (ईश्वर) की उतारी हुई चीज़ है ।''

(क़ुरआन, 41:41,42)

क़ुरआन मजीद का मुक़ाबला मुश्किल है, न उसकी मधुरता का, न साहित्य का, न धाराप्रवाह व मौज़ूनियत का, न तिलावत और मृदुलता का, न हरकत और तहरीक का, न रौब-दबदबा और महानता का । इसमें पत्थर दिल वालों को पिघला देने की शक्ति है । इसमें चेतनाशून्य लोगों को झिंझोड़ डालने की योग्यता है । इसमें ज़ालिमों को मोम कर देने की हरारत है । इसमें बेसमझों को समझा देने का तरीक़ा है, इसमें अज्ञानियों को ज्ञान देने, इसमें विवेकहीनों को विवेक प्रदान करने और संज्ञाहीनों को आगाह और सावधान करने की ताक़त है । इसमें ताक़तवरों को डरा देने की, बुज़दिलों को बहादुर बना देने की और बलवानों को झुका देने की शक्ति है । इसकी यही प्रभावशीलता थी, जिससे बड़े-बड़े मज़बूत दिलवाले भय खाते थे । कानों में रूई ठूंस लेते थे, ताकि यह पवित्र क़ुरआन उनको फ़तह न करे और जब इसे बादशाहों के दरबार में पढ़ा जाता था तो दरबारियों में सन्नाटा और आंखों से आंसू छलक पड़ते थे ।

हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ि॰) ने मुसलमान होने के बाद अपने क़ुरआन करीम सुनने का एक तास्सुर कुछ ऐसा ही बयान किया है, वे कहते हैं–

''मैं एक रोज़ घर से निकला । आप (सल्ल॰) काबा में दाख़िला हो चुके थे । मैं पहुंचा तो आप नमाज़ में सूरह अल-हाक़्क़ा पढ़ रहे थे । मैं आप (सल्ल॰) के पीछे खड़ा हो गया और क़ुरआन पाक सुनने लगा । मैं क़ुरआन मजीद की शान और बयान करने के अंदाज़ पर ही आश्चर्यचकित हो रहा था कि अचानक मेरे दिल में यह विचार आया कि यह व्यक्ति ज़रूर शायर है, जो अक्सर क़ुरैश कहते हैं । फ़ौरन ही आपकी मुबारक ज़ुबान से यह अल्फ़ाज़ अदा हुआ–''यह एक प्रतिष्ठित रसूल का कथन है, किसी कवि का कथन नहीं है ।'' मैंने दिल में कहा, शायर नहीं तो काहिन है ।

उसी वक़्त आप (सल्ल॰) के मुबारक ज़ुबान से ये शब्द निकले, ''और न यह किसी काहिन का कथन है, तुम लोग थोड़ा ही विचार करते हो । यह सारी दुनिया के रब की ओर से अवतरित हुआ है ।''

यह सुनकर इस्लाम मेरे दिल में गहरा उतर गया । हज़रत उमर (रज़ि॰) का ईमान लाना भी क़ुरआन मजीद के प्रभाव का ही मौजिज़ा है ।

रमज़ान : उच्च गुणों को निखारने का मास

(पृष्ठ 7 का शेष)

इसलिए इस महीने में विशेष रूप से इसका प्रबंध कीजिए कि आप अपने भाई-बहनों और दूसरे इन्सानों के काम आएं, भूखों को खाना खिलाएं, ज़रूरतमंदों की ज़रूरतें पूरी करें, मांगने वालों और वंचितों को अपने माल में से उनका हक़ दें । संपन्न, धनवान और खुशहाल लोगों को रोज़ा रखकर उस अवस्था का व्यावहारिक अनुभव होता है कि निर्धन, दरिद्र और जीविका-सामग्री से वंचित लोगों को भूख किस तरह सताती होगी । इस अनुभूति से सम्पन्न वर्ग के हृदय वंचित वर्ग के प्रति कोमल, दयापूर्ण और कृपाशील बनते हैं । रमज़ान के महीने में दानशीलता, अच्छे कामों और ज़्यादा नेकियों का महत्व बढ़ा हुआ है । अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) लोगों में सबसे बढ़कर दानशील थे और रमज़ान में जबकि आप जिबरील (अलैहि॰) से मुलाक़ात करते, तो आपकी दानशीलता और भी बढ़ जाती थी । जिबरील (अलैहि॰) रमज़ान की हर रात में आपसे मुलाक़ात करते और आपके साथ क़ुरआन का पठन-पाठन करते और अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) जब जिबरील (अलैहि॰) से मिलते, तो आप नेकी में वर्षा लाने वाली हवा से भी बढ़कर दानशील हो जाते ।

क़ुरआन के ईश्वरीय पुस्तक होने का प्रमाण

■ श्याम नारायण चौहान
(चन्दौली, उ०प्र०)

अल्लाह के कलाम में जो विस्तृत और व्यापक ज्ञान पाया जाता है वह किसी काल के किसी देश में होना तो दूर इस इक्कीसवीं सदी के महान विद्वानों में भी किसी के पास नहीं है । आज स्थिति यह है कि दर्शन और विज्ञान और समाजशास्त्रों की एक शाखा के अध्ययन में अपनी उम्र खपा देने के बाद आदमी को पता चलता है कि ज्ञान के उस विभाग की अत्यांतिक समस्याएं क्या हैं और फिर जब वह गहरी दृष्टि से क़ुरआन को देखता है तो मालूम होता है कि इस किताब में उन समस्याओं का एक स्पष्ट समाधान मौजूद है । यह मामला किसी एक ज्ञान तक सीमित नहीं है बल्कि उन तमाम ज्ञान-विज्ञान के सिलसिले में सही हैं जो सृष्टि और मानव से कोई ताल्लुक़ रखते हैं जैसा कि क़ुरआन में है–

उसने आसमानों और ज़मीन को सत्य के साथ पैदा किया है । वही दिन पर रात और रात पर दिन को लपेटता है उसी ने सूरज और चांद को इस तरह वशीभूत कर रखा है कि हर एक निश्चित समय तक चले जा रहा है । जान रखो, वह ज़बरदस्त है और क्षमा करने वाला है । (39:5)

इस आयत पर ग़ौर व फ़िक्र करने पर यह बात अपने आप समझ में आ जाती है कि इस भव्य सृष्टि का निर्माण अल्लाह रब्बुल आलमीन की अपनी कृति है जिसमें उसकी तत्वदर्शिता झलक रही है । अल्लाह अपने आप में अलौकिक निराला है, उसके कर्म और उसकी वाणियां चमत्कारिक और तत्वदर्शितापूर्ण है । यह आयत यथार्थ एवं प्राकृतिक व्यवस्था के अनुकूल है जिसको हम अपनी आंखों से रात व दिन दीदार करते हैं और उससे फ़ायदा भी उठाते हैं । यही चीज़ जीवन जीने का साधन बना हुआ है जिसका समर्थन भौगोलिक स्थिति, वैज्ञानिक विधि और प्रकृति कर रही है । इसमें चमत्कारिक निशानियां हैं सोच-विचार करने वालों के लिए ।

एक यह कि यह कलाम अपनी भाषा वर्णनशैली, तर्क पद्धति, विषय वार्ताओं, शिक्षाओं और परोक्ष की ख़बरों की दृष्टि में एक चमत्कार है जिसका उदाहरण लाना मानव-सामर्थ्य से परे है । तुम कहते हो कि उसे एक इन्सान ने गढ़ा है मगर हम कहते हैं कि तमाम दुनिया के इन्सान मिलकर भी इस शान की किताब की रचना नहीं कर सकते ।

दूसरे यह कि मुहम्मद (सल्लं०) यह क़ुरआन उतरने से पहले चालीस साल तुम्हारे साथ रह चुके हैं । क्या पैग़म्बरी का दावा करने से एक दिन भी पहले कभी तुमने उनके मुख से इस तरह की वाणी और इन समस्याओं और विषयों पर आधारित वाणी सुनी थी ।

अल्लाह के आदेशानुसार उनके नबी मुहम्मद (सल्ल०) ने जब लोगों को इस्लाम की दावत देना शुरू किया तो कुरैश के लोगों द्वारा यह आरोप लगाया गया कि आप (सल्ल०) ने इसे स्वयं रच लिया है और उसे अल्लाह का कलाम बताकर पेश कर रहे हैं । इस्लाम विरोधियों का अस्ल मक़सद यह था कि मुहम्मद (सल्ल०) का मिशन रद्द कर दें और उन पर ईमान न ले आएं । इस पर अल्लाह पाक ने यह आयत नाज़िल की–

और अगर तुम्हें इस मामले में संदेह है कि यह किताब जो हमने अपने बन्दे पर उतारी है यह हमारी है या नहीं तो इस जैसी एक ही सूरा बना लाओ, अपने सारे हिमायतियों को बुला लो एक अल्लाह को छोड़कर बाक़ी जिसकी चाहो मदद ले लो अगर तुम सच्चे हो तो यह काम करके दिखाओ ।
(2:23)

यह बात शत्रुओं के इस आरोप के उत्तर में कही गयी है कि मुहम्मद (सल्ल०) ने यह क़ुरआन स्वयं लिखा है और ख़ामख़ाह इसे अल्लाह की वाणी बनाकर पेश कर रहे हैं । इस पर अल्लाह तआला फ़रमाता है कि हे मुहम्मद इनसे

कहो कि अगर अल्लाह ने यह न चाहा होता कि मैं यह कुरआन तुम्हें सुनाऊं तो मैं कदापि न सुना सकता था, बल्कि अल्लाह तुझे इसकी ख़बर तक न देता । आख़िर मैं तुम्हारे बीच एक उम्र गुज़ार चुका हूं क्या तुम इतना भी नहीं समझते । कुरआन यानी (अल्लाह का कलाम) को ईशवाणी होने का जो तर्क दिया गया है, वह वास्तव में तीन तर्कों का योग है ।

एक यह कि यह कलाम अपनी भाषा वर्णनशैली, तर्क पद्धति, विषय वार्ताओं, शिक्षाओं और परोक्ष की ख़बरों की दृष्टि में एक चमत्कार है जिसका उदाहरण लाना मानव-सामर्थ्य से परे है । तुम कहते हो कि उसे एक इन्सान ने गढ़ा है मगर हम कहते हैं कि तमाम दुनिया के इन्सान मिलकर भी इस शान की किताब की रचना नहीं कर सकते ।

दूसरे यह कि मुहम्मद (सल्ल०) यह कुरआन उतरने से पहले चालीस साल तुम्हारे साथ रह चुके हैं । क्या पैग़म्बरी का दावा करने से एक दिन भी पहले कभी तुमने उनके मुख से इस तरह की वाणी और इन समस्याओं और विषयों पर आधारित वाणी सुनी थी, अगर नहीं सुनी थी यक़ीनन नहीं सुनी थी तो क्या यह बात तुम्हारी समझ आती है कि किसी व्यक्ति के भाषा-विचार, जानकारियां और वर्णनशैली में एकाएक ऐसा परिवर्तन हो सकता है ।

तीसरे यह कि मुहम्मद (सल्ल०) के मुख से तुम कुरआन सुनते हो और दूसरी बातें भी, और भाषण भी सुना करते हो । कुरआन की वाणी और मुहम्मद (सल्ल०) की अपनी वाणी में भाषाशैली का इतना स्पष्ट अंतर है कि भाषा और साहित्य का कोई भी निपुण आलोचक यह कहने का साहस नहीं कर सकता कि दोनों एक ही व्यक्ति की वाणियां हो सकती हैं ।

अत: ये दलीलें इस बात को स्पष्ट कर देती हैं कि अल्लाह का कलाम ईश्वरीय किताब होने का प्रमाण है । यूं तो अल्लाह की सृष्टि में अनगिनत निशानियां हैं इन निशानियों से वही लोग सबक़ ले सकते हैं और वही लोग फ़ायदा उठा सकते हैं जो सोच-विचार करने वाले हैं और अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखने वाले हैं जैसा कि कुरआन मजीद में है–

अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन को सत्य पर पैदा किया है, वास्तव में इसमें एक निशानी है ईमान वालों के लिए । (29:44)

ग़ज़ल

बदली हुई है वक़्त की रफ़्तार क्या करें ?
जीना भी अब तो हो गया दुश्वार क्या करें ?
सड़कें बना रहे हैं घरों को वो तोड़कर,
दैरो-हरम भी कर दिये मिस्मार क्या करें ?
ख़बरें हुई हैं आम हर इक बेडरूम की,
पढ़ते हैं लोग नेट पे अख़बार क्या करें ?
बातिल के सब हिमायती झूठों के यार हैं,
हक़ का नहीं है कोई तरफ़दार क्या करें ?
देती है पांच पैसे बताती है रुपय्या,
इतनी हुई है भ्रष्ट ये सरकार क्यों करें ?
जिनका वतन को बेचने वालों में नाम था,
हमको बता रहे हैं वो ग़द्दार क्या करें ?
उनकी तलब है सिर्फ़ खुशामद पसंद लोग,
जाकर हम उनकी बज्म में बेकार क्या करें ?
'तालिब' का नाम काटिये फ़ेहरिस्त से जनाब
वो आदमी है वाक़ई खुद्दार क्या करें ?

मुहम्मद क़ासिम ख़ान 'तालिब'
(देवास, म०प्र०)

UNITED ELECTRONIC SPARES

Deals :
Electronic Spare Parts,
TV, DVD, DTH & All Types of Remote,
CFL Glass & CFL Kit, USB Set, Fan,
Iron, Mixer, Mobile Accessories,
0-25 KVA To 10 KVA Stabiliser &
Inverter, CFL Inverter &
12 V 7.2AH Battery

Shop No-8, Hotel Ashoka Complex,
L.T. Road, Ramgarh Cantt, Jharkhand



सदाचरण के पुरोधा हज़रत मुहम्मद (सल्ल०)

■ डॉ० मुहम्मद अहमद

अल्लाह के आख़िरी पैग़म्बर और महानतम व्यक्तित्व हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) का इन्सानी सभ्यता पर एक बड़ा उपकार यह भी है कि आपने इन्सानों के सभी रिश्तों-नातों को मज़बूत बुनियादों पर खड़ा किया । एक-दूसरे की ज़िम्मेदारियां स्पष्ट कीं और सबके अधिकार और कर्तव्य निश्चित किये । यही वजह है कि नबी (सल्ल०) ने जिस इस्लामी राज्य का गठन किया, उसमें कोई वर्ग-संघर्ष और टकराव न था । उसमें वंश के गर्व और नस्ल की तंगनज़री का पूरी तरह अभाव था । उसमें धनवान, निर्धन, शिक्षित, अशिक्षित सभी भाई-भाई बन गये । उसमें अपराध न के बराबर थे । लोग एक-दूसरे पर जुल्म करने वाले, सरकारी माल और ज़िम्मेदारियों के ख़ियानत करने वाले और रिश्वतें समेटने वाले न थे, हर एक दूसरे के काम आता था । यह बिल्कुल एक नयी दुनियां की तामीर की मुहिम थी ।

नबी (सल्ल०) ने 23 वर्ष की अपनी पैग़म्बराना ज़िन्दगी में लाखों इन्सानों की ज़िन्दगियां बदल दीं । उन्हें विशुद्ध एकेश्वरवादी बनाया और उनमें अल्लाह के सिवा दूसरों की बन्दगी कदापि न करने की सुदृढ़ धारणा विकसित की । आप (सल्ल०) ने उनको इकट्ठा करके एक नयी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था बनायी । आपने इस व्यवस्था को अमल में लाकर सारी दुनिया को दिखा दिया कि आपके द्वारा पेश किये गये उसूलों के आधार पर कैसा समाज और जीवन बनता है और दूसरी जीवन प्रणालियों के मुक़ाबले में वह कितना पवित्र, शुद्ध और कल्याणकारी है । इस महान कारनामे के आधार पर हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) को 'सरवरे आलम' या 'विश्व नेता'' कहते हैं । आपका यह कार्य किसी विशेष जाति या क़ौम के लिए न था, बल्कि सारी इन्सानी बिरादरी के लिए था । यह इन्सानियत की संयुक्त धरोहर है, जिस पर किसी का अधिकार किसी से कम या अधिक नहीं है । जिसकी भी इच्छा हो, इससे लाभ उठा सकता है, बल्कि ज़रूरत इस बात की है कि प्रत्येक व्यक्ति इससे लाभ उठाये । अल्लाह की किताब कुरआन में है–''ऐ नबी ! हमने तो तुमको दुनिया वालों के लिए रहमत (दयालुता) बनाकर भेजा है'' (21:107)।

हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) का पवित्र जीवन पूरी तरह इतिहास के प्रकाश में है । आप (सल्ल०) की शिक्षा और जीवन के बारे में हम जो कुछ भी जानना चाहें जान सकते हैं । आपका व्यक्तिगत, सामाजिक और राजनीतिक जीवन प्रकाश में है । आपकी पवित्र जीवनी का जो भी खुले मन से अध्ययन करेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा कि आप सारी इन्सानियत के हितैषी, उपकारक, उद्धारक और पथ-प्रदर्शक एवं आदर्श हैं । आपकी शिक्षाओं का अनुसरण करके प्रत्येक व्यक्ति अपनी ज़िन्दगी सुधार सकता है ।

अब आइए हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के पवित्र जीवन पर, एक संक्षिप्त दृष्टि डाल लें, ताकि सामान्य जन उस रिश्ते और मधुर संबंध को भली-भांति जान लें जो उनके और आप (सल्ल०) के बीच पाया जाता है । आप (सल्ल०) का जन्म अरब के मशहूर शहर मक्का में 12 रबीउल अव्वल, सोमवार को सन 571 ई० में प्रतिष्ठित कुरैश वंश में हुआ था । जन्म से पहले ही आपके पिता अब्दुल्लाह की मृत्यु हो चुकी थी । शुरू में आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने पाला, फिर उनके मरने के बाद चचा अबू तालिब ने पालन-पोषण किया । अभी आप छह साल के थे कि आपकी मां का भी देहांत हो गया । बचपन ही से आपके स्वभाव में ऐसी नरमी, आकर्षण और विनम्रता थी कि परिवार और शहर के लोग आपका आदर करते थे । आपकी सच्चाई और नेकी की चारों तरफ़ चर्चा होने लगी ।

कुरैश के लोगों का पेशा व्यापार था । मुहम्मद (सल्ल०) के चचा अबू तालिब भी व्यापार करते थे । एक बार 12 वर्ष की उम्र में आप (सल्ल०) चचा के साथ एक तिजारती सफ़र पर शाम (सीरिया) गये । जवान हुए तो कारोबार के लिए दूसरे व्यापारियों का माल लेकर स्वयं शाम जाने लगे । आप लेन-देन और मामलात में इतने सच्चे और खरे थे कि लोग आपको 'सादिक़' (सच्चा) और 'अमीन' (अमानतदार) की उपाधि के साथ पुकारा करते थे ।

आपकी शोहरत सुनकर हज़रत ख़दीजा नामक एक धनवान विधवा ने भी आपको व्यापारिक सामान देकर सफ़र पर भेजा । वे आपके काम, सच्चाई और ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुईं और बड़े-बड़े सरदारों के पैग़ाम को नज़रअंदाज़ करते हुए आपसे विवाह के लिए अपनी एक सहेली द्वारा आपके पास प्रस्ताव भेजा, जिसे आपने चचा की अनुमति से स्वीकार करके उनसे विवाह कर लिया ।

उस समय हज़रत ख़दीजा की उम्र 40 वर्ष की थी और आप (सल्ल०) 25 वर्ष के थे । आप (सल्ल०) उस समय की सामाजिक कुरीतियों और लोगों की समस्याओं से बहुत दुखी थे । आप मक्का से लगभग 6 मील की दूरी पर स्थित 'हिरा' नामक गुफ़ा में जाकर अल्लाह को याद करते और लोगों को संकट से उबारने के लिए उससे दुआएं करते । आपकी उम्र चालीस वर्ष की थी, जब अल्लाह ने आपको अपना नबी (रसूल, पैग़म्बर) बनाया । एक दिन गुफ़ा में आप पर अल्लाह की ओर से वह्य (प्रकाशना) आयी और भटकी हुई इन्सानियत को सीधा मार्ग दिखाने और ईश्वरीय संदेश पहुंचाने का काम आपके ज़िम्मे कर दिया गया । अल्लाह ने मानव-कल्याण के लिए आप पर दिव्य ग्रंथ कुरआन उतारने का सिलसिला शुरू किया, जो 23 वर्षों में पूरा हुआ । अल्लाह की ओर से 'वह्य' आने और नबी बनाए जाने के साथ ही हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के जीवन का धर्म-प्रचार काल शुरू होता है ।

अल्लाह के आदेशानुसार आप इन्सानों के मार्गदर्शन और रहनुमाई का काम करते रहे । समाज के स्वार्थी और सत्तावान लोगों ने आपका ज़बरदस्त विरोध किया । सज्जन और उपेक्षित लोगों ने आपकी शिक्षा को अपना लिया और मुसलमान बन गये । आप और आपके साथियों के साथ मक्का के दुष्ट लोगों ने तरह-तरह की जुल्म-ज़्यादतियां कीं ।

इन सबके बावजूद अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने सत्य धर्म की दावत और प्रचार-प्रसार का काम निर्भीकता के साथ जारी रखा । आप गली-गली जाकर एक-एक व्यक्ति तक अल्लाह का संदेश पहुंचाते रहे । आप लोगों को अल्लाह की इबादत की ओर बुलाते, उसके एक होने की शिक्षा देते, अल्लाह के साथ किसी दूसरे को साझी ठहराने से रोकते, मूर्तियों, पत्थरों, पेड़ों और जिन्नों की पूजा से मना करते, बेटियों को ज़िंदा दफ़न करने से रोकते, व्यभिचार, शराब और जुए की बुराइयां स्पष्ट करते, मन को बुरे विचारों से, ज़ुबान को गन्दी बातों से, जिस्म और कपड़े को गन्दगी से पाक रखने की नसीहत करते । आप (सल्ल०) उपदेश देते कि केवल अल्लाह ही सारी सृष्टि और दुनिया का पैदा करने वाला है । इन्सान, सूरज, चांद, सितारे सब उसी के पैदा किये हुए हैं और सभी उसके मुहताज हैं । अल्लाह ही प्रार्थनाएं सुनने वाला, इच्छाएं और आरज़ुएं पूरी करने वाला है । मरने के बाद हर व्यक्ति को उसके सामने अपनी ज़िन्दगी का हिसाब पेश करना है और कर्मों के अनुसार अल्लाह पुरस्कार और दंड देगा यानी जन्नत और जहन्नम ।

मक्का के दुष्टों ने आपको और आपके साथियों को सताना और यातनाएं देना जारी रखा । हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) और आपके पूरे वंश का सामाजिक बहिष्कार किया । आप और आपके परिवार वाले एक घाटी में जा ठहरे और तीन साल तक बड़ी कठिनाइयों का सामना किया । लोगों को अक्सर पेड़ों के पत्ते खा-खाकर समय बिताना पड़ता था, यहां तक कि सूखा चमड़ा उबालकर खाने की नौबत आ गयी । मक्का में इस्लाम के प्रचार-प्रसार में ज़बरदस्त रुकावटें खड़ी करने की विरोधियों की कोशिशों के बीच हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने मक्का से बाहर इस्लाम का संदेश पहुंचाने की बात सोची । आप ताइफ़ नगर गये, जहां के लोगों ने आपके साथ अच्छा सलूक नहीं किया । उत्पीड़न का सिलसिला जब बहुत अधिक तेज़ हो गया, तो आपको और आपके साथियों को वतन छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा । आप और आपके साथी मदीना चले गये । मक्का के विरोधियों ने वहां भी हमला किया । कई लड़ाइयां हुईं । फिर भी अल्लाह के रसूल (सल्ल०) का उनके साथ बड़ा ही उदारतापूर्ण व्यवहार रहा । जब मक्का में सूखा और अकाल पड़ा, तो आपने मदीना से ग़ल्ला और राहत सामग्री भिजवाई । इस्लामी संदेश लोगों तक पहुंचता रहा और इस्लाम अरब में हर तरफ़ फैल गया । लोग सत्य-मार्ग को अपनाकर अपनी ज़िन्दगियां सुधारते-संवारते रहे ।

मक्का एकेश्वरवाद का प्राचीन केन्द्र था । यहीं से हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) को वतन छोड़कर मदीना जाना पड़ा था । अल्लाह की मेहरबानी से इस्लाम बराबर फैलता रहा और आख़िरकार आपको मक्का पर विजय प्राप्त हो

गयी । मुसलमानों की सेना जब मक्का के क़रीब पहुंची तो क़ुरैश के एक सरदार अबू सुफ़यान, जो छिपकर टोह ले रहे थे, गिरफ़्तार कर लिये गये । उनको हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के सामने पेश किया गया, लेकिन आपने इस सख़्त दुश्मन के साथ अत्यंत दयापूर्ण व्यवहार किया । अबू सुफ़यान इस व्यवहार से बहुत प्रभावित हुए और मुसलमान होकर मुसलमानों की सेना में शामिल हो गये ।

हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) की मक्का विजय पर मक्के वाले बहुत आशंकित व भयभीत हुए । उन्होंने मुसलमानों को ख़ूब सताया था और उन पर तरह-तरह से जुल्म ढाये गये थे । लेकिन आप (सल्ल०) ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, "आज तुम्हारी कोई पकड़ नहीं । जाओ तुम सब आज़ाद हो ।" आप (सल्ल०) प्रेम, दया और करुणा के सागर थे । आपको अल्लाह ने 'रहमतुल्लिल आलमीन' (सारे संसार के लिए रहमत) बनाकर भेजा है । वास्तव में, दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति न गुज़रा होगा, जिसने एक-दो नहीं, प्रायः अपने सारे दुश्मनों और विरोधियों को माफ़ कर दिया और उन्हें सम्मान दिया । इस प्रकार इन्सानियत का उच्चतम आदर्श पेश किया ।

हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के जीवन में ही अरब के एक बड़े क्षेत्र पर सत्य का राज्य क़ायम हो गया । राज्य में ग़रीबों, उपेक्षितों और पीड़ितों को पूरा सम्मान मिला । आपने कहा–"तुम अपने गुलामों को वैसा ही खाना खिलाओ जैसा तुम ख़ुद खाते हो, और वैसा ही कपड़ा पहनाओ जैसा तुम ख़ुद पहनते हो, क्योंकि वे भी अल्लाह के बन्दे हैं । उनको कष्ट देना उचित नहीं ।" आपने कहा–

"ऐ लोगो ! जान लो तुम्हारा रब एक है । तुम्हारा पिता (हज़रत आदम) एक है । किसी अरबी को किसी ग़ैर-अरबी पर कोई प्राथमिकता नहीं, न किसी ग़ैर-अरबी को किसी अरबी पर, न गोरे को काले पर, न काले को गोरे पर, प्राथमिकता अगर किसी को है तो सिर्फ़ तक़्वा और परहेज़गारी से है" अर्थात रंग, जाति, नस्ल, देश, क्षेत्र किसी श्रेष्ठता का आधार नहीं है । बड़ाई और श्रेष्ठता का आधार ईमान और चरित्र है । आप (सल्ल०) ने फ़रमाया, "वह आदमी ईमान वाला नहीं है, जो ख़ुद तो पेट भरकर खाये और उसका पड़ोसी भूखा सोये ।"

हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के आगमन से पहले औरतों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता था । उनका हर तरह शोषण किया जाता और उन्हें भोग-विलास की वस्तु समझा जाता था । आपने इस गन्दी मानसिकता को बदल दिया और औरतों को उनके स्वाभाविक अधिकार देकर समाज में उन्हें आदर-सम्मान प्रदान किया । आपने कहा–"मोमिनों में ईमान की दृष्टि से सबसे पूर्ण वह है, जो तुममें अख़्लाक़ की दृष्टि से सबसे अच्छा हो और तुममें सबसे अच्छा वह है जो अपनी औरतों के प्रति अच्छा हो ।" आपने कहा–"औरतों के मामले में अल्लाह से डरो । तुम्हारा औरतों पर और औरतों का तुम पर अधिकार है ।"

इसी तरह लड़कियों के प्रति भेदभाव और अत्याचारपूर्ण रवैये को सदा के लिए ख़त्म करते हुए आपने यह भी कहा कि जो आदमी अपनी बेटियों की अच्छी तरह परवरिश करेगा और बेटे व बेटियों के प्रति भेदभाव नहीं करेगा, वह जन्नत में मेरे साथ रहेगा ।

हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) बहादुर होने के साथ बहुत ही नरम दिल थे । आप कमज़ोर लोगों के साथ ही बेज़ुबान जानवरों तक के बारे में नरमी का हुक्म फ़रमाते थे । आप (सल्ल०) सोमवार के दिन 12 रबीउल अव्वल सन 11 हिजरी को ठीक दोपहर से कुछ पहले इस दुनिया से विदा हो गये । आप (सल्ल०) की जीवन व शिक्षा का सार और उद्देश्य यह है कि इन्सान अपने एकमात्र स्रष्टा और पालनहार के बताए हुए मार्ग पर चलकर ही ज़िन्दगी गुज़ारे ताकि वह इस लोक और परलोक में सफलता प्राप्त कर सके ।

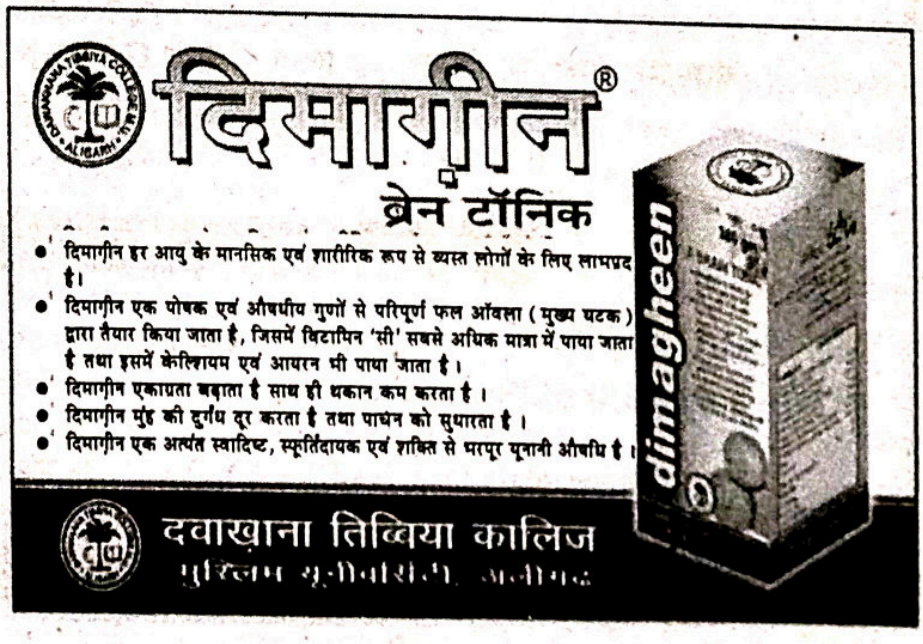

अनाथ लड़कों की पुकार

VOICE OF ORPHAN BOYS

यतीमख़ाना इस्लामिया (गया)



एक परिचय

● दीनी और असरी शिक्षा की अपनी तरह की जानी-मानी रिहाइशी पाठशाला ● 100 वर्षों की सेवाएं ● बहुत से विभाग ● शिक्षा के पड़ाव : प्राथमिक से मैट्रिक तक ● हिफ़्ज़ का विभाग : हिफ़्ज़ के साथ-साथ मैट्रिक ● हर वर्ष बिहार स्कूल बोर्ड परीक्षा का 100 प्रतिशत रिज़ल्ट ● पत्राचार शिक्षा 2016-2017 के सत्र के लिए 11वीं, 12वीं और बी०ए० और लाइब्रेरी साइंस (BLIS) में प्रवेश जारी ● कंप्यूटर की भी शिक्षा ● किफ़ाला स्कीम के तहत एक अनाथ छात्र पर वार्षिक ख़र्च 18000/- रुपये प्रति वर्ष ● कुल वार्षिक ख़र्च 25 लाख से अधिक ● आमदनी का स्रोत : मुस्लिम अवाम के चन्दे ● 75 अनाथ बच्चे जिनका पूरा ख़र्च इदारा ही उठाता है ।

● जिस रूप में संभव हो मदद करके अल्लाह से बड़ा इनाम प्राप्त करें–उदाहरण के लिए ● ज़कात ● सदक़े ● अतिया ● पैदावार की ज़कात ● क़ुरबानी की खाल ● एक अनाथ बच्चे का वार्षिक ख़र्च ● अपने या किसी बुज़ुर्ग के नाम पर कमरा या हॉल बनवाना आदि ।

● याद रखें यहां हर वर्ष ऑडिट (Audit) भी कराया जाता है । आप खुद यतीमख़ाना इस्लामिया पहुंच कर बराबरी का व्यावहारिक नमूना अपनी आंखों से देखें कि किस प्रकार अनाथ और मां-बाप वाले बच्चे मिल-जुलकर रहा करते हैं ।

नोट : इनायत टेक्निकल इंस्टीट्यूट (Technical Institute) की इमारत के निर्माण का काम अंतिम पड़ाव पर है।

यह इदारा आप से उदार सहायता की अपील करता है ।

नोट : यह इदारा विदेशी मुद्रा के क़ानून FCRA के तहत भी रजिस्टर्ड है ।

Foreign Donors विदेशी चन्दा देने वाले

अब आप विदेश से BANK A/c No. 300402010000187

BANK CODE NO. UBININBBJAM,

UNION BANK OF INDIA (MAIN BRANCH, GAYA)

में अपनी रक़म भेज सकते हैं

चेक या ड्राफ्ट पर केवल यह लिखें–THE GAYA MUSLIM ORPHANAGE

चेक, ड्राफ़्ट, मनीऑर्डर या ख़त भेजने का पता

Hon. SECRETARY, THE GAYA MUSLIM ORPHANAGE
At+P.o : CHERKI-824237, Distt : GAYA (BIHAR) INDIA

LOCAL DONARS मक़ामी चन्दा देने वाले

BANK A/C NO. : 10581, UNION BANK OF INDIA (MAIN BRANCH, GAYA)
Bank IFS Code No. : UBIN 0530042
CORE BANKIN GA/C NO.: 300402010010581, Mobile : 9955655960, 09801213022
E-mail : gmocde@yahoo.co.in, Website : www.gmogaya.com

Note : Documentary Film–NAZR-E-ENAYAT जिसमें इदारे का इतिहास है। इंटरनेट यू ट्यूब पर देखें।

नोट : कोर बैंकिंग वाले हज़रात E-mail या डाक से अपना मुकम्मल पता भेज दिया करें ताकि उसी पते पर रक़म की रसीद रवाना की जा सके ।

अध्यक्ष : डॉ० फ़रासत हुसैन　　एज़ाज़ी नाज़िम : डॉ० मुहम्मद एहतिशाम रसूल

हज़रत फ़ातिमा (रज़ि॰)

● संपादन प्रभाग

हज़रत फ़ातिमा (रज़िअल्लाहु तआला अन्हा) का जन्म मक्का में हुआ, जिस वक़्त क़ुरैश काबा का नव-निर्माण कर रहे थे। यह नुबूवत से 5-6 साल पहले की घटना है। इनके जन्म से मां-बाप बहुत ख़ुश थे, क्योंकि यह नबी (सल्ल॰) की सबसे छोटी बेटी थीं। इस वजह से उनकी मां हज़रत ख़दीजा ने किसी दाई से उनको दूध पिलाने का प्रबंध नहीं किया, बल्कि अपना दूध पिलाया। पाक घर में हज़रत फ़ातिमा (रज़ि॰) की परवरिश हुई। मां-बाप की निगाहों के सामने उनकी देखरेख हुई। नुबूवत के विशुद्ध स्रोत से सेराबी हासिल की। दौरे रिसालत में उन्होंने आंखें खोलीं, जिस नुबूवत को तमाम मानवजाति तक पहुंचाने के लिए अल्लाह ने आप (सल्ल॰) को चुना था।

उच्च परिवार

हज़रत फ़ातिमा (रज़ि॰) की ज़िन्दगी के अध्ययन से पहले उन बुनियादों पर ग़ौर करेंगे जिनकी बदौलत वह नेतृत्व, आदर्श, शर्फ़ और मोमिन औरतों में सर्वोच्च स्थान के लायक़ हुईं। उनके पिता मानवजाति के सरदार हैं, नबी-ए-रहमत हैं। उनकी मां दुनिया की औरतों में परम विशिष्ट और सबसे पहले इस्लाम क़बूल करने वाली हज़रत ख़दीजा (रज़ि॰) थीं। हज़रत फ़ातिमा (रज़ि॰) ख़ुद अपने दौर की औरतों की सरदार और नबी (सल्ल॰) की बेटियों में सबसे अफ़ज़ल थीं। उनके पति अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली बिन अबू तालिब थे। उनके दोनों साहबज़ादे मिल्लत के नवजवानों के सरदार और हुज़ूर (सल्ल॰) की ख़ुशबू हज़रत हसन (रज़ि॰) और हज़रत हुसैन (रज़ि॰) थे।

इनके चचा शहीदों के सरदार हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब थे। इनके एक दूसरे चचा वे थे जो भूखों को खाना खिलाते, ज़रूरतमंदों की ज़रूरतें पूरी करते, पड़ोसी की हिमायत करते और वक़्त-ज़रूरत अपना माल भी ख़र्च करते थे, वे अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब थे। इनके चचेरे भाई मशहूर शहीद हज़रत जाफ़र बिन अबू तालिब थे। इससे बढ़कर गर्व की और क्या बात हो सकती है ?

इस्लाम क़बूल करने में अग्रणी

जब वह्य (प्रकाशना) के ज़रिए हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) को रिसालत अता की गयी तो सबसे पहले इस रिसालत पर ईमान लाने वाली और इसकी तस्दीक़ करने वालीं हज़रत ख़दीजा (रज़ि॰) थीं। अपने बाप पर नबी की हैसियत से ईमान लाने वालों में हुज़ूर (सल्ल॰) की बेटियां हज़रत ज़ैनब (रज़ि॰), हज़रत रुक़ैया (रज़ि॰), हज़रत उम्मे कुलसूम (रज़ि॰) और हज़रत फ़ातिमा (रज़ि॰) थीं।

इब्ने इसहाक़ ने हज़रत आइशा (रज़ि॰) से रिवायत की है कि अल्लाह ने जब अपने नबी को नुबूवत से सरफ़राज़ फ़रमाया, तो हज़रत ख़दीजा और उनकी बेटियां आप पर ईमान लायीं। आपकी सारी बेटियां अपनी मां के साथ इस्लाम के दायरे में दाख़िल हुईं और एक साथ ही अपने पिताश्री की रिसालत की तस्दीक़ की, जोकि रिसालत से पहले ही बरकतों वाले गुणों के धारक थे। जब आप (सल्ल॰) इस्लाम के आह्वान के लिए खड़े हुए और अपने रब के संदेश के प्रचार-प्रसार में लग गये तो स्वयं आपके ख़ानदान क़ुरैश के लोग आपके विरोधी हो गये और आप (सल्ल॰) को परेशान करने की नयी-नयी तरकीबें सोचने लगे।

हज़रत फ़ातिमा और नज़रबंदी

हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) को उत्पीड़ित करने के लिए क़ुरैश ने एक तरकीब सोची, जिसमें हाशिम वंश और अब्दुल मुत्तलिब वंश के बहुत से लोगों को दुख झेलना पड़ा। मुशरिकीन ने यह फ़ैसला किया कि इनका पूरी तरह सामाजिक बहिष्कार कर दिया जांए। इनसे लेन-देन, मेल-जोल न रखा जाए और न ही बातचीत की जाए, यहां तक कि ये लोग तंग आकर हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) को हमारे हवाले न कर दें। अत: अबू तालिब नामक घाटी में इन्हें नज़रबंद कर दिया गया। यह नज़रबंदी बहुत दुखदायी साबित हुई। मुशरिकीन घाटी के बाहर भूख के कारण रोते हुए बच्चों की आवाज़ें सुनते थे। नज़र होने वालों में हज़रत फ़ातिमा (रज़ि॰) भी थीं। इस नज़रबंदी ने उनकी सेहत को

बुरी तरह प्रभावित किया, आशंका हो गयी कि कहीं वे वफ़ात न पा जाएं । यह बहिष्कार लगभग तीन साल जारी रहा । मुसलमान इस हालत में वहां से निकले कि उनके रोशन चेहरे से ईमान की रोशनी फूटती थी और दिलों में अल्लाह और उसके रसूल (सल्ल०) की मुहब्बत और भी बढ़ गयी थी ।

हज़रत फ़ातिमा और हज़रत ख़दीजा

हज़रत फ़ातिमा नज़रबंदी की तकलीफ़ को अभी भूल भी न पायी थीं कि उनकी ज़िन्दगी का कठिनतम दिन आ गया । यह वह दिन था जिस दिन हज़रत ख़दीजा का इन्तिक़ाल हुआ । वे अपनी मां की वफ़ात से बहुत दुखी हुईं । ऐसा मालूम होता था कि उन पर स्नेह का हाथ रखने वाला अब कोई नहीं रहा । ज़िन्दगी की सारी ज़िम्मेदारी हज़रत फ़ातिमा के कमज़ोर कंधों पर आ गयी, हालांकि इससे उनके ईमान में इज़ाफ़ा ही हुआ । फिर वे अपने वालिद (पिता) की निगरानी में आ गयीं जिनके दिल में उनके प्रति बड़ी रहमत और स्नेह भरा हुआ था । उनके साथ ज़िन्दगी का सफ़र तय करने लगीं । मदीना को हिजरत (प्रस्थान) तक हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) की दावती ज़िन्दगी (इस्लाम के आह्वान) में शरीक थीं । हज़रत फ़ातिमा ने मुहाजिरीन के साथ मदीना हिजरत की । वहां अंसार (शरण देने वाले) के बीच एक नयी ज़िन्दगी शुरू की ।

हज़रत फ़ातिमा का निकाह

बद्र की लड़ाई के बाद सन 2 हिजरी में हज़रत अली (रज़ि०) ने हज़रत फ़ातिमा (रज़ि०) से शादी की । हज़रत फ़ातिमा की शादी के पैग़ाम के सिलसिले में एक वाक़िया बहुत मशहूर हुआ । पैग़ाम देने वाले की ज़ुबानी इसे सुनिए– 'हज़रत फ़ातिमा को शादी के लिए पैग़ाम दिये जा चुके थे । मेरी एक दासी ने कहा कि क्या आपको मालूम है कि फ़ातिमा की शादी का पैग़ाम दिया जा चुका है । मैंने कहा, नहीं । उसने कहा, दिया जा चुका है । आपके लिए क्या रुकावट है, आप हुज़ूर (सल्ल०) के पास जाइए । वह उनकी शादी आपसे कर देंगे । मैंने कहा, मेरे पास शादी के लिए क्या चीज़ है, कुछ भी नहीं । उसने कहा अगर आप हुज़ूर (सल्ल०) के पास जाएंगे तो वह ज़रूर आपकी शादी हज़रत फ़ातिमा से कर देंगे । वह मुझे निरंतर प्रेरित करती रही, यहां तक कि मैं आप (सल्ल०) की ख़िदमत में हाज़िर हो गया । आपके सामने बैठ गया । अल्लाह क़सम, मैं आपके रौब और दबदबे की वजह से बात नहीं कर सकता था । आपने पूछा, क्यों आये हो ? क्या चाहिए ? मैं ख़ामोश रहा । आपने फ़रमाया, शायद फ़ातिमा को निकाह का पैग़ाम देने आये हो । मैंने कहा, हां । आप (सल्ल०) ने पूछा, महर में देने के लिए कुछ है ? मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल कुछ भी नहीं है । आपने पूछा, वह जिरहबख़्तर (ढाल) क्या हो गयी जो मैंने तुम्हें दी थी । मैंने कहा, वह मेरे पास है, लेकिन वह तो पुरानी है, उसकी क़ीमत चार दिरहम से ज़्यादा नहीं है । आपने फ़रमाया उसके बदले मैं तुमसे फ़ातिमा का निकाह कर दूंगा । इस तरह एक जिरहबख़्तर हज़रत फ़ातिमा का महर क़रार पायी ।

हुज़ूर (सल्ल०) ने हज़रत फ़ातिमा की तरफ़ मुख़ातिब होकर पूछा, अली तुम्हारा ज़िक्र कर रहे थे । वह ख़ामोश हो गयीं । अत: इस ख़ामोशी को उनकी रज़ामंदी मान कर आप (सल्ल०) ने उनका निकाह कर दिया ।

हज़रत फ़ातिमा (रज़ि०) की शादी के दिन हुज़ूर (सल्ल०) ने पानी मांग कर वुज़ू किया । वुज़ू के पानी को हज़रत अली पर छिड़का और यह दुआ फ़रमाई–'ऐ अल्लाह इन दोनों की उम्र और नस्ल में बरकत दे । निकाह के मौक़े पर अब्दुल मुत्तलिब के वंश के लोग और सहाबा किराम (रज़ि०) जमा हुए । हमज़ा बिन मुत्तलिब ने ऊंट ज़िब्ह किया और लोगों को खाना खिलाया । हज़रत फ़ातिमा अपने शौहर के घर पहुंचा दी गयीं । इस घर में न विशाल पलंग थे, न गलीचे और न ही साज-सज्जा का सामान । बल्कि केवल ज़रूरत का बहुत ही कम सामान था । खाल के गद्दे-तकिए, एक प्याला, मिट्टी के दो घड़े और एक चक्की थी । इनका घर हुज़ूर (सल्ल०) के घर से ज़्यादा दूर न था ।

कुछ दिनों के बाद हुज़ूर (सल्ल०) हज़रत फ़ातिमा के घर तशरीफ़ लाए । उनसे कहा मैं तुम्हें अपने घर ले जाने के लिए यहां आया हूं । हज़रत फ़ातिमा ने कहा, हज़रत हारिसा बिन नोमान (रज़ि०) से कहिए कि वह अपने कुछ मकान हमारे लिए ख़ाली कर दें । आप (सल्ल०) ने फ़रमाया, उन्होंने पहले ही हमारे लिए कई मकान ख़ाली कर दिये हैं, अब मैं और मकान के लिए कहना मुनासिब नहीं समझता । यह ख़बर हज़रत हारिसा को मिली, वह ख़ुशी-ख़ुशी दौड़े हुए आये और आपसे पूछा, या रसूलुल्लाह ! मुझे मालूम हुआ है कि आप फ़ातिमा को अपने यहां ला रहे हैं । ये मेरे मकान हैं जो बनू निजार के क़रीब हैं–और मेरा माल अल्लाह और उसके रसूल के लिए है । या रसूलुल्लाह ! बाख़ुदा मेरा जो भी माल आप क़बूल फ़रमा लेंगे तो मुझे ख़ुशी होगी, इसके

मुक़ाबले कि आप क़बूल न करें । नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया–"सही कहा, अल्लाह तुम्हें बरकत दे ।" आप (सल्ल०) ने हज़रत अली व हज़रत फ़ातिमा को हज़रत हारिसा बिन नौमान (रज़ि०) के घर में पहुंचा दिया, जहां उन्होंने वास किया ।

तक़वा और सब्र

सब्र व तक़वा में हज़रत फ़ातिमा (रज़ि०) की तरह किसी और औरत की मिसाल पेश करने में इतिहास असमर्थ है । अपने विवाहित जीवन की शुरुआत से घर के सारे काम करती थीं । चक्की चलातीं, रोटी पकाती थीं । उनके ज़ाहिद और मुजाहिद शौहर हज़रत अली (रज़ि०) के अन्दर इतना सामर्थ्य न था कि किसी सेवक को रख लेते, जो उनके घरेलू कामों में फ़ातिमा बिन्त मुहम्मद की मदद करता । बल्कि हज़रत अली ने अपनी वालिदा फ़ातिमा बिन्त असद से कहा कि घर के बाहर के कामों में फ़ातिमा की मदद करें, वह तो घर के अन्दर के कामों रोटी-चक्की को खुद संभाल लेती हैं ।

हज़रत अली देखते थे कि फ़ातिमा के चेहरे पर थकान के आसार मौजूद हैं । एक बार उन्होंने हज़रत फ़ातिमा से क़हा–आपके वालिद के पास क़ैदी आये हैं, जाकर एक सेवक मांग लो । उन्होंने कहा, मेरा भी यही विचार है । चक्की चलाते-चलाते मेरे हाथों में निशान पड़ गये हैं । अत: वे हुज़ूर (सल्ल०) की ख़िदमत में पेश हुईं । आपने दरयाफ़्त किया, बेटी किस मक़सद से आयी हो ? कहा, आपको सलाम करने आयी थी । शर्म की वजह से कुछ नहीं कह सकी ।

फिर हज़रत अली और फ़ातिमा दोनों ने मिलकर बड़े संकोच और शर्म के साथ अपनी कठिनाईपूर्ण ज़िन्दगी की शिकायत की और एक ख़ादिम की मांग की । आप (सल्ल०) ने इन दोनों से फ़रमाया–मैं तुम दोनों को आगे करूं और सुफ़्फ़ा वालों को इस हाल में छोड़ दूं कि उनके पेट भूख से चिपके रहें, उनकी ज़रूरतें पूरी करने की कोई चीज़ न हो । यह सुनकर दोनों वापस आ गये । उनके पीछे चादर लपेटे हुज़ूर (सल्ल०) तशरीफ़ लाए । चादर इतनी तंग थी कि सिर ढकते पैर खुल जाते और पैर ढकते तो सिर खुल जाता । दोनों ने उठकर आपका इस्तक़बाल करना चाहा तो आपने फ़रमाया, अपनी जगह लेटे रहो । फिर आपने फ़रमाया कि मैं तुम्हें उससे अच्छी बात न बताऊं जिसका तुमने सवाल किया था । दोनों ने कहा, ज़रूर बताइए । आपने कहा, कुछ कलिमात हैं जो जिबरील (अलैहि०) ने मुझे बताए हैं । हर फ़र्ज़ नमाज़ के बाद 10 बार सुब्हानल्लाह, 10 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 10 बार अल्लाहु अकबर कह लिया करो । जब सोने के लिए बिस्तर पर आओ तो 33 बार सुब्हानल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 33 बार अल्लाहु अकबर कह लिया करो ।

हज़रत फ़ातिमा ज़ोहरा (रज़ि०) ने और हज़रत अली (रज़ि०) ने इन बरकत वाले कलिमात पर संतोष व्यक्त किया और इस पर ज़िन्दगी भर अमल किया ।

तक़वा और परहेज़गारी

अबू नईम ने हज़रत फ़ातिमा ज़ोहरा के गुणों का उल्लेख करते हुए लिखा है कि हज़रत फ़ातिमा साफ़ दिल और ईसार व क़ुरबानी (त्याग) का जज़्बा रखने वाली थीं । दुनिया और दुनिया की पूंजी से बेनियाज़ थीं । उनका तक़वा, परहेज़गारी, ख़ौफ़े ख़ुदा और अमल सिर्फ़ ख़ुदा की मर्ज़ी के लिए होता था । इमाम ज़हबी ने एक घटना इस तरह नक़ल की है–एक बार हुज़ूर (सल्ल०) हज़रत फ़ातिमा के पास आये उस वक़्त वे सोने का हार पहने हुए थीं । कहने लगीं अबू हसन (हज़रत अली) ने मुझे यह उपहार में दिया है । आपने फ़रमाया, क्या तुम्हें इस बात से ख़ुशी होगी कि लोग कहें कि फ़ातिमा बिन्त मुहम्मद को देखो उसके हाथ में ज़ंजीर है । यह कहकर आप बाहर आ गये । हज़रत फ़ातिमा ने उस हार को बेचकर एक ग़ुलाम ख़रीद लिया और उसे आज़ाद कर दिया । आप (सल्ल०) ने फ़रमाया शुक्र है उस ख़ुदा का जिसने फ़ातिमा को आग से बचा लिया । यह था उनकी परहेज़गारी और ख़ौफ़े ख़ुदा का जज़्बा । यह कैसे न होता, वह तो थीं बेटी ज़ाहिदों के सरदार हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) की ! उन्होंने आप (सल्ल०) के इस फ़रमान को ग़ौर से सुना था–'ऐ फ़ातिमा मुझसे जो कुछ मांगना हो मांग लो, अल्लाह के यहां मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाऊंगा ।' यह फ़रमान सुनकर दुनिया की तरफ़ कैसे मायल हो सकती थी । इसलिए उन्होंने इबादत और जद्दोजेहद के लिए अपने को तैयार कर लिया था और उसके रसूल की मर्ज़ी की ख़ातिर दुनिया की हर चीज़ से बेनियाज़ हो गयी थीं । ऐसे ही लोगों के बारे में अल्लाह का फ़रमान है–'ऐसे ही लोग कामयाब हैं ।'

(सूरह तौबा)

हज़रत फ़ातिमा अपनी नेकी और परहेज़गारी में इतने बुलंद दर्जे पर थीं कि उस दौर की कोई औरत उनकी बराबरी नहीं कर सकती थी । वे अपनी पूरी क्षमता पर अपने

वालिद के नक़्शे-क़दम पर चलती रहीं । उनकी इन्हीं ख़ुबियों का ज़िक्र करते हुए हज़रत आइशा (रज़ि॰) फ़रमाती हैं–'मैंने फ़ातिमा की तरह सिद्क़दिली (सहृदयता) में किसी को नहीं देखा, सिवाय उनके वालिदे गिरामी के ।'

मुजाहिदाना कारनामे

हज़रत फ़ातिमा (रज़ि॰) के मुजाहिदाना कारनामे बहुत ताबनाक हैं । उहुद की लड़ाई में हुज़ूर (सल्ल॰) के चेहरे और जिस्म के अन्य हिस्से पर ज़ख़्म हो गया था, उससे ख़ून बहने लगा । चटाई जलाकर उसकी राख लगाने से ख़ून बंद हो गया । इमाम बैहक़ी ने हज़रत फ़ातिमा के कारनामों पर इस तरह रोशनी डाली है–'मुहाजिर और अंसार औरतें जंग के लिए निकल खड़ी हुईं । अपनी पीठ पर पानी और खाने का सामान लिए हुए थीं, उनमें हज़रत फ़ातिमा भी थीं । उन्होंने अपने वालिद के जिस्म पर ख़ून देखा, चेहरे से ख़ून को साफ़ करने लगीं । जंगे उहुद में हज़रत फ़ातिमा की भूमिका का हज़रत सुहैल बिन असद इस तरह उल्लेख करते हैं–

"हुज़ूर (सल्ल॰) इस जंग में ज़ख़्मी हो गये, आपके कुछ दांत शहीद हो गये । सिर में ख़ुद की एक कड़ी पैवस्त हो गयी थी । हज़रत अपनी ढाल में पानी लाकर ज़ख़्म पर डालते और हज़रत फ़ातिमा उसे साफ़ करती थीं । उन्होंने जब देखा कि पानी से धोने की वजह से ख़ुन बंद नहीं हो रहा है तो चटाई का एक टुकड़ा लिया, उसे जलाकर राख को ज़ख़्म पर लगा दिया तो ख़ून बहना बंद हो गया ।"

"हज़रत हमज़ा (रज़ि॰) इसी लड़ाई में शहीद हुए थे । हज़रत फ़ातिमा अपने चचा को याद करतीं और उनके उस एहसान को भी याद करतीं, जब उन्होंने उनकी शादी के मौक़े पर ऊंट ज़िब्ह किया था और लोगों को खाना खिलाया था । उनकी क़ब्र की ज़ियारत को जातीं, वहां रोतीं और उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करती थीं ।"

अन्य मौक़ों पर भी हज़रत फ़ातिमा ने मुजाहिदाना कारनामे दिखाए । जंगे उहुद, ख़ैबर में शरीक थीं । जंगे ख़ैबर में नबी (सल्ल॰) ने उन्हें 85 वस्क़ ख़ैबर का भेंट किया । इसी तरह हज़रत फ़ातिमा ने ग़ज़वा फ़त्ह में भी शरीक होकर बड़ा कारनामा अंजाम दिया ।

हुज़ूर (सल्ल॰) से मुहब्बत

हुज़ूर (सल्ल॰) से पूछा गया कि आपको कौन ज़्यादा महबूब है ? फ़रमाया, फ़ातिमा । इमाम ज़ेहनी फ़रमाते हैं कि हुज़ूर (सल्ल॰) के नज़दीक औरतों में हज़रत फ़ातिमा और मर्दों में हज़रत अली ज़्यादा महबूब थे । हुज़ूर (सल्ल॰) के दिल में हज़रत फ़ातिमा (रज़ि॰) की इतनी मुहब्बत थी कि जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता था । उनके शर्फ़ के लिए बस इतना काफ़ी था कि आप उनके इस्तक़बाल में खड़े हो जाते थे और उन्हें अपनी जगह बिठा देते थे । इस सिलसिले में इमाम बुख़ारी (रह॰) ने हज़रत आइशा (रज़ि॰) से रिवायंत की है । वे कहती हैं कि मैंने हज़रत फ़ातिमा से ज़्यादा किसी को नहीं देखा जो बातचीत, व्यवहार आदि में हुज़ूर (सल्ल॰) से ज़्यादा समानता रखता हो । आप जब हज़रत फ़ातिमा को आते हुए देखते तो ख़ुशआमदीद कहते, खड़े होकर उनका बोसा लेते फिर उनका हाथ पकड़कर अपनी जगह बिठा देते ।

हज़रत फ़ातिमा ने नबी (सल्ल॰) की मुहब्बत का यह आलम था कि आप उनकी सीरत से ख़ुशी महसूस करते थे । ख़ुशी के आसार आपके मुबारक चेहरे पर ज़ाहिर हो जाते थे । एक मर्तबा आपने महसूस किया कि हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा के बीच कुछ अनबन हो गयी है, जांकर सुलह कराई । आप (सल्ल॰) से पूछा गया कि आप एक ख़ास कैफ़ियत में उनके घर गये थे और बाहर आए तो हम ख़ुशी के आसार देख रहे हैं । आपने फ़रमाया, मुझे कौन बाज़ रख सकता है, मैंने अपने दोनों महबूबों के दर्मियान सुलह-सफ़ाई करा दी है ।

जिस तरह नबी (सल्ल॰) हज़रत फ़ातिमा की मसर्रत से ख़ुशी महसूस करते थे, उसी तरह उनकी तकलीफ़ से दुखी भी हो जाते थे । उनके हालचाल मालूम करने का बड़ा ध्यान रखते थे । बयान किया जाता है कि हज़रत अली ने अबू जहल की बेटी को निकाह का पैग़ाम देना चाहा । जब हज़रत फ़ातिमा ने सुना तो हुज़ूर (सल्ल॰) की ख़िदमत में हाज़िर हुईं और अर्ज़ किया, आपकी क़ौम समझती है कि आपकी बेटी को नाराज़ नहीं करेगी । यह अली हैं जो अबू जहल की बेटी से निकाह करने वाले हैं । आप मिंबर पर तशरीफ़ लाए और फ़रमाया, फ़ाति मा मेरे जिगर का टुकड़ा है, मैं उसे तकलीफ़ दिया जाना पसंद नहीं करता । एक ही आदमी के विवाह में रसूल की बेटी और अल्लाह के दुश्मन की बेटी नहीं रह सकती ।

हज़रत फ़ातिमा की रियायत में हज़रत अली ने निकाह का इरादा छोड़ दिया, जल्दी से उनके पास गये और खेद व्यक्त किया । और उम्र भर ऐसे काम से बचते रहे जिससे उन्हें दुख पहुंचे ।

बच्चों को ज़िम्मेदारी का एहसास कराएं

● आशीष कुमार कटियार

''अमन बेटा, दीदी के साथ डॉक्टर के यहां चले जाओ और वापस आते समय बाज़ार से यह थोड़ा-सा सामान भी लेते आना।''

बच्चों से कराए जाने वाले ऐसे छोटे-छोटे काम उन्हें ज़िम्मेदारी और दायित्व बोध का एहसास कराते हैं और ऐसे कार्यों को बच्चे खुशी-खुशी करते हुए स्वयं को परिवार का एक उपयोगी घटक मानकर गौरवांवित भी होते हैं।

अधिकांश अभिभावक बच्चों को 'बच्चा' ही मानकर उन्हें ऐसे कार्यों का अवसर ही नहीं देते अथवा 'इसे अभी सोने दो', 'उससे मत कहो, इतनी धूप में कहां जाएगा', 'उसमें अभी इतनी समझ कहां' इत्यादि कहकर उनकी उपेक्षा करते हैं और इसका परिणाम यह होता है कि ऐसे बच्चे किशोर हो जाने के बाद भी लल्लू ही बने रहंते हैं। उन्हें व्यावहारिक ज्ञान और जीवन की बातें भी नहीं पता होती। ऐसे बहुत से बच्चे जीवन भर दब्बू, संकोची और एकाकी बने रहते हैं। यहां तक कि वे सामान्य शिष्टाचार की बातें भी नहीं जानते।

बच्चों में ज़िम्मेदारी का एहसास जागृत करने के लिए उनकी योग्यता, क्षमता और प्रतिभा को जानें और परिवार के दैनिक क्रियाकलापों में इनकी रुचिनुसार इन्हें संलग्न करें। जो कार्य प्राय: बच्चों को ही करने चाहिएं, वे बच्चों से ही कराएं और उन्हें इसके लिए प्रेरित करते रहें। बच्चों को ज़िम्मेदारी और दायित्वबोध का एहसास कराने के लिए इन बातों का ध्यान रखें–

● बच्चों को आप जो भी कार्य करने के लिए सौंपे, उनकी सफलताओं पर उन्हें शाबाशी अवश्य दें तथा उनके कार्यों की सफलताओं की चर्चा घर-परिवार व उनकी मित्र मंडली में भी करें। इससे बच्चों का उत्साह बढ़ेगा।

● बच्चों में पूर्ण विश्वास व्यक्त करें।

● अगर बच्चा किसी कार्य में असफल होता है, परीक्षा में अनुत्तीर्ण होता है या आपकी अपेक्षानुसार सफल नहीं हो पाता तो इसके लिए उसे अपमानित न करें और न ही डांटें-फटकारें बल्कि उन कारणों को जानने की कोशिश करें, जिनकी वजह से बच्चा असफल हुआ है।

● किसी कार्य में असफल होने पर बच्चे को वह कार्य दोबारा करने को कहें और इसके लिए उसका उत्साहवर्द्धन करें।

● कुछ परिवारों में देखा जाता है कि बच्चे द्वारा कोई कार्य सफलतापूर्वक न किये जाने पर अभिभावक उसे आलसी, नाकारा तथा और भी न जाने क्या-क्या कहने लगते हैं। बच्चों को इस प्रकार हतोत्साहित करना उचित नहीं क्योंकि इससे बच्चों के अन्दर निराशा ही पैदा होती है।

● बच्चों का उचित मार्गदर्शन करें और उन्हें समझाएं कि असफलताओं से ही सफलता मिलती है। इससे प्रेरणा पाकर बच्चों में आत्मविश्वास तो पैदा होगा ही, साथ ही उन्हें अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास भी होने लगेगा।

● अभिभावकों को चाहिए कि वे बच्चों को सामाजिक, पारिवारिक और स्कूली ज़िम्मेदारियों से भी अवगत कराते रहें। समय से स्कूल पहुंचना, अपनी हर चीज़ को सहेजकर रखना, समय से तैयार हो जाना, इस तरह की आदतें बच्चों में विकसित करें।

● ज़िम्मेदारी का एहसास एक प्रेरणादायक कार्य है, इसलिए अभिभावक के रूप में आपकी यह ज़िम्मेदारी भी है कि जब कोई काम बच्चा न कर पाये तो उसका साथ देते हुए आप स्वयं वह कार्य करके दिखाएं और उसकी सफलता का श्रेय बच्चे को ही दें क्योंकि श्रेय पाकर बच्चे जहां प्रसन्नता का अनुभव करेंगे, वहीं वे उसके बाद इस तरह के कार्य खुद करने का प्रयास करेंगे और इसमें सफल भी होंगे।

बच्चों को सफलता का मूल्यांकन समाज में होता है और समाज हम से यही अपेक्षा करता है कि हम अपने बच्चों को सामाजिक संस्कार देकर उन्हें समाज का एक उपयोगी घटक बनाएं। बच्चों में ज़िम्मेदारी का एहसास जहां उनके भावी जीवन को सफलता का आधार प्रदान करता है, वहीं बच्चे अपने कर्तव्यों के प्रति सजग और प्रगतिशील होंगे। इसलिए एक अभिभावक होने के नाते आपका यह कर्तव्य है कि आप अपने बच्चों में दायित्व बोध एक संस्कार के रूप में विकसित करें।

मुनअम पब्लिक स्कूल

(इंगलिश मिडियम, सी॰बी॰एस॰ई॰, नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त)

महाराजगंज, पो॰ दादपुर, ज़िला हज़ारीबाग, (झारखण्ड)

नामांकण सूचना : एल के जी से कक्षा नवम् तक

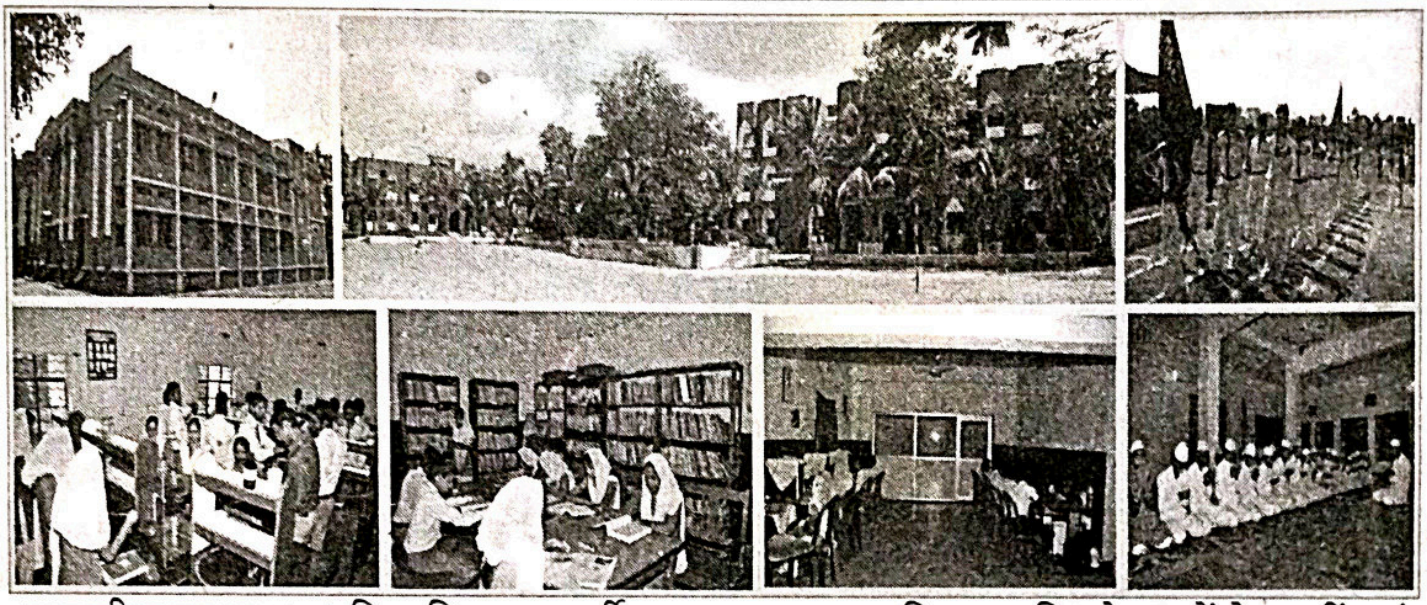

इस्लामी नहज पर आधुनिक शिक्षा का पूर्वी भारत का एकमात्र विद्यालय जिसके छात्रों ने दसवीं एवं बारहवीं के बोर्ड परीक्षा में शानदार कामयाबी हासिल की।

उपलब्ध सहूलियतें

विशाल कैंपस, भव्य इमारतें, छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग आरामदेह साफ़-सुथरे छात्रावास की व्यवस्था, साइंस एवं कंप्यूटर लैब, ज्ञानवर्धक किताबों से भरपूर पुस्तकालय, स्पोर्ट्स एवं पी॰टी॰ के लिए विशाल खेल मैदान, सभी विषयों के लिए अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों की टीम, नमाज़ पंजगाना के लिए ख़ूबसूरत मस्जिद।

नामांकण फ़ार्म मिलने की अंतिम तिथि : 15 मार्च 2016

एस॰एम॰ नईम	साद राशिद ख़ान नदवी	वकील अहमद
एम॰ए॰, बी॰एड॰ए॰ (अलीग॰)	फ़ाज़िल, नदवा, लखनऊ	एम एस सी , बी एड
निदेशक	छात्रावास अधिक्षक	प्राचार्य

विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें

मोबाइल : 09431530878/7739748279, वेबसाइट : munammission.org

ई॰मेल : hmpt.mission@gmail.com

विवाह का इस्लामी दृष्टिकोण

● अज़हर शमीम

'इस्लाम' एक संपूर्ण जीवन-व्यवस्था है । इस्लाम ने इन्सानों की ज़िन्दगी में आने वाली प्रत्येक समस्या का हल बता दिया है । रहन-सहन, खान-पान, सामाजिक बंधन, आर्थिक एवं राजनैतिक मामले, शादी-ब्याह, पहनावा-ओढ़ावा सभी क्षेत्रों में उचित मार्गदर्शन किया है । विवाह भी जीवन का एक अभिन्न अंग है । मानव-प्रकृति के अनुसार यौन-संतुष्टि का वैध साधन ।

इस्लाम धर्म ने अवैध यौन-संबंध को निंदनीय व घोर अपराध माना है । इसे चारित्रिक पतन का कारण बताया है । शादी-ब्याह एक सामाजिक ज़िम्मेदारी है । इस्लाम चाहता है कि लड़का व लड़की जब वयस्क हो जाएं तो उचित रिश्ता मिलते ही उनका घर बसा दिया जाए । शादी-ब्याह के मामले में अनावश्यक देरी, टाल-मटोल और बहानेबाज़ी को पसन्द नहीं किया गया है ।

इस्लाम यौन अराजकता पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाता है । इस्लाम में निकाह, और सिर्फ़ निकाह के घेरे में ही यौन संबंधों को मान्यता प्रदान की गयी है । कहा गया है कि इस ज़रूरत को तुम अवश्य पूरा करो, लेकिन नाजायज़ तरीक़े से, स्वच्छन्द तौर पर या लुक-छिपकर नहीं, बल्कि विधिवत विवाह करके ।

विवाह केवल वंश-वृद्धि के लिए ही आवश्यक नहीं है बल्कि यह समाज को यौन-अराजकता व यौन-उच्छृंखलता से भी बचाता है । अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने फ़रमाया–

"जिस व्यक्ति को अल्लाह औलाद से नवाज़े तो उसका काम यह है कि वह उसका अच्छा-सा नाम रखे, अच्छी शिक्षा-दीक्षा दे, और जब औलाद बालिग़ हो जाए तो उसका निकाह कर दे । अगर बालिग़ होने पर उसने औलाद का निकाह न किया और वह किसी गुनाह में पड़ गयी तो इसका वबाल उसके बाप पर होगा ।" (हदीस)

इस्लाम यह नहीं चाहता कि आंख मूंदकर आप अपने बेटे या बेटी के लिए अनाप-शनाप रिश्ता तय करें । इस्लाम यह चाहता है कि आप अच्छे और उचित रिश्तों के लिए कोशिश करें । इस्लाम यह नहीं चाहता कि आपको जो भी भला-बुरा रिश्ता मिले उसे आप स्वीकार कर लें । शादी एक गंभीर मामला है । पूरी ज़िन्दगी का सवाल है । शादी का न केवल पूरी दुनिया के बनने-बिगड़ने तक असर सीमित है, बल्कि परलोक के जीवन पर भी इसका असर पड़ता है । अतः जीवन-साथी के चुनाव में सोच-विचारकर क़दम उठाना आवश्यक है, लेकिन यह आवश्यक है कि यह सोच-विचार इस्लामी दृष्टिकोण से हो ।

चुनाव का जो आधार इस्लाम ने बताया है, वह बहुत महत्वपूर्ण है । आमतौर पर लोग विवाह के मामले में पांच बातें ध्यान में रखते हैं । माल-दौलत, ख़ानदान, सुन्दरता, दीन व अख़्लाक़ और शिक्षा । स्पष्ट है कि पांचों की अपनी-अपनी अलग अहमियत है । लेकिन आवश्यक नहीं है कि सभी को सब कुछ मिल जाए । जिस किसी को रिश्ते में ये सभी चीज़ें मिल जाएं उसे अल्लाह का शुक्र व नवाज़िश समझना चाहिए । लेकिन रिश्तों के चुनाव में दीन व अख़्लाक़ (इस्लामी चरित्र) को प्राथमिकता दी जानी चाहिए । क्योंकि दीनदार औरत और मर्द ही नयी पीढ़ी की ऐसी तर्बियत कर सकते हैं जो चरित्र-प्रधान समाज की स्थापना में मददगार सिद्ध हो सके ।

इस्लाम में कुछ रिश्तों में शादियां प्रतिबंधित हैं । ऐसे में तमाम मर्द व औरत, जो आपस में मिलकर रहते हैं या बहुत ही निकट संबंधी हैं, जैसे मां और बेटा, बाप और बेटी, सगा भाई व बहन, सगी फूफी व भतीजा, चाचा और भतीजी, मामू और भांजी, ख़ाला और भांजा, सौतेला बाप व बेटी, सौतेली मां और बेटा, सास और दामाद, ससुर और बहू, साली और बहनोई (जब तक बहन जीवित हो) और मां के

दूध में शामिल कोई भी लड़की व लड़का । ये ऐसे रिश्ते हैं, जिनमें आपस में शादियां नहीं हो सकतीं । ऐसी औरतों से भी रिश्ता क़ायम करना मना है, जो किसी दूसरे के निकाह में हों । क़ुरआन में आया है–"और वे औरतें भी तुम पर हराम हैं, जो किसी दूसरे के निकाह में हों ।" (4:24)

इस्लाम यौन अराजकता पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाता है । इस्लाम में निकाह, और सिर्फ़ निकाह के घेरे में ही यौन संबंधों को मान्यता प्रदान की गयी है । कहा गया है कि इस ज़रूरत को तुम अवश्य पूरा करो, लेकिन नाजायज़ तरीक़े से, स्वच्छन्द तौर पर या लुक-छिपकर नहीं, बल्कि विधिवत विवाह करके । विवाह की उद्घोषणा के बाद ऐलान की आवश्यकता इसलिए ज़रूरी है कि लोगों को मालूम हो जाए कि फ़लां-फ़लां एक-दूसरे के हो चुके हैं । अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने फ़रमाया–

"तुमको निकाह करना चाहिए, क्योंकि वह आंखों को बदनज़री (बुरी निगाह) से रोकने और यौन-इन्द्रियों की हिफ़ाज़त करने का बेहतरीन उपाय है और जो आदमी तुममें से निकाह करने की हैसियत में न हो वह रोज़ा (उपवास) रखे क्योंकि रोज़ा शहवत (वासना) को दबाने वाला है ।"
(तिरमिज़ी, बुख़ारी)

औरतों को निर्देश दिया गया है कि वह अपने मर्द से दूरी न पैदा करें । एक हदीस में आया है कि–

"जो औरत अपने शौहर से बचकर उससे अलग रात बिताए, उस पर फ़रिश्ते लानत भेजते हैं, जब तक वह (पति की ओर) पलट न आये ।" (बुख़ारी)

तात्पर्य यह है कि यौन-सुख प्राप्त करना स्त्री व पुरुष की अपेक्षा है और इसे रोका नहीं जा सकता । लेकिन यह विवाह के दायरे में जायज़ है और संतानोत्पत्ति के लिए भी आवश्यक है ।

इस्लाम ने औरत के मुक़ाबले में मर्द का एक दर्जा ऊपर रखा है । इसकी वजह यह है कि परिवार के भरण-पोषण की सारी ज़िम्मेदारी उसी पा डाली गयी है । उसे परिवार का मुखिया बनाया गया है । उसे ख़ानदान का हिफ़ाज़त करने वाला बनाया गया है । क़ुरआन में आया है–"मर्द औरत के मामले के ज़िम्मेदार हैं, इस आधार पर कि अल्लाह ने उनमें से एक को दूसरे के मुक़ाबले में आगे रखा है और इस आधार पर कि पुरुष अपने माल ख़र्च करते हैं ।" (4:34)

"मर्द औरतों के मामले के ज़िम्मेदार हैं ।" अर्थात ख़ुदा का यह हुक्म है कि औरतों की रक्षा, निगहबानी और उसकी ज़रूरतों को पूरा करने का ज़िम्मेदार मर्द है । औरत पर आजीविका उपार्जन की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है । इस प्रकार इस आदेश के द्वारा औरत को घर की मालकिन बनाया गया है ।

अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने औरतों के बारे में यहां तक फ़रमाया कि–"औरत अपने शौहर के घर की हुक्मरां है और वही अपनी हुकूमत के दायरे में अपने क्रिया-कलापों के लिए जवाबदेह है ।" (बुख़ारी)

"उस पर जुमा की नमाज़ वाजिब नहीं है ।"
(अबू दाऊद)

उस पर जिहाद में जाना अनिवार्य नहीं है । उसका जमाअत के साथ मस्जिद में नमाज़ पढ़ना ज़रूरी नहीं है । आवश्यकता पड़ने पर ही उसका घर से बाहर जाना ठीक समझा गया है । अगर औरत घर पर अकेली हो, खाने-पीने की कमी हो, बीमारी हो, मजबूरी हो; आर्थिक संकट व भूख का सामना हो तो वह घर से बाहर निकल सकती है । एक हदीस में कहा गया है–"अल्लाह ने तुमको आज्ञा दी है कि तुम अपनी आवश्यकता के लिए घर से निकल सकती हो ।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

औरत चाहे कुंवारी हो या शादीशुदा या विधवा उसे हरहाल में अकेले घर से निकलने पर मना किया गया है ।

तलाक़ का इस्लामी दृष्टिकोण

इस्लाम में मर्द व औरत के बीच विवाह एक समझौता होता है और मां-बाप सिर्फ़ वली (संरक्षक) हैं । विवाह में बिना किसी ज़ोर-ज़बरदस्ती के लड़की की सहमति आवश्यक है और दो गवाहों की मौजूदगी में लड़की की इजाज़त मिलने पर ही निकाह संपन्न होता है । इसे इस्लामी परिभाषा में ईजाबो-क़बूल कहते हैं । यह सिर्फ़ आपसी सहमति से कुछ शर्तों के साथ समझौता है न कि जन्म-जन्मांतर का संबंध । पति-पत्नी एक-दूसरे के सहयोगी व पार्टनर होते हैं । सुखी दाम्पत्य जीवन हेतु अति अनिवार्य है कि दोनों (पति-पत्नी) में मेल और प्रेम हो । प्रेम का अभाव हो जाने और दोनों में मेल न होने की स्थिति में दोनों का एक साथ रहना तनावपूर्ण होता है । रोज़-रोज़ के झगड़े से घर का सकून ग़ायब हो जाता है और कभी तो बात हत्या और आत्महत्या तक भी पहुंच जाती है । जिस समाज में तलाक़ का प्रावधान नहीं है, या है तो तलाक़ एक जटिल प्रणाली से गुज़रने के बाद ही

प्राप्त होती है, उस समाज का युवक अपनी पत्नी से पीछा छुड़ाने के लिए तलाक़ के बजाय जलाकर मार डालना ज़्यादा आसान समझता है ।

आपसी प्रेमभाव समाप्त हो जाने की स्थिति में भी इस्लाम पति-पत्नी को आदेश देता है कि यथासंभव निर्वाह करने और समझौता कर लेने का कोई मार्ग निकालें, किन्तु सारे मार्ग बन्द हो जाने और सुधार की कोई राह न रह जाने की स्थिति में इस्लाम स्पष्टतः उनके अलग हो जाने अर्थात तलाक़ का द्वार खोल देता है ।

तलाक़ के बारे में क़ुरआन में पैग़म्बर को संबोधित करके कहा गया है–

"ऐ नबी ! जब तुम लोग अपनी औरतों को तलाक़ दो तो उन्हें उनकी इद्दत के लिए तलाक़ दिया करो और इद्दत के समय की ठीक-ठीक गिनती करो और अल्लाह से डरो, जो तुम्हारा रब (मालिक) है । (इद्दत के समय में) न तुम उन्हें घर से निकालो और न वे ख़ुद निकलें, सिवाय इसके कि वे कोई स्पष्ट बुराई कर बैठें । ये अल्लाह की नियत की हुई सीमाएं हैं और जो कोई अल्लाह की सीमाओं का उल्लंघन करेगा, वह अपने ऊपर स्वयं अत्याचार करेगा । तुम नहीं जानते, शायद इसके बाद अल्लाह मेल-मिलाप की कोई सूरत पैदा कर दे । फिर जब वे अपनी (इद्दत की) सीमा पूरी कर लें तो या तो उन्हें भले तरीक़े से (अपने निकाह में) रोक लो या भले तरीक़े पर उनसे अलग हो जाओ और दो ऐसे आदमियों को गवाह बना लो जो तुममें न्याय करने वाले हों, और (ऐ गवाह बनने वालो) गवाही ठीक-ठीक अल्लाह के लिए दो ।" (65:1,2)

तलाक़ का उचित तरीक़ा यह है कि शौहर बीवी को उसकी इद्दत के लिए तलाक़ दे । तलाक़ देने में बड़ी ही मसलहत के साथ रोक-थाम की गयी है । यह कि तलाक़ देने में जल्दबाज़ी से काम न लिया जाए । लगभग हर घर में ही कभी-कभार किसी न किसी बात को लेकर कुछ न कुछ अनबन हो ही जाती है । इस अनबन में शौहर को धैर्य से काम लेना चाहिए । ऐसा न हो कि गुस्से में आकर झट से तलाक़ दे दें और निकाह के बंधन को इस तरह तोड़ दे कि मिलने की कोई गुंजाइश भी न छोड़े । ऐसा होने पर पछताना ही पड़ेगा और बेवक़ूफ़ी पर उम्र भर रोना पड़ेगा ।

इद्दत के लिए तलाक़ देने का मतलब यह है कि औरत पर जब उसका मासिक चक्र गुज़र जाए और वह स्वच्छ हो ले तो एक बार तलाक़ दी जाए । इसे तलाक़ रजई कहा जाता है । जब मासिक धर्म जारी हो तो उन दिनों में तलाक़ देना ठीक नहीं है । इसमें फ़ायदा यह है कि गुस्से में अगर शौहर ने तलाक़ दे दी तो मासिक हालत सामान्य हो जाने पर सुलह-समझौते की गुंजाइश रहती है ।

अच्छा यह है कि शौहर एक या दो तलाक़ पर रुका रहे । इसमें उसे औरत को दोबारा अपने निकाह में रखने की गुंजाइश रहती है । तीसरे तलाक़ से हर सूरत में बचने की ही कोशिश करनी चाहिए, रहा ऐसे लोगों के बारे में जो एक ही समय में तीन तलाक़ दे डालते हैं जैसा कि आजकल हो रहा है तो यह बड़ा ही मूर्खतापूर्ण तरीक़ा है । यह शरीअत में बहुत बड़ा गुनाह है । अल्लाह के पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने इसे बहुत बुरा बताया है । हज़रत उमर के बारे में है कि वे उस व्यक्ति को कोड़ों से पीटते थे जो एक ही वक़्त में तीन तलाक़ दे डालता था । अल्लाह के पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) एक ही बार में तीन तलाक़ दिये जाने को बहुत ही नापसंद करते थे ।

एक बार जब एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को एक ही बार में तीन तलाक़ दे डाला और यह बात पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल०) से बतायी गयी तो आप गुस्से में खड़े हो गये और कहा कि अल्लाह की किताब (क़ुरआन) के साथ खेल किया जा रहा है, जबकि मैं तुम्हारे बीच मौजूद हूं ।

अतः ठीक तो यही मालूम होता है कि एक साथ तीन तलाक़ देने वालों को ख़लीफ़ा उमर की तरह कोड़े मारे जाने की सज़ा दी जाए ताकि इस बुराई पर क़ाबू पाया जा सके । इस्लामी संविधान में कोई बुराई नहीं है, बुराई उन लोगों में है जो इस पर ठीक तरीक़े से अमल नहीं करते । इस्लाम में कुछ विशेष परिस्थितियों में औरतों को भी खुलअ् लेने का अधिकार दिया गया है जिसके अंतर्गत औरत स्वयं अपने पति से अलग हो सकती है । महर पूरी तरह से स्त्री-धन है और पति के द्वारा इसे जल्द से जल्द अदा कर देने की बात कही गयी है । यह हैसियत के मुताबिक़ होनी चाहिए, ताकि लड़का हीला-हवाला न कर सके और आसानी से अदा कर दे । तलाक़शुदा औरतों के भरण-पोषण की ज़िम्मेदारी बाप-भाई व वक़्फ़ बोर्डों पर है । वे या तो ऐसी औरतों का दूसरा निकाह करा दें अथवा स्वयं उनका भरण-पोषण करें । उन्हें असहाय न रहने दें । बच्चों के पालन-पोषण की ज़िम्मेदारी बाप पर होगी ।

रमज़ान : एक प्रशिक्षण मास

● संपादन प्रभाग

ईश्वर की भक्ति में लीन होकर मनुष्य उसके प्रति अपने समर्पण को व्यक्त करने के लिए सदैव से तप और उपवास करता आ रहा है । यही कारण है कि समस्त धर्मों में भक्ति का यह रूप पाया जाता है कि मनुष्य कुछ समय के लिए खान-पान से स्वयं को अलग करके अपने आपको उसकी उपासना में लीन कर देता है । ईसाई हों या यहूदी, हिन्दू हों या पारसी, समस्त धर्मों में यह प्रथा पायी जाती है।



ईश्वर ने जब इस्लाम को समस्त मानवजाति के लिए मार्गदर्शन बनाकर अपने अंतिम ईशदूत हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के माध्यम से कुरआन के रूप में भेजा, तो उसने मुसलमानों को इस सत्य से अवगत भी कराया कि तुमसे पूर्व के लोगों पर भी रोज़े अनिवार्य किये गये थे ।

"ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम्हारे लिए रोज़े अनिवार्य कर दिए गये, जिस तरह तुमसे पहले नबियों के अनुयायियों के लिए अनिवार्य किये गये थे । इससे उम्मीद है कि तुममें तक़वा पैदा होगा ।" (सूरह बक़रा : 183)

अनिवार्यता का उद्देश्य

रोज़ों के अनिवार्य किये जाने का उद्देश्य "तक़वा" की प्रवृत्ति को पैदा करना है । तक़वा से तात्पर्य है बुराइयों से बचना । जो लोग एकेश्वरवाद को स्वीकार कर स्वयं को उसी एक शक्तिशाली ईश्वर के समक्ष समर्पित करना चाहते हैं, उनसे आशा की जाती है कि वो स्वयं भी बुराइयों से बचें और समाज में फैली हुई बुराइयों को मिटाने का भरसक प्रयत्न करें, चाहे समाज उसका कितना ही विरोध करे ।

रमज़ान एक प्रशिक्षण शिविर

लोगों के विचार एवं व्यवहार में यह परिवर्तन इतना सरल न था, अत: ईश्वर ने यह आवश्यक समझा कि लोगों के अन्दर इस प्रवृत्ति को उत्पन्न करने के लिए उन्हें प्रति वर्ष पूरे एक माह का प्रशिक्षण दिया जाए । उसने अपने सर्वव्यापी ज्ञान के आधार पर प्रशिक्षण के लिए उस माह को चुना, जिसमें कुरआन का अवतरण हुआ था और वह था रमज़ान का महीना ।

"रमज़ान वह महीना है जिसमें कुरआन उतारा गया जो इन्सानों के लिए सर्वथा मार्गदर्शन है और ऐसी स्पष्ट शिक्षाओं पर आधारित है जो सीधा मार्ग दिखाने वाली और सत्य और असत्य का अन्तर खोलकर रख देने वाली है । अत: अब से जो व्यक्ति इस महीने को पाये उसके लिए अनिवार्य है कि इस पूरे महीने के रोज़े रखे...।" (सूरह बक़रा : 185)

प्रशिक्षण कैसे

इस पवित्र महीने के लिए ईश्वर ने एक माह का एक ऐसा कार्यक्रम गठित कर दिया है, जिसके पूरा करने में एक व्यक्ति को काफ़ी प्रयत्न करना पड़ता है ।

(1) पूरे महीने प्रतिदिन प्रात: सूर्योदय से (पौ फटने

रमज़ान के सामाजिक सरोकार



से) पहले उठना और कुछ भोजन ग्रहण करना ।

(2) प्रतिदिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक खान-पान और अपनी समस्त इन्द्रियों को अपने वश में रखना । इस अवधि में जल, फल, अन्न एवं हर प्रकार के खाने-पीने की वस्तुओं का प्रयोग करना मना है । इसी को इस्लाम में ''रोज़ा'' कहा जाता है ।

(3) सूर्योदय से पूर्व सामूहिक रूप से ईश्वर के समक्ष उपस्थित होकर उसके द्वारा बताए गये नियम व पद्धति के अनुसार उसकी उपासना (नमाज़ पढ़ना) करना ।

(4) इसी ''रोज़े'' की अवस्था में अपनी समस्त दिनचर्या को पूरा करना । इस्लाम की शिक्षा यह नहीं है कि ईश्वर की उपासना सामाजिक एवं पारिवारिक दायित्व का त्याग कर ही संभव है । इस्लाम के अनुसार तो इस दायित्व की पूर्ति के लिए भरपूर प्रयत्न करना भी ईश्वर की उपासना का एक अंग है ।

(5) सूर्यास्त के समय रोज़े की अवधि समाप्त होते ही, सामूहिक रूप से जलपान ग्रहण करना (इफ़्तार करना)। रोज़े की अवधि समाप्त होने के बाद भी जलपान ग्रहण न करना अनुशासनहीनता है ।

(6) फिर तत्काल सामूहिक रूप से ईश्वर के समक्ष उपस्थित होकर नमाज़ में लीन हो जाना, जिसे मग़रिब की नमाज़ कहते हैं ।

(7) उसके कुछ ही घंटे बाद रात्रि की नमाज़ (इशा की नमाज़) के लिए फिर उपस्थित हो जाना । इशा की नमाज़ के बाद तरावीह की नमाज़ पढ़ी जाती है, जिसमें प्रतिदिन थोड़ा-थोड़ा करके एक माह में पूरा पवित्र क़ुरआन पढ़ा जाता है ।

(8) इसके बाद रात्रि में सोने की अनुमति है, परन्तु ईशदूत हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) ने हमें प्रेरणा दी है कि हम मध्य रात्रि या उसके कुछ समय बाद उठकर एकांत में अपने ईश्वर के समक्ष तहज्जुद की नमाज़ में खड़े होकर उसके प्रति अपने समर्पण को व्यक्त करें ।

(9) इस अतिव्यस्त कार्यक्रम में पांचों नमाज़ों को उनके समय पर पूरा करना है और यदि संभव हो तो पूरे महीने में एक बार क़ुरआन का अध्ययन भी कर लें ।

(10) इस अति व्यस्त एवं कठिन कार्यक्रम में यह भी सम्मिलित है कि अपने पूरे वर्ष की आय एवं समस्त संपत्ति पर ज़कात भी निकाली जाए । इसकी मात्रा ईश्वर ने ही सुनिश्चित की है ।

रमज़ान के इस महीने में ईश्वर हमसे यह भी अपेक्षा करता है कि पूरा समय उसके बनाए हुए नियमों का पालन करेंगे और उनकी अवहेलना (अनादर) से बचने का भरसक प्रयत्न करेंगे और यदि समय के साथ इसमें सुस्ती आती है, तो अगला रमज़ान हमारे अन्दर नयी शक्ति का संचालन कर हमें फिर तक़्वा पर जमा देगा ।

रमज़ान का सामाजिक महत्व

रमज़ान मात्र मुसलमानों के इबादत का महीना नहीं है, बल्कि यह समाज-सुधार का भी एक शक्तिशाली माध्यम है ।

(1) तक़वा (ईशभय) : समाज में फैले हुए भ्रष्टाचार एवं अपराध को रोक पाने के समस्त प्रयत्न की असफलता से, ये सत्य अब उजागर हो गया है कि मात्र पुलिस और क़ानून के बल पर समाज से बुराइयों को समाप्त नहीं किया जा सकता । इसको समाप्त करने का एक ही रास्ता है और वो है "तक़वा" अर्थात लोगों के हृदय में इस भावना को जागृति करना कि वे ईश्वर के सामने उत्तरदायी हैं और इस कारण वह स्वयं अपने आपको समस्त बुराइयों से दूर रखें । रमज़ान इसी भावना को जागृति करने का महीना है ।

(2) ईश्वर से संबंध : ईश्वर से संबंध-विच्छेद (अलग होकर) करके समाज नैतिक पतन का शिकार हो जाता है, जैसा कि वर्तमान समाज में हुआ है । रमज़ान ईश्वर से संबंध सुदृढ़ करने का प्रभावशाली माध्यम है । अतः रमज़ान नैतिक पतन से समाज की रक्षा करता है और समाज के उत्थान में सहायक सिद्ध होता है ।

(3) अनुशासन : अनुशासनहीनता समाज के उत्थान में सबसे बड़ी रुकावट है । रमज़ान लोगों में अनुशासन की भावना पैदा करता है और उन्हें एक अच्छा नागरिक बनाता है ।

(4) सामूहिकता : लोगों के समूह का ही दूसरा नाम समाज है । सामूहिकता की भावना जितनी शक्तिशाली और दृढ़ होगी समाज भी उतना ही मज़बूत होगा । व्यक्तिवाद इसके लिए अति हानिकारक है । रमज़ान में सामूहिकता की स्थिति प्रबल होती है ।

(5) मानव-प्रेम : रमज़ान मानव-प्रेम का महीना है । ईश्वर के प्रति समर्पण लोगों में आपसी प्रेम और सौहाद्र तथा एक-दूसरे के काम आने की भावना पैदा करता है ।

(6) सहनशीलता एवं धैर्य : रमज़ान में ईश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए स्वेच्छा से हलाल चीज़ों को कुछ समय के लिए अपने ऊपर हराम कर लेने से सहनशीलता और धैर्य की भावना उत्पन्न होती है, जो समाज को शक्तिशाली बनाने के लिए अतिआवश्यक है ।

(7) ग़रीबी उन्मूलन : ग़रीबी समाज के लिए एक अभिशाप है । इसको दूर करने के सभी कार्यक्रम अब तक व्यर्थ सिद्ध हुए हैं । ज़कात ग़रीबी-उन्मूलन का एकमात्र रास्ता एवं विकल्प है । यह एक ईश्वरीय व्यवस्था है जिसमें धनाढ्य वर्ग स्वेच्छा से अपनी आय का एक अंश ग़रीबों को दे देता है और उसके बदले में उससे किसी भी प्रकार के लाभ की आशा तक नहीं रखता । इस ईश्वरीय व्यवस्था को

रोज़ा रखने से मिली आत्मिक शांति



"रोज़ा रखने से मुझे सुकून मिलता है और मेरे ज़ेहन को ईमानदारी और शांति से काम करने की ताक़त मिलती है । पिछले 26 सालों से मैं रोज़े रख रही हूं अब तो यह मेरी ज़िन्दगी का एक हिस्सा है और मैं बेसब्री से रमज़ान के महीने का इंतिज़ार करती हूं । यह कहना है मुंबई पुलिस की सीनियर महिला अफ़सर सुजाता पाटिल का । रमज़ान के इस पवित्र महीने में सुजाता बाक़ी की तरह ही सुबह वक़्त पर सहर के लिए उठती हैं और दिन भर रोज़ा रखती हैं और शाम के वक़्त इफ़्तार करती हैं । यह सब वह 27 सालों से लगातार करती आ रही हैं । हालांकि पुलिस कैरियर में उनकी इस पाक आदत से उन्हें कई बार अपने अफ़सरों के गुस्से का शिकार भी होना पड़ा, लेकिन सुजाता डटी रहीं और रोज़े रखना जारी रहा ।

अगर सामूहिकता के साथ सुनियोजित ढंग से लागू किया जाए, तो इसमें इतनी शक्ति है कि यह समाज से ग़रीबी को पूर्ण रूप से समाप्त कर दे । इतिहास साक्षी है कि ऐसा पहले हो चुका है ।

रमज़ान और क़ुरआन

रमज़ान वो महीना है जिसमें क़ुरआन का अवतरण हुआ, जिसे ईश्वर ने समस्त मानवजाति के मार्गदर्शन के लिए भेजा और जिसके बारे में ईश्वर ने यह भी बता दिया कि क़ुरआन संसार की समस्त चीज़ों से अधिक महत्वपूर्ण हैं :

"ऐ नबी (सल्ल०), कहो कि "यह अल्लाह का अनुग्रह और उसकी दया है कि यह चीज़ उसने भेजी, इस पर तो लोगों को ख़ुशी मनानी चाहिए, यह उन सब चीज़ों से उत्तम है जिन्हें लोग समेट रहे हैं ।"

(सूरह यूनुस : 58)

अर्थात एक प्रकार से रमज़ान क़ुरआन के अवतरण का वार्षिकोत्सव है, जिससे प्रतिवर्ष क़ुरआन से हमारे संबंध का नवजागरण होता रहता है और ईश्वरीय मार्गदर्शन से हमारा संबंध टूटने नहीं पाता ।

ईद का त्योहार वास्तव में क़ुरआन के अवतरण की ख़ुशी मनाने का त्योहार है, जो रमज़ान समाप्त होने के अगले ही दिन मनाया जाता है ।

रमज़ान इस भावना को भी नया जीवन देता है कि क़ुरआन मात्र मुसलमानों की धार्मिक पुस्तक नहीं है, बल्कि यह तो समस्त मानवजाति के लिए है और यह तो पूरे संसार को प्रकाशमय करने आयी है और यह मुसलमानों का कर्तव्य है कि वे इस ईश्वरीय संदेश को विश्व के कोने-कोने तक पहुंचाए अन्यथा उन्हें ईश्वर के सामने कठोर दंड भुगतना पड़ेगा ।

'कान्ति' (मा०) का आगामी विशेषांक

'इस्लामी जीवन दर्शन'

लेख एवं अन्य सामग्रियां आमंत्रित हैं–

संपादक, 'कान्ति' (मा०), दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नई दिल्ली-25

E-mail : editorkanti@yahoo.com

ग़रीबी उन्मूलन और ज़कात

● संपादन प्रभाग

इस्लाम ने भीख मांगने की प्रवृत्ति को अवैध ठहराया है और उसने इस व्यवस्था की कठोर निंदा की है ताकि प्रत्येक व्यक्ति मेहनत, परिश्रम से ही धन अर्जन करे और ग़रीबी समाप्त हो सके । आप (सल्ल॰) ने कहा कि जिसने भीख मांगने का रास्ता अपनाया, अल्लाह उसके लिए ग़रीबी का रास्ता खोल देता है । व्यक्ति की बुनियादी आर्थिक समस्या यह है कि देश के विकास को बनाए रखते हुए किस प्रकार उसकी आवश्यकताओं को पूरा किया जाए और किस प्रकार क्षमता एवं योग्यता के अनुसार अपने एवं समाज के विकास तथा अपने लक्ष्य तक पहुंचने के अवसर उसे प्राप्त हो सकें ।

इस्लाम के आर्थिक़ प्रबंधन में इन्हीं मूल समस्याओं का समाधान होता है । संपूर्ण मानवता की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु साधनों की उपलब्धता उसकी दृष्टि में रहती है । इस प्रकार जब व्यक्ति धन कमाने लगता है तो उस पर धन कमाने में वैधता की लगाम भी लगायी जाती है कि वह अवैध एवं भ्रष्ट तरीक़े न अपनाए तथा इस्लाम, संपत्ति को जोड़-जोड़कर संग्रह करने की क्रिया की भी स्पष्ट शब्दों में निंदा करता है, क्योंकि इस प्रकार से संपत्ति की परिक्रमा कुछ ही लोगों तक सिमटी रह जाती है । दूसरी ओर प्राकृतिक रूप से संपत्ति समेट-समेटकर एकत्रित करने वाला स्वयं की कुआचरण के रोग, कंजूसी से ग्रस्त हो जाता है । इस संबंध में पवित्र कुरआन (3:180) में उस व्यक्ति को दुष्परिणाम का संकेत देता है, "और जो लोग मंजूसी करते हैं उस चीज़ में अल्लाह ने उन्हें अपने फ़ज़्ल (कृपा) में से दिया है, वे हरगिज़ यह न समझें कि यह उनके हक़ में अच्छा है । बल्कि यह उनके हक़ में बहुत बुरा है, जिस चीज़ में कंजूसी कर रहे हैं उसका क़यामत के दिन उन्हें तौक़ पहनाया जाएगा । आकाशों और धरती की विरासत अल्लाह ही के लिए है, और अल्लाह जो कुछ भी तुम करते हो जानता है ।"

पवित्र कुरआन (9:34) में कहा गया–"ऐ ईमान लाने वालो ! अह्ले किताब के अक्सर विद्वान व धर्मगुरु लोगों के माल वैध तरीक़ों से खाते हैं और लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं और जो लोग सोना-चांदी जमा करके रखते हैं और उन्हें अल्लाह की राह में ख़र्च नहीं करते हैं, उन्हें भयंकर दुख देने वाली यातना की मंगल सूचना दे दो ।"

यह इस्लाम की आर्थिक नीति की वे विशेषताएं हैं जो पूंजीवाद की जड़ पर सीधा प्रहार करती हैं, क्योंकि पूंजीवाद का उद्देश्य बचत को जमा कर संपत्ति को लगाने तक सीमित रहता है, लेकिन इस्लाम ग़रीबी को मिटाने हेतु ख़र्च करने की शिक्षा देता है जिनमें कल्याणकारी कार्य निहित होते हैं । पवित्र कुरआन इस संबंध में (2:219) बताता है कि "...और वह तुमसे पूछते हैं कि कितना ख़र्च करें ? कह दो : जो तुम्हारी आवश्यकता से अधिक हो...।"

'और तुम्हारी संपत्ति में मांगने वाले धनहीन का हक़ है ।"

(कुरआन, 5:19)

इस्लाम कहता है कि ख़र्च करने से व्यक्ति ग़रीब नहीं हो जाएगा बल्कि उसकी संपत्ति बढ़ेगी और उसमें बरकत होगी । "शैतान तुम्हें निर्धन होने से डराता है और कंजूसी जैसी शर्मनाक बात का आदेश देता है मगर अल्लाह तुमसे बख़्शिश और अधिक व्यापकता का वादा करता है ।"

(कुरआन, 2:268)

वास्तव में इस्लाम के ये दृष्टिकोण बहुत ही मज़बूत आधारों पर स्थापित हैं, क्योंकि धन को संग्रहित करने और उसको ब्याज के द्वारा समाज में चलाने से धन सिमट-सिमटकर कुछ लोगों के हाथों में इकट्ठा हो जाता है और जनसाधारण की ख़रीदने की शक्ति दिन-प्रतिदिन घटती चली जाती है जिसके परिणामस्वरूप उद्योग व्यवसाय की आर्थिक नीति में मंदी का दौर दिखायी देने लगता है । इस प्रकार अनेकों की आर्थिक ज़िन्दगी विनाश के दुहाने पर पहुंच जाती है जो अंततः पूंजीवाद के भी विनाश के दुहाने पर पहुंच जाती है ।



ऐसे विनाश को रोकने के लिए इस्लामी आर्थिक नीति ज़कात का प्रबंधन हितकारी बन जाता है, और उन लोगों को जिन्हें अपने परिश्रम से आवश्यकता से अधिक धन प्राप्त किया जाता है। उन्हें धन संग्रहित न करते हुए बहुत से दान में ख़र्च किया जाता है। जिसमें सोसायटी के निम्न वर्ग के लोग ही लाभ उठा सकते हैं। इस प्रकार इस्लाम जहां अपनी उत्तम शिक्षा एवं प्रेरणा के प्रभावी उपायों से समाज में कल्याण, बंधुत्व एवं एकता तथा पारस्परिक सहयोग की चेतना पैदा करता है वहीं ज़कात के प्रबंधन द्वारा पूंजीवादियों की संपत्तियों में से एक भाग सोसायटी के कल्याण हेतु अति आवश्यक रूप से निकलवाता है।

"ऐ नबी ! तुम उनके मालों में से सदक़ा लेकर उन्हें पवित्र करो और नेकी की राह उन्हें बढ़ाओ।"

(क़ुरआन, 9:13)

ज़कात की ऐसी व्यवस्था पर कहा जाता है कि यह मुस्लिम समुदाय की कोऑपरेटिव सोसायटी है, यह उनकी इंश्योरेंस कंपनी है, यह उनका प्रोविडेंट फंड है, यह उनका असहायों का दान पूंजी है, यह उनके अपाहिजों, बीमारों, अनाथों, विधवाओं का आर्थिक साधन है और इन सबसे बढ़कर यह वह चीज़ है जो मिल्लत को भविष्य की चिंता से मुक्त कर देती है। उसका सीधा-सादा सिद्धांत यह है कि आज तुम धनी हो तो तुम दूसरों की सहायता करो और अगर कल तुम असहाय हो गये तो दूसरे तुम्हारी सहायता करेंगे। तुम्हें यह चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि ग़रीब हो गये तो क्या होगा ? मृत्यु हो गयी तो पत्नी और बच्चों का कैसे बनेगा ? कोई आपदा आन पड़ी, रोगी हो गये, घर में आग लग गयी, बाढ़ से नुक़सान हो गया, दीवालिया निकल गया, तक इन सब परेशानियों से निकलने का क्या रास्ता होगा ? यात्रा में रुपये न रहे तब शेष सफ़र कैसे संभव होगा ? इन सब चिंताओं से मात्र ज़कात परेशानी को दूर करने का माध्यम बन जाती है।

तुम्हारा काम मात्र इतना है कि जमा पूंजी में से ढाई प्रतिशत राशि को अल्लाह की इंश्योरेंस कंपनी में अपना बीमा करा लो, क्योंकि इस समय तुमको इस धन की आवश्यकता नहीं है। यह उनकी आवश्यकताओं का धन है जिसे उसकी आवश्यकता रखते हैं। कल जब तुम उसकी आवश्यकताओं में जाओगे या तुम्हारा कोई इस धन की आवश्यकता की श्रेणी में आएगा तो न मात्र तुम्हारा अपना दिया हुआ माल बल्कि उससे भी अधिक तुम को वापस मिल जाएगा।

इस प्रकार इस्लामी आर्थिक नीति के इन उद्देश्यों से ग़रीबी को मिटाना अत्यधिक संभव है। क्योंकि इस्लाम ज़कात, दान द्वारा धन को सभी व्यक्तियों तक पहुंचाता है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति क्रय-विक्रय में भागीदार बन सकें। लघु उद्योगों को बढ़ाने में तथा उसके द्वारा खेतियां फले-फूले व्यापार से अत्यधिक मिल सके तथा जनसाधारण में कुछ एक करोड़पति, लखपति न हो बल्कि सब ख़ुशहाल प्रसन्नचित हों।

"निश्चय ही शैतान तुम्हारा शत्रु है। अतः तुम उसे शत्रु ही समझो। वह तो अपने गिरोह को केवल इसीलिए बुला रहा है कि वे दहकती आग वालों में सम्मिलित हो जाएं।"

(क़ुरआन, 35:6)

"क्या तुम्हारे पास कोई स्पष्ट प्रमाण है ? तो लाओ अपनी किताब, यदि तुम सच्चे हो।"

(क़ुरआन, 37:156,157)

आवश्यकता से अधिक माल पर ज़कात वाजिब

■ डॉ॰ रज़ीउल इस्लाम नदवी

सोना, चांदी नक़्द रक़म और माल-ए-तिजारत की ज़कात में चालीसवां हिस्सा यानी ढाई प्रतिशत निकालना फ़र्ज़ है । मिसाल के तौर पर अगर किसी व्यक्ति के पास चालीस हज़ार रुपये हैं तो उसे उनकी ज़कात एक हज़ार रुपये निकालने होंगे ।

ज़कात वाजिब होने के लिए शर्त यह है कि आदमी के पास जो माल है वह उसकी मूल आवश्यकताओं से अधिक हो । मूल आवश्यकताओं में जो चीज़ें क़ाबिले ऐतिबार है वे निम्नलिखित हैं–

(1) अपने और अपने परिजनों तथा ज़ेरे-किफ़ालत रिश्तेदारों के ज़रूरी ख़र्चे ।

(2) रिहाइशी मकान, कपड़े, सवारी, कारख़ाने के औज़ार, मशीनें और दूसरे रोज़ी प्राप्त करने के माध्यम, जिनसे कोई व्यक्ति रोज़ी कमाता है ।

(3) मूल आवश्यकताओं का संबंध हर ज़माने, क्षेत्र और व्यक्तियों की हालात और उनके जीवन-स्तर की रोशनी में होगा ।

(4) केवल साल भर के ख़र्चों का ऐतिबार होगा ।

('नये मसाइल और इस्लामिक फ़िक़्ह अकेडमी के फ़ैसले', पृष्ठ-53)

ज़कात कब वाजिब होगी ?

किसी माल पर ज़कात वाजिब होने के लिए दूसरी शर्त है कि उस पर एक साल गुज़र गया हो, यानी वह उसके मालिक के पास एक साल तक रहा हो । इस सिलसिले में चंद बातें याद रखने की हैं–

(1) यदि शुरू साल में इतनी रक़म थी जिस पर ज़कात वाजिब होती थी, लेकिन साल पूरा होने से पूर्व समाप्त हो गयी तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी ।

(2) यदि साल के शुरू में ज़कात के निसाब भर रक़म थी, बीच में कम हो गयी, लेकिन साल के आख़िर में फिर उतनी रक़म हो गयी जिस पर ज़कात अनिवार्य होती है तो बीच के चंद महीनों में रक़म कम होने से ज़कात स्थगित (मन्सूख़) नहीं होगी ।

(3) यदि किसी व्यक्ति के पास मानो साल के शुरू में पचास हज़ार रुपये थे, और साल के अंत में उसके पास सत्तर हज़ार रुपये हो गये तो उसे सत्तर हज़ार रुपये की ज़कात अदा करनी होगी ।

(4) साल की शुरुआत उस समय से मानी जाएगी जब से मालिक-ए-माल साहिब-ए-निसाब हुआ होगा ।

किन चीज़ों पर ज़कात है और किन पर नहीं ?

1. यदि कोई व्यक्ति किसी कारख़ाने का मालिक है तो उसकी उन तैयार माल पर ज़कात अनिवार्य होगी जो अभी बिका नहीं है और जिनका अभी स्टॉक मौजूद है ।

2. कारख़ाने में लगी हुई मशीनों और सामान तैयार करने वाले उपकरणों पर ज़कात नहीं है ।

3. यदि कोई व्यक्ति किसी दुकान का मालिक है तो उसमें मौजूद समस्त व्यापार से संबंधित माल पर ज़कात अदा करनी होगी ।

4. निजी प्रयोग की वस्तुओं जैसे, फ़र्नीचर, बर्तन, कपड़ों आदि पर ज़कात नहीं है ।

5. मकान, ज़मीन, जायदाद, यदि व्यापारिक मक़सद से न हों तो उन पर भी ज़कात नहीं है ।

6. किसी व्यक्ति के पास कई मकान हों और वह उन्हें किराये पर उठाता हो या कुछ दूसरी चीज़ों हों जिन्हें किराये पर चलाता हो तो उन पर ज़कात नहीं है । हां, किराये से प्राप्त होने वाली रक़म यदि निसाब को पहुंच जाए और उस पर एक साल गुज़र जाए तो उस पर ज़कात अनिवार्य होगी ।

आभूषण पर ज़कात

औरतें ज़ेब-व-ज़ीनत के लिए सोने-चांदी के जो आभूषण बनवा लेती हैं, उन पर ज़कात फ़र्ज़ है या नहीं, इस विषय में उलमा का मतभेद है ।

अपना ख़ून

■ रोहित यादव

सावन के आते ही बरसात होने लगी और किसानों ने अपने-अपने हल और बैल संभाल लिए थे । आशाराम अपने परिवार के साथ घर बैठा था । उसके तीन लड़के हैं । सबसे बड़ा यादराम भारतीय सेना में नौकरी करता है । वह अपने मां-बाप से अलग रह रहा है । उसके अलग होने का कारण उसकी मां और पत्नी में अनबन होना था । आशाराम के दोनों छोटे बेटे उसके सांझे में हैं । यादराम दो मास के अवकाश पर घर आया हुआ है ।

''काका, तुमने जो दो बीघा खेत रामदीन के पास रहन किया हुआ है, वह आज मैंने पैसे देकर छुड़ा लिया है । अब वह ज़मीन मेरे क़ब्ज़े में रहेगी और अबकी बार मैं उस पर फ़सल बोऊंगा''–अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए यादराम ने कहा ।

''तू कैसे बोयेगा ? जब तक मैं हूं, तब तक तुम तीनों का मेरी ज़मीन पर कोई हक़ नहीं है । तुम उस खेत को नहीं जोतोगे''–

आशाराम ने आवेश में आकर कहा ।

''मैं उस खेत को ज़रूर बोऊंगा । अगर मैं उसे रामदीन से नहीं छुड़वाता, तब भी वह जोतता और आपके हिस्से कुछ नहीं आता''–

''वह बात अलग थी । जब तुमने उससे छुड़वा ही लिया है, तो वह खेत मेरा अपना है । अब उस पर मेरा ही हक़ है''–

''काका, कैसी बेढ़ंगी बातें कर रहे हो, मैंने अपने बच्चों का गला घोंटकर पैसा इकट्ठा किया और पूरे दो हज़ार रुपये रामदीन को रोकड़ा दिये हैं, ताकि तुम्हारे द्वारा रहन की हुई ज़मीन को छुड़वा सकूं''–

''किसने कहा था, तुम्हें अपने बच्चों का गला घोंटकर वह ज़मीन छुड़वाने के लिए । मैं तुम्हें वह खेत बिल्कुल नहीं जोतने दूंगा''–

''काका, कैसी मूर्खों वाली बात कर रहे हो ? मां तुम ही समझाओ इनको । चलो, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं । लेकिन उस ज़मीन को तब तक जोत लेने दो जब तक उससे मैं अपने दो हज़ार रुपये न निकाल लूं । बाद में वह ज़मीन तुम्हारी । उस पर मेरा कोई हक़ नहीं होगा''–

''नहीं...बिल्कुल नहीं । मैं तुम्हें खेत हरगिज नहीं जोतने दूंगा''

–आशारा ने दृढ़ स्वर में कहा ।

''काका, तुम समझते क्यों नहीं ? उस खेत को पराये भी जोत रहे थे । मैं तो तुम्हारा अपना हूं''–

''नहीं''–

''काका, मैंने रामदीन से वह ज़मीन छुड़वाने के काग़ज़ात बनवा लिए हैं । मैं अलग हुआ तब भी मुझे कुछ नहीं दिया । इसका मतलब यह हुआ कि तुम मुझे खाता-पीता नहीं देख सकते''–

''भैया, बेकार की बातें मत करो । काका ने न कर दिया, फिर बहस क्यों कर रहे हो ?'' उसके भाई लालाराम ने गुस्से में आकर कहा ।

''अरे...मैं तो समझ रहा था कि तुम समझदार हो गये हो, लेकिन तुम भी काका की तरह पुराने ढ़र्रे पर ही चल रहे हों । तुम्हारी ज़मीन छुड़ाकर गांव-बस्ती में तुम्हारी नाक कटने से बचा ली और तुम मुझे ही दाब-धौंस दे रहे हो''–

''मैं कहता हूं कि आप यहां से चले जाओ...वरना ?''

लालारांम की बात को यादराम ने बीच में ही काट दिया और कहा–

''वरना...क्या कर लेगा ? मैं कल खेत को जोतूंगा । तुम्हें जो आये करना''–

वहां से उठकर यादराम अपने घर आ गया । उसकी पत्नी और उसका लड़का अजय उसकी राह देख रहे थे । चारपाई पर बैठते हुए यादराम ने पत्नी से कहा–

''कल खेत को जोतना है, क्योंकि मेरी छुट्टी भी थोड़ी रह गयी है । मैं रामकुमार का हल भाड़े पर कर आता हूं । तब तक तुम बीज का प्रबंध कर लो''–

''बीज तो तैयार है, मैंने पहले से ही मंगाकर रख लिया है''–

उसकी पत्नी रामप्यारी ने जवाब दिया ।

पंचायत की सहायता से यादराम खेत को जोत कर चला गया । उनके बीच कोई विशेष झगड़ा नहीं हुआ । खेत में बाजरे की फ़सल लहलहा उठी । फ़सल को देखकर आशाराम का दिल ललचा उठा । जब फ़सल पक कर तैयार हुई, तो आशाराम ने अपने दोनों लड़कों को बुलाकर कहा–

"तुम कल जाकर खेत की लावणी कर लो । अबकी बार तो भगवान ने बहुत अच्छी फ़सल दी है"–

दूसरे दिन दोनों भाई फ़सल की लावणी करने के लिए खेत में चले गये । इस बात की भनक रामप्यारी को भी लग गयी । उसने खेत में जाकर अपने देवर लालाराम से कहा–

"देवर जी, हमने बड़े दुख उठाकर तो यह ज़मीन रामदीन से छुड़ाई है । तुम इस फ़सल को मत काटो ।"

"चल हट, बड़ी आयी है, दुख उठाने वाली"–

लालाराम ने उसे धक्का देते हुए कहा ।

रामप्यारी हिम्मत करके फिर लालाराम के पास आयी और कहा–"देवर जी, भगवान के लिए इतना बड़ा अत्याचार न करो, चलो आधा बांट कर खेत काट लेते हैं, तुम्हारे भाई से मैं बात को छिपा लूंगी"–

"हटती है या नहीं, वरना मार-मारकर थोबड़ा सुजा दूंगा । आई है भाषण देने, नीच ख़ानदान की"–

ख़ानदान का नाम सुनते ही रामप्यारी का सोया बदन जाग उठा । उसके होठ थरथरा उठे–

"देवर लालाराम । ख़ानदान तक मत जाओ । ऊंच-नीच की बात सोचकर तो मैं चुप हूं वरना चोरी और सीना जोरी ?"

इतनी बात सुनकर तो लालाराम का पारा सातवें आसमान को छू गया । वह रामप्यारी को पीटने लगा ।

"सरपंच साहब, देखो वे दोनों भाई हमारी बाजरे की फ़सल को काट रहे हैं । जब मैंने उन्हें रोकना चाहा तो उन्होंने लात और मुक्कों से मुझे मारा"–

"अब मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूं ?"

सरपंच ने मूछों पर ताव देते हुए कहा ।

"आप मेरे साथ थाने तक चलिए"–

रामप्यारी ने याचना भरे स्वर में कहा ।

"इस हाल में तुम्हारी वहां कौन सुनेगा ? न कहीं ख़ून लग रहा है और न कहीं सूजन आ रही है । मेरी बात मानो तो उनके साथ जमकर लड़ाई करके आओ"–

सरपंच ने कहा ।

सरपंच की बात रामप्यारी को अच्छी लगी । खेत में जाकर उसने अपने देवर को भला-बुरा कह डाला । बस फिर क्या था ? लालाराम ने गुस्से में आकर रामप्यारी का सिर फोड़ डाला । रामप्यारी ख़ून से नहा उठी । वह इसी अवस्था में सरपंच को साथ लेकर थाने में पहुंच गयी । रिपोर्ट लिखकर पुलिस ने उन दोनों भाइयों को गिरफ़्तार कर लिया । पुलिस ने आवश्यक कार्यवाही पूरी करने के बाद

दोहे

रचना का अनुभूति से, है गहरा संबंध
फूल खिले अनुभूति के, फैले सरस सुगंध
होती है अनुभूति तो, तब बनती है बात
इसी लिए अनुभूति को, कहते हैं सौग़ात
पाते हैं अनुभूति से, क्या-क्या चतुर सुजान
तुलसी-सूर-कबीर क्या, क्या मीरा-रसखान
दिव्य फूल अनुभूति के, लगते सुधा समान
जिसमें खिलते फूल ये, वह मन है उद्यान
मारा है अनुभूति का, 'नीरज' का हर छन्द
बच पाया इससे कहां, स्वामी श्यामानन्द ।

डॉ॰ स्वामी श्यामानंद सरस्वती

दिल्ली

उपवन-उपवन फूल हैं, नदियों में तेजाब ।
आंसू पीती आंख है, पीते अधर शराब ।।
अगर गिरा तो टूट कर, होंगे खंड हज़ार ।
मनुज सभ्यता की चढ़ा, उच्च कुतुब मीनार ।।
बाहर रंगों की चमक, भीतर चकनाचूर ।
महानगर की सभ्यता, का है यह दस्तूर ।।
भोर उवासी ले रही, थकी-थकी सी शाम ।
दौड़ लगाती दोपहर, सभ्य नगर के नाम ।।
अधरों पर मोहक हंसी, भीतर कुटिल प्रहार ।
दिया सभ्यता ने हमें, जीवन-रस उपहार ।।

डॉ॰ रामसनेही लाल शर्मा 'यायावर'

फ़ीरोज़ाबाद

मुक़दमे को अदालत में पेश कर दिया । झगड़े की सूचना पत्र द्वारा यादराम के पास भी भेज दी गयी । यादराम ने भी अपने विभाग से अपने भाइयों और बाप के विरुद्ध पुलिस को प्रार्थना पत्र भिजवा दिया ।

मुक़दमे में तो पैसे लगते हैं । आशाराम की आर्थिक हालत पहले से ही अच्छी नहीं थी । अब कहीं मुंशी को पैसा देना तो कहीं वकील को । जिन लोगों से उसने रुपये उधार लिये थे, उन लोगों ने उसकी चार बीघा रहन कर ली । आशाराम के शुभचिंतकों ने उसे बहुत समझाया कि अब भी समय है, समझ जाओ वरना भारी अनर्थ हो जाएगा । यादराम के बच्चे किसी ओर के नहीं तुम्हारे अपने हैं । गुस्सा थूक दो और उन बच्चों को गले लगा लो । परंतु आशाराम ने एक न मानी ।

दरार बढ़ती गयी और आशाराम को केस लड़ने के लिए रुपये उधार लेने पड़ते रहे । इस तरह आशाराम को सात बीघा ज़मीन रहन करनी पड़ी ।

समय का चक्र चलता रहा । देश पर युद्ध के बादल मंडराने लगे । हमारे देश का शत्रुदेश ने आक्रमण कर दिया । इस दौरान रामप्यारी को उसके पति की कुशल-क्षेम का कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ । मां-बेटे घर के आगन में बैठे हुए थे तभी डाकिये ने आकर रामप्यारी को एक पत्र दिया । ''क्या लिखा है ?'' लड़खड़ाती आवाज़ में रामप्यारी ने पूछा ।

डाकिये ने रामप्यारी को पत्र का सार पढ़कर सुना दिया । डाकिये के शब्द पिघले शीशे के समान रामप्यारी के कान में उतरते चले गये । ''हवलदार यादराम युद्ध में काम आया''–''नहीं...ऐसा नहीं हो सकता''–रामप्यारी दहाड़ मार कर रो पड़ी ।

रामप्यारी के रोने की आवाज़ सुनकर पास-पड़ोस के लोग उसके घर आकर इकट्ठा होने लगे थे । यादराम की शहादत की ख़बर सारे गांव में आग की तरह फैल गयी । देखते-देखते सारा गांव उमड़ पड़ा था । सबकी आंखें आंसुओं से सजल थीं । उसका ससुर आशाराम भी वहां आया । उसे देखते ही रामप्यारी उसकी छाती से जा लगी । आशाराम का सब्र का बांध टूट गया । लेकिन उसने अपने आपको संयत करते हुए कहा–''बेटी रामप्यारी, मैं कितना बदनसीब बाप हूं । जिस बेटे ने अपने वतन के लिए जान क़ुरबान कर दी और मैं उसी बेटे के साथ ज़ुल्म और अत्याचार करता रहा । आज मेरी छाती फटी जा रही है''–

आगे आशाराम कुछ न बोल सका और बच्चों की भांति रोने लग गया ।

''आशाराम आज तेरी छाती फटनी नहीं चाहिए । तेरी छाती तो गर्व से चौड़ी होनी चाहिए कि तुम एक बहादुर बेटे के बाप हो''–

ऐसा सुनकर आशाराम अपनी आंखें पोंछने लगा, और उस आदमी की तरफ़ देखने लगा, जो बातें बड़े गर्व से कहता जा रहा था ।

''जिस वीर की बहादुरी पर हमारी सरकार ने उसे मरणोपरांत 'परमवीर चक्र' से सम्मानित किया है । देख ये फोटो अख़बार में छपा है । यह अपना यादराम ही है, देख आशाराम देख''–

''अमर सिंह भाई, तुम ठीक कह रहे हो, यह अपना यादराम ही है । जिसे मैं पराया समझ बैठा था । मैंने अपना हरा-भरा घर तबाह कर लिया । मत रो बेटी, हम सब एक हैं । देख समूचा गांव हमारे घर आया है । आज हमारे लाडले यादराम की बहादुरी पर पूरे गांव वाले गर्व कर रहे हैं क्योंकि वह इनका अपना था''–

''बेटी, यह भेदभाव की दीवार हम अब अपने गांव में नहीं खड़ी होने देंगे । जब एक गांव इसका अनुसरण करेगा तो दूसरा, तीसरा गांव हम सबका अनुसरण करता चला जाएगा । चारों तरफ़ भाईचारे की लय गूंजने लगेगी । हम एक दीप से दूसरा दीप जलाएंगे, फिर एक नया उजाला हमारे सामने होगा ।''

M/s. ABBAS SOAP FACTORY

77/2, Topsia Road (South)
KOLKATA - 700 046

अगर कोई अपने ब्रांड के नाम से माल बनवाना चाहते हैं तो भी राबिता क़ायम करें।

PRODUCTS

- ✓ WASHING POWDER
- ✓ TOILET SOAP
- ✓ WASHING SOAP
- ✓ DETERGENT POWDER
- ✓ BATH SOAP

Contact For Business
For
Agency & Distributor Ship

M : 08100226137 (Mohd. Abbas)
M : 09831496237 (Mohd. Khalid)
M : 08981605834 (Mohd. Khalid)

अनाथ लड़कियों की पुकार

VOICE OF ORPHAN GIRLS

मुस्लिम लड़कियों का यतीमख़ाना (गया)

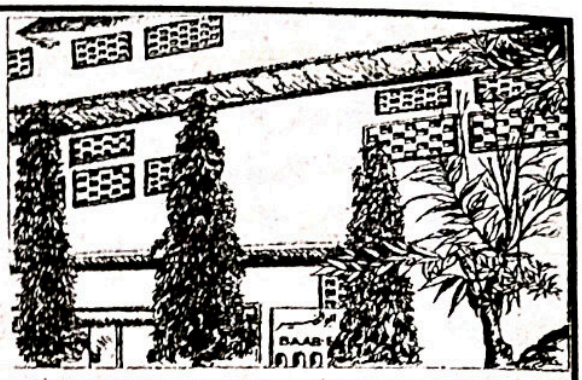

संक्षिप्त परिचय

लड़कियों के लिए आधुनिक और इस्लामी तालीम से लैस राष्ट्रीय स्तर का एक आदर्श रिहाइशी इदारा

● 30 वर्षीय सेवाएं ● 19 विभाग ● शिक्षा : प्राथमिक से मैट्रिक तक ● पत्राचार शिक्षा I.A., B.A. एवं Library Science ● 9 छात्राओं ने हिफ़्ज़ के साथ मैट्रिक पास किया ● प्रौढ़ शिक्षा ● वोकेशनल सेन्टर ● कटिंग और सिलाई: 8 बैच 88 छात्राएं ● ज़री वर्क्स : 5 बैच 53 छात्राएं ● 1993 ई० से 2016 ई० तक 82 अनाथ बच्चियों और 59 मां-बाप वाली बच्चियों ने मैट्रिक पास किया ● वार्षिक ख़र्च : 35 लाख रुपये से अधिक ● आमदनी का स्रोत : मुस्लिम अवाम के चन्दे ● इदारा 110 अनाथ बच्चियों का सारा ख़र्च पूरा करता है ● किफ़ाला स्कीम के तहत एक यतीम बच्ची का वार्षिक ख़र्च 18,000/- रुपये है–आप भी एक अनाथ बच्ची का ख़र्च उठा कर सवाब में शरीक हों ।

सहायता के विभिन्न रूप : ● ज़कात ● सदक़े ● अतिया ● पैदावार की ज़कात ● दीनी किताबें ● ज़मीन की ख़रीदारी और क़र्ज़ की अदायगी ● स्टाफ़ की मासिक आय के लिए 1,35,000/- रुपये से अधिक ● मां-बाप या रिश्तेदारों के नाम कमरा या हॉल बनवाना और निर्माण कार्यों के लिए ईंटें, सीमेंट, सरिया और अन्य सामग्री या उसका मूल्य देना ● यहां प्रतिवर्ष हिसाब चेक किये जाते हैं और ऑडिट होता है । ● इदारा में खुद आकर बराबरी का नमूना देखें कि अनाथ बच्चियां और वे बच्चियां जिनके मां-बाप हैं किस तरह मिलकर रहा करती हैं ।

नोट : इस्लामी माहौल, इस्लामी लिबास और इस्लामी यूनिफार्म के साथ-साथ कम ख़र्च में मेयारी तालीम।

यह इदारा आप से उदार सहायता की अपील करता है ।

विदेशी चन्दा देने वाले : भारत सरकार से "मुस्लिम लड़कियों का यतीमख़ाना (गया) को विदेशों से चन्दा लेने का इजाज़तनामा प्राप्त हो गया है ।

Foreign Donors विदेशी चन्दा देने वाले

विदेशों में रहने वाले अब BANK A/c No. 300402010009042

BANK CODE NO. UBININBBJAM or IFS Code No. UBIN 0530042

Union Bank of India (Main Branch, GAYA में अपनी रक़म भेज सकते हैं ।

चेक या ड्राफ्ट पर केवल यह लिखें–"THE GAYA MUSLIM GIRLS ORPHANAGE"

Address for correspondence : रक़म भेजने और संपर्क करने का पता

GENERAL SECRETARY, THE GAYA MUSLIM GIRLS ORPHANAGE

At : KOLOWNA, P.O.: CHERKI-824237, Distt.: GAYA (BIHAR) INDIA, Mobile : 9934480190

E-mail : thegayamuslimgirlsorphanage@gmail.com, Website : www.gmgo.org

LOCAL DONORS मक़ामी चन्दा देने वाले

CORE BANKING A/c No.: 300402010007752

BANK IFS CODE-UBI No. 530042 UNION BANK OF INDIA (MAIN BRANCH, GAYA)

Note : Documentary Film–NAZR-E-ENAYAT जिसमें इदारे का इतिहास है। इंटरनेट यू ट्यूब पर देखें।

नोट : कोर बैंकिंग वाले हज़रात E-mail या डाक से अपना मुकम्मल पता भेज दिया करें ताकि उसी पते पर रक़म की रसीद रवाना की जा सके ।

संस्थापक महासचिव : इक़बाल अहमद ख़ां

कैसे रुकेगी भोजन की बर्बादी ?

■ रमेश सर्राफ धमोरा

प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों 'मन की बात' शृंखला की ताज़ा कड़ी में देशवासियों को भोजन की बर्बादी के प्रति आगाह किया । भारत जैसे विशाल आबादी वाले देश के लिए यह पाठ पढ़ना ज़रूरी है । यों भारतीय संस्कृति में अन्न को देवता का दर्जा प्राप्त है और यही कारण है कि भोजन जूठा छोड़ना या उसका अनादर करना पाप माना जाता है । मगर आधुनिकता की अंधी दौड़ में हम अपना यह संस्कार भूल गये हैं । होटल-रेस्तरां के साथ ही शादी-ब्याह जैसे आयोजनों में सैकड़ों टन खाना रोज़ बर्बाद हो रहा है । भारत ही नहीं, समूची दुनिया का यही हाल है । एक तरफ़ करोड़ों लोग दाने-दाने को मोहताज हैं, कुपोषण के शिकार हैं, वहीं रोज़ लाखों टन खाना बर्बाद किया जा रहा है ।

यह तथ्य भी विचारणीय हैं कि हमारे देश में हर साल उतना गेहूं बर्बाद होता है जितना आस्ट्रेलिया की कुल पैदावार है । नष्ट हुए गेहूं की क़ीमत लगभग पचास हज़ार करोड़ रुपये होती है और इससे तीस करोड़ लोगों को साल भर भरपेट खाना दिया ज़ा सकता है । हमारा 2.1 करोड़ टन अनाज केवल इसलिए बर्बाद हो जाता है, क्योंकि उसे रखने के लिए हमारे पास माक़ूल भंडारण की सुविधा नहीं है । देश के कुल उत्पादित फल-सब्ज़ी का चालीस फ़ीसद समय पर मंडी तक नहीं पहुंच पाने के कारण सड़-गल जाता है ।

दुनिया भर में हर वर्ष जितना भोजन तैयार होता है उसका एक तिहाई यानी लगभग 1 अरब 30 करोड़ टन बर्बाद चला जाता है । बर्बाद जाने वाला भोजन इतना होता है कि उससे दो अरब लोगों की खाने की ज़रूरत पूरी हो सकती है । विश्व भर में होने वाली भोजन की बर्बादी को रोकने के लिए विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष और विश्व खाद्य कार्यक्रम ने एकजुट होकर एक परियोजना शुरू की है ।

एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि भारत में बढ़ती संपन्नता के साथ ही लोग खाने के प्रति असंवेदनशील हो रहे हैं । ख़र्च करने की क्षमता के साथ ही खाना फेंकने की प्रवृत्ति बढ़ रही है । आज भी देश में विवाह-स्थलों के पास रखे कूड़ा घरों में चालीस प्रतिशत से अधिक खाना फेंका हुआ मिलता है ।

विश्व खाद्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया का हर सातवां व्यक्ति भूखा सोता है । अगर इस बर्बादी को रोका जा सके तो कई लोगों का पेट भरा जा सकता है । विश्व भूख सूचकांक में भारत का 67वां स्थान है । देश में हर साल 25.1 करोड़ टन खाद्यान्न का उत्पादन होता है लेकिन हर चौथा भारतीय भूखा सोता है । इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक़ भारत में हर साल 23 करोड़ टन दाल, 12 करोड़ टन फल और 21 करोड़ टन सब्ज़ियां वितरण प्रणाली में ख़ामियों के कारण ख़राब हो जाती हैं ।

विश्व खाद्य संगठन के मुताबिक़ भारत में हर साल पचास हज़ार करोड़ रुपये का भोजन बर्बाद चला जाता है, जो कि देश के खाद्य उत्पादन क़ा चालीस फ़ीसद है । इस अपव्यय का दुष्प्रभाव हमारे देश के प्राकृतिक संसाधनों पर पड़ रहा है । हमारा देश पानी की कमी से जूझ रहा है लेकिन अपव्यय किये जाने वाले इस भोजन को पैदा करने में इतना पानी व्यर्थ चला जाता है जिससे दस करोड़ लोगों की प्यास बुझाई जा सकती है । एक आकलन के मुताबिक़

अपव्यय के बराबर की धनराशि से पांच करोड़ बच्चों की ज़िंदगी संवारी जा सकती है । चालीस लाख लोगों को ग़रीबी के चंगुल से मुक्त किया जा सकता है और पांच करोड़ लोगों को आहार सुरक्षा की गारंटी दी जा सकती है ।

भारत में हर साल पांच साल से कम उम्र के दस लाख बच्चों के भूख या कुपोषण से मरने के आंकड़े संयुक्त राष्ट्र ने जारी किये हैं । देश के 51.14 प्रतिशत परिवारों की आय का ज़रिया महज़ अस्थायी मज़दूरी है । 4.08 लाख परिवार कूड़ा बीन कर, तो 6.68 लाख परिवार भीख मांग कर अपना गुज़ारा करते हैं । गांव में रहने वाले 39.39 प्रतिशत परिवारों की औसत मासिक आय दस हज़ार रुपये से भी कम है ।

यह तथ्य भी विचारणीय हैं कि हमारे देश में हर साल उतना गेहूं बर्बाद होता है जितना आस्ट्रेलिया की कुल पैदावार है । नष्ट हुए गेहूं की क़ीमत लगभग पचास हज़ार करोड़ रुपये होती है और इससे तीस करोड़ लोगों को साल भर भरपेट खाना दिया जा सकता है । हमारा 2.1 करोड़ टन अनाज केवल इसलिए बर्बाद हो जाता है, क्योंकि उसे रखने के लिए हमारे पास माक़ूल भंडारण की सुविधा नहीं है । देश के कुल उत्पादित फल-सब्ज़ी का चालीस फ़ीसद समय पर मंडी तक नहीं पहुंच पाने के कारण सड़-गल जाता है ।

औसतन हर भारतीय एक साल में छह से ग्यारह किलो अन्न बर्बाद करता है । जितना अन्न हम एक साल में बर्बाद करते हैं, उसकी क़ीमत से ही कई सौ कोल्ड स्टोरेज बनाए जा सकते हैं जो फल-सब्ज़ी को सड़ने से बचा सकें । एक साल में जितना सरकारी ख़रीदी का धान व गेहूं खुले में पड़े होने के कारण नष्ट हो जाता है, उससे ग्रामीण अंचलों में पांच हज़ार गोदाम बनाए जा सकते हैं । यदि पंचायत स्तर पर ही एक क्विंटल अनाज के आकस्मिक भंडारण व उसे ज़रूरतमंद को देने की नीति का पालन हो तो कोई भूखा नहीं मरेगा ।

भोजन का फेंका जाना पहली निगाह में भले ही मामूली-सी बात प्रतीत हो या फिर एक बड़े कार्यक्रम की अपरिहार्यता बता कर इससे पल्ला झाड़ लिया जाए, लेकिन यह एक गंभीर मसला है । इस संदर्भ में विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि खाद्य अपव्यय को रोके बिना खाद्य सुरक्षा संभव नहीं है । भोजन के अपव्यय से जल, ज़मीन और जलवायु के साथ-साथ जैव-विविधता पर भी बेहद नकारात्मक असर पड़ता है ।

रिपोर्ट के मुताबिक़ उत्पादित भोजन, जिसे खाया नहीं जाता, उससे प्रत्येक वर्ष रूस की वोल्गा नदी के जल के बराबर जल की बर्बादी होती है । अपव्यय किये जाने वाले इस भोजन की वजह से तीन अरब टन से भी ज़्यादा मात्रा में ख़तरनाक ग्रीनहाउस गैसें उत्सर्जित होती हैं । दुनिया की लगभग 28 फ़ीसद भूमि, जिसका क्षेत्रफल 1.4 अरब हेक्टेयर है, ऐसे खाद्यान्न को उत्पन्न करने में व्यर्थ होती है ।

यह रिपोर्ट ख़तरे की घंटी है, जो बताती है कि हमारी लापरवाही और अनुचित गतिविधियों के कारण, पैदा किये जाने वाले अनाज का एक तिहाई हिस्सा यानी क़रीब 1.3 अरब टन अनाज बर्बाद चला जाता है, वहीं 87 करोड़ लोग भूखे सोने के लिए विवश हैं ।

हमारे यहां शादियों, उत्सवों या त्योहारों में होने वाली भोजन की बर्बादी से हम सब वाक़िफ़ हैं । इन अवसरों पर ढेर सारा खाना कचरे में चला जाता है । कई बार तो घरों के आसपास फेंके गये भोजन से उठने वाली दुर्गंध व सड़ांध वहां रहने वालों के लिए परेशानी ख़ड़ी कर देती है, सड़ते भोजन से जानवरों की मौतों की ख़बर भी हम पढ़ते रहते हैं । शादियों में खाने की बर्बादी को लेकर भारत सरकार भी चिंतित है ।

2011 में खाद्य मंत्रालय ने कहा था कि वह शादियों में मेहमानों की संख्या के साथ ही परोसे जाने वाले व्यंजनों की संख्या सीमित करने पर विचार कर रहा है । इस बारे में विवाह समारोह (दिखावटी प्रदर्शन और फ़िज़ूलख़र्च पर प्रतिबंध) अधिनियम, 2006 भी बनाया गया है । अलबत्ता यह सख़्ती से लागू नहीं होता ।

खाने की बर्बादी रोकने की दिशा में महिलाएं बहुत कुछ कर सकती हैं । ख़ासकर बच्चों में शुरू से यह आदत डालनी होगी कि उतना ही थाली में परोसें, जितनी भूख हो । एक-दूसरे से बांट कर खाना भी भोजन की बर्बादी को बड़ी हद तक रोक सकता है । भोजन और खाद्यान्न की बर्बादी रोकने के लिए हमें अपने दर्शन और परंपराओं का स्मरण करने तथा अपनी आदतों को सुधारने की ज़रूरत है । धर्मगुरुओं व स्वयंसेवी संगठनों को भी इस दिशा में पहल करनी चाहिए ।

(सा॰ : 'जनसत्ता')

स्वास्थ्य नीति की कठिन राह

■ रोहित कौशिक

हाल में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को मंजूरी दे दी । इसमें सबको स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने को सरकार की ज़िम्मेदारी बताया गया है । स्वास्थ्य पर सरकारी ख़र्च को बढ़ाकर जी॰डी॰पी॰ के 2.5 फ़ीसद पर पहुंचाया जाएगा । इस समय यह क़रीब 1.04 फ़ीसद है । इस नीति के तहत 2025 तक औसत जीवन आयु सत्तर वर्ष करने और शिशु मृत्यु दर घटाने का संकल्प लिया गया है । इस नीति के माध्यम से सभी नागरिकों को निश्चित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने का प्रावधान है । विडंबना है कि हमारे देश में नीतियां तो बहुत बनती हैं, लेकिन उनका ठीक से क्रियान्वयन नहीं हो पाता । इसलिए सरकार के सामने बड़ी चुनौती होगी कि नयी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का ठीक से क्रियान्वयन हो, ताकि गांव के आख़िरी आदमी तक इसका लाभ पहुंच सके ।

पिछले दिनों विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी एक रिपोर्ट में बताया गया कि आने वाले समय में हृदय रोग, मधुमेह और कैंसर जैसी बीमारियां भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेंगी । इस रिपोर्ट के अनुसार 2012 से 2030 के बीच इन बीमारियों के इलाज पर क़रीब 6.2 खरब डॉलर (41 लाख करोड़ रुपये से अधिक) ख़र्च होने का अनुमान है । रिपोर्ट में इन बीमारियों के भारत के शहरी इलाक़ों में तेज़ी से फैलने का ख़तरा बताया गया है । असंक्रामक रोग शहरों में रहने वाली मानव आबादी के स्वास्थ्य के लिए ही ख़तरा नहीं हैं, बल्कि इसके चलते अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होने का अनुमान है । बढ़ता शहरीकरण और वहां काम और जीवनशैली की स्थितियां असंक्रामक रोगों के बढ़ने का मुख्य कारण हैं । 2014 से 2050 के बीच भारत में चार करोड़ चालीस लाख आबादी शहरों का हिस्सा बनेगी । इसके चलते शहरों में अनियोजित विकास होने से स्थिति बदतर होगी ।

ग़ौरतलब है कि इस समय देश में पांच लाख डॉक्टरों की कमी है । विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के अनुसार प्रति एक हज़ार आबादी पर एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन भारत में 1,674 लोगों पर एक डॉक्टर उपलब्ध है । जबकि हमारे देश में व्यवस्था की नाकामी और विभिन्न वातावरणीय कारणों से बीमारियों का प्रकोप ज़्यादा होता है । डॉक्टरों की कमी के कारण ग़रीबों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने में देरी होती है । यह स्थिति अंततः पूरे देश के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है ।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर गठित संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में माना है कि हमारे देश में आम लोगों को समय पर स्वास्थ्य सुविधाएं न मिलने के अनेक कारण हैं । इसलिए स्वास्थ्य सुविधाओं को और तीव्र बनाने की ज़रूरत है । चिकित्सा व्यवस्था में व्याप्त ख़ामी के लिए संसदीय समिति ने निजी मेडिकल कॉलेजों द्वारा ली जाने वाली अवैध कैपिटेशन फ़ीस, शहरी और ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओं में अंतर और चिकित्सा शिक्षा तथा जनस्वास्थ्य में साम्य न होने को ज़िम्मेदार माना है ।

स्वास्थ्य सेवाओं के मुद्दे पर भारत अनेक चुनौतियों से जूझ रहा है । ग़रीबी और गंदगी के कारण विभिन्न संक्रामक रोगों से पीड़ित लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा । पिछले दो दशक में भारत की आर्थिक वृद्धि दर चीन के बाद शायद सबसे अधिक रही है । इसलिए पिछले दिनों योजना आयोग की एक विशेषज्ञ समिति ने भी यह सिफ़ारिश की थी कि सार्वजनिक चिकित्सा सेवाओं के लिए आवंटन बढ़ाया जाए । यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में स्वास्थ्य पर होने वाला ख़र्च अन्य देशों की तुलना में काफ़ी कम है । इस माहौल में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति दयनीय है ।

विडंबना यह है कि भारत में दूसरी सरकारी योजनाओं की तरह स्वास्थ्य योजनाएं भी लूट-खसोट की शिकार हैं । पिछले दिनों भारतीय चिकित्सा परिषद ने डॉक्टरों द्वारा दवा कंपनियों से लेने वाली विभिन्न सुविधाओं को देखते हुए एक आचार संहिता के तहत डॉक्टरों को दिये जाने वाली सज़ा की रूपरेखा तय की थी । मगर अब भी डॉक्टर दवा कंपनियों से विभिन्न सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं और इसका

बोझ रोगियों पर पड़ रहा है । इस दौर में डॉक्टरों द्वारा अधिक दवाइयां लिखना एक परिपाटी बन गयी है । दवाइयों की विभिन्न कंपनियां डॉक्टरों को क़ीमती से क़ीमती उपहार देने की होड़ में रहती हैं । डॉक्टर उपहार के बदले हर कंपनी को खुश करना चाहता है । इसलिए उसका हर पर्चा अक्सर कई अनावश्यक दवाइयों से भरा रहता है । इस व्यवस्था में डॉक्टर और दवा कंपनियां तो तृप्त रहती हैं, पर आम जनता को शोषण का शिकार होना पड़ता है ।

स्पष्ट है कि बाज़ार की शक्तियां अपने हित के लिए मानवीय हितों की आड़ में मानवीय मूल्यों को तरजीह नहीं देती हैं । हद तो तब हो जाती है जब कुछ डॉक्टर अनावश्यक दवाइयां लिखकर दवा कंपनियों को दिया वचन निभाते हैं । इस व्यवस्था में डॉक्टर के लिए दवा कंपनियों का हित रोगी के हित से ऊपर हो जाता है ।

पुराने समय में डॉक्टर या वैद्य का रोगी से कोई लालच नहीं होता था । उनका मुख्य उद्देश्य रोगी को ठीक करना होता था और उसी से उन्हें संतोष भी मिलता था । इसीलिए कुल मिलाकर एक ऐसा वातावरण बनता था जिसमें डर नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी । आज डॉक्टर का नाम लेते ही डर लगने लगता है । इस दौर में स्वयं डॉक्टर भी ऐसा वातावरण बनाते हैं, जिससे रोगी के मन में अपनी बीमारी को लेकर डर बैठ जाए और वह डॉक्टर पर सब कुछ लुटाने को तैयार हो जाए । जो डॉक्टर सेवाभाव से मरीज़ों के हितों के लिए रात-दिन एक कर रहे हैं उन पर भला कौन अंगुली उठाएगा ?

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस दौर में हमारी पीढ़ी बाज़ार के हाथों इस क़दर बिक गयी है कि न्यूनतम मानवीय मूल्य भी ज़िंदा नहीं रह पाए हैं । इस बाज़ार आधारित व्यवस्था में हमारी संवेदना भी बाज़ारू हो गयी है । यह कटु सत्य है कि बाज़ार के प्रभाव ने हर क्षेत्र में दलाल नामक जीव पैदा किये हैं । ऐसे में डॉक्टरी का पेशा भी दलाली से मुक्त कैसे रह सकता था ! डॉक्टरों को मरीज़ों के परीक्षण कराने के लिए भी परीक्षण केंद्रों द्वारा कमीशन दिया जाने लगा । इसी व्यवस्था के अनुरूप मरीज़ों के अनावश्यक परीक्षण कराए जाने लगे । अगर आपने डॉक्टर की इच्छा के विरुद्ध किसी अन्य जगह परीक्षण करा लिया तो वह सब ग़लत है । हालांकि यह सुखद है कि इस माहौल में भी कुछ डॉक्टर अपने पेशे की गरिमा को बचाए हुए हैं ।

दलाली के युग में संवेदना के लिए कोई जगह नहीं है । यही कारण है कि आज डॉक्टर गांवों की तरफ़ रुख़ नहीं करते हैं । दरअस्ल, इस दौर में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली का ख़मियाजा ज़्यादातर बच्चों, महिलाओं और बूढ़े लोगों को उठाना पड़ रहा है । यही कारण है कि देश के अनेक राज्यों में जहां एक ओर बच्चे विभिन्न गंभीर बीमारियों के कारण काल के गाल में समा रहे हैं, तो दूसरी ओर महिलाओं को भी बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं ।

इस मामले में वृद्धों का हाल और दयनीय है । अनेक परिवारों में वृद्धों को मानसिक संबल नहीं मिल पाता है । साथ ही उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है । ऐसी स्थिति में उन्हें ज़रूरी स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया न हों तो उनका जीवन नरक बन जाता है । इसलिए स्वास्थ्य सेवाओं का चुस्त-दुरुस्त और ईमानदार होना न केवल स्वास्थ्य की दृष्टि से, बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी ज़रूरी है । दुर्भाग्यपूर्ण से ऐसा नहीं हो पाया है । देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को पटरी पर लाने के लिए एक गंभीर पहल की ज़रूरत है । नयी स्वास्थ्य नीति इस दिशा में एक सार्थक क़दम है, बशर्ते इसका ठीक ढंग से क्रियान्वयन हो। (सा० : 'जनसत्ता')



इस्लामी सभ्यता

■ मुंशी प्रेमचंद

हिन्दू और मुसलमान दोनों 1,000 वर्षों से हिन्दुस्तान में रहते चले आते हैं, लेकिन अभी तक एक-दूसरे को समझ नहीं सके । हिन्दू के लिए मुसलमान एक रहस्य है, मुसलमान के लिए हिन्दू एक मुअम्मा । न हिन्दू को इतनी फ़ुरसत है कि इस्लाम के तत्वों की छानबीन करे, न मुसलमान को इतना अवकाश कि हिन्दू-धर्म-तत्वों के सागर में ग़ोते लगाए, दोनों एक-दूसरे में बेसिर-पैर की बातों की कल्पना करके माथा फुटव्वल करने पर आमादा रहते हैं । हिन्दू समझता है दुनिया भर की बुराइयां मुसलमानों में भरी हुई हैं, इनमें न दया है, न धर्म, न सदाचार, न संयम । मुसलमान समझता है हिन्दू पत्थरों को पूजने वाला, गरदन में धागे डालने वाला, माथा रंगने वाला और दाल-भात खाने वाला पशु है । दोनों एक-दूसरे के साये से बचते हैं । और दोनों दलों में जो बड़े से बड़े धर्माचार्य हैं वह इस भेदभाव में सबसे आगे हैं, मानो द्वेष और विरोध ही धर्म का प्रधान लक्षण है । हम इस समय हिन्दू-मुस्लिम वैमनस्य पर कुछ नहीं कहना चाहते । मौलाना शौकत अली के साथ हमारा भी यह विश्वास है कि यह दशा अस्थायी है और वह समय दूर नहीं है जब हिन्दू और मुसलमान दोनों अपनी ग़लती पर पछताएंगे और अगर मनुष्यता और सज्जनता से प्रेरित होकर नहीं तो आत्म रक्षा के लिए संयुक्त होना आवश्यक समझेंगे । हम इस समय केवल यह देखना चाहते हैं कि हिन्दुओं की मुसलमानों की सभ्यता के विषय में जो धारणा है वह कहां तक न्याय है ।

सभ्यता के तीन आदर्श

पुराने ज़माने में किसी जाति की धर्म-परायणता और उपकार-वृत्ति ही उसकी सभ्यता की द्योतक थी । सेवा और त्याग ही सभ्यता का मुख्य अंग था । चीन, जापान, भारत, मिस्र किसी देश की प्राचीन सभ्यता को लीजिए आप उसे धर्म प्रधान पाएंगे । यद्यपि अब भी वही आदर्श सर्वोपरि है पर उसमें परिस्थितियों ने थोड़ा-सा परिवर्तन कर दिया है या यूं कहिए कि उनका रूपांतर कर दिया है । फ्रांस की राज्य क्रांति ने सभ्यता का जो आदर्श स्थापित किया वह न्याय, भ्रातृभाव और समता, इन तीन स्तंभों पर आधारित है । ज़रा ग़ौर से देखिए तो नवीन और प्राचीन आदर्शों में कोई विशेष अंतर नहीं रह जाता । लेकिन हम नयी सभ्यता की जांच कर रहे हैं, इसलिए नये माप यंत्रों का व्यवहार करना ही उपयुक्त होगा ।

न्याय

सबसे पहले न्याय को लीजिए । जहां तक हम जानते हैं कि किसी धर्म ने न्याय को इतनी महानता नहीं दी जितनी इस्लाम ने । ईसाई धर्म में दया प्रधान है । दया में छोटे-बड़े, ऊंच-नीच, सबल-निबल का भाव छिपा रहता है । जहां न्याय होगा वहां ये भेद हो ही नहीं सकते और वहां दया का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता । कम से कम मनुष्यों के लिए नहीं । अन्य जीवधारियों ही पर उसका व्यवहार हो सकता है । हिन्दू धर्म अहिंसा प्रधान है और तह तक जाइए तो न्याय और अहिंसा दोनों एक ही वस्तु हैं । अहिंसा के बग़ैर न्याय की, और न्याय के बग़ैर अहिंसा की कल्पना नहीं की जा सकती । हम यह मानते हैं कि मुसलमानों ने ब़ड़े-बड़े अन्याय किये हैं । धर्म के नाम पर न्याय को ख़ूब पैरों से कुचला है, पर क्या हिन्दुओं ने अहिंसावादी होते हुए हिंसा के झंडे नहीं गाड़ दिये, यहां तक कि बौद्ध और जैन राजाओं ने अहिंसा को धर्म का मुख्य लक्षण मानते हुए धर्म के नाम पर ख़ून की नदियां नहीं बहाईं । किसी धर्म की श्रेष्ठता व्यक्तियों के कृत्यों से न जांचनी चाहिए, यह देखना चाहिए कि धर्म के आचार्य और स्थापक ने क्या उपदेश किया है । हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने धर्मोपदेशकों को इस्लाम का प्रचार करने के लिए देश-देशांतरों में भेजते हुए यह उपदेश दिया था—जब तुमसे लोग पूछें कि स्वर्ग की कुंजी क्या है तो कहना कि वह ईश्वर की भक्ति और सत्कार्य में है । अराफ़ात के पहाड़ पर हज़रत (मुहम्मद) के मुख से जिस वचनामृत की वर्षा हुई थी वह अनंतकाल तक इस्लामी जीवन के लिए संजीवनी का काम करती रहेगी और उस उपदेश का सार क्या था ? न्याय, उसके एक-एक शब्द से

न्याय की ध्वनि निकल रही है । आपने फ़रमाया–

"ऐ मोमिनो, मेरी बातें सुनो और उन्हें समझो । तुम्हें मालूम हो कि सब मुसलमान आपस में भाई-भाई हैं । तुम्हारा एक ही भ्रातृ-मंडल है । एक भाई की चीज़ दूसरे भाई पर कभी हलाल (वैध) नहीं हो सकती, जब तक वह ख़ुशी से न दे दी जाए, बेइन्साफ़ी कभी मत करो इससे हमेशा बचते रहो ।"

इस अमर वाणी में इस्लाम की आत्मा छिपी हुई है । इस्लाम की बुनियाद न्याय पर रखी गयी है । वहां राजा और रंक, अमीर और ग़रीब, बादशाह और फ़क़ीर के लिए केवल एक न्याय है । किसी के साथ रियायत नहीं, किसी का पक्षपात नहीं । ऐसी सैकड़ों रिवायतें पेश की जा सकती हैं जहां बेकसों ने बड़े-बड़े बलशाली अधिकारियों के मुक़ाबले में न्याय के बल से विजय पायी है । ऐसी मिसालों की भी कमी नहीं है जहां बादशाहों ने अपने राजकुमार, अपनी बेगम, यहां तक कि स्वयं अपने को, न्याय की वेदी पर होम कर दिया है । संसार की किसी सभ्य से सभ्य जाति की न्याय-नीति की इस्लामी न्याय-नीति से तुलना कीजिए, आप इस्लाम का पल्ला झुकता हुआ पाएंगे । अध:पतन होने पर सभी जातियों के आदर्श भ्रष्ट हो जाते हैं । इसमें हिन्दू, मुसलमान, ईसाई किसी की क़ैद नहीं । आज हम मुसलमानों को तअस्सुब से भरा हुआ पाते हैं । लेकिन जिन दिनों इस्लाम का झंडा कटक से लकर डैन्युष तक और तुर्किस्तान से लेकर स्पेन तक फ़हराता था, मुसलमान बादशाहों की धार्मिक उदारता इतिहास में अपना सानी नहीं रखती थी । बड़े-से-बड़े राज्यपदों पर ग़ैर-मुस्लिमों को नियुक्त करना तो साधारण बात थी, महाविद्यालयों के कुलपति तक ईसाई और यहूदी होते थे । इस पद के लिए केवल योग्यता और विद्वत्ता की शर्त थी, धर्म से कोई संबंध न था । प्रत्येक विद्यालय के द्वार पर ये शब्द खुदे होते थे–पृथ्वी का आधार केवल चार वस्तुएं हैं : बुद्धिमानों की विद्वत्ता, सज्जनों की ईश-प्रार्थना, वीरों का पराक्रम और शक्तिशालियों की न्यायशीलता ।

समता

अब सभ्यता के दूसरे अंग को लीजिए । यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि इस विषय में इस्लाम ने सभी अन्य सभ्यताओं को बहुत पीछे छोड़ दिया है । वे सिद्धांत जिनका श्रेय अब कार्ल मार्क्स और रूसो को दिया जा रहा है, वास्तव में अरब के मरुस्थल में प्रसूत हुए थे और उनका जन्मदाता अरब का वह उम्मी था जिसका नाम मुहम्मद (सल्ल०) है । मुहम्मद (सल्ल०) के सिवा संसार में और कौन धर्म-प्रणेता हुआ है जिसने ख़ुदा के सिवा किसी मनुष्य के सामने सिर झुकाना गुनाह ठहराया हो ? मुहम्मद (सल्ल०) के बनाए हुए समाज में बादशाह का स्थान ही नहीं था । शासन का काम करने के लिए केवल एक ख़लीफ़ा की व्यवस्था कर दी गयी थी जिसे जाति के कुछ प्रतिष्ठित लोग चुन लें । इस नियम से उन्होंने अपने आपको भी मुस्तसना नहीं किया, और हार्दिक इच्छा रहते हुए भी अपने चचेरे भाई और दामाद हज़रत अली को ख़लीफ़ा नहीं बनाया, हालांकि उनका दबाव इतना था कि केवल एक संकेत से (हज़रत) अली का निर्वाचन हो सकता था । और इस चुने हुए ख़लीफ़ा के लिए कोई वज़ीफ़ा, कोई वेतन, कोई जागीर, कोई रियायत न थी । यह पद केवल सम्मान का था । अपनी जीविका के लिए ख़लीफ़ा को भी दूसरों की भांति मेहनत-मज़दूरी करनी पड़ती थी । ऐसे-ऐसे महान पुरुष जो एक बड़े साम्राज्य का संचालन करते थे, जिनके सामने बड़े-बड़े बादशाह अदब से सिर झुकाते थे, जिनके एक इशारे पर बादशाहतें बनती बिगड़ती थीं, जूते सी कर या क़लमी किताबें नक़ल करके या लड़कों को पढ़ाकर अपनी जीविका अर्जन करते थे ।

हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने ख़ुद कभी पेशवाई का दावा नहीं किया । ख़ज़ाने में उनका हिस्सा भी वही था जो एक मामूली सिपाही का । उन्हें कभी-कभी मेहमानों के आ जाने के कारण बड़ा कष्ट उठाना पड़ता था, फ़ाके करने पड़ जाते थे, घर की चीज़ें बेच डालनी पड़ती थीं, पर क्या मजाल कि अपना हिस्सा बढ़ाने का ख़याल भी दिल में आये । और संप्रदायों में गुरु-प्रथा ने जितने अनर्थ किये हैं उनसे इतिहास काला हो गया है । ईसाई धर्म में पादरियों के सिवा और किसी को इंजील पढ़ने की आज़ादी न थी । हिन्दू-समाज ने भी शूद्रों की रचना करके अपने सिर कलंक का टीका लगा लिया । पर इस्लाम पर इसका धब्बा तक नहीं । गुलामी की प्रथा तो उस वक़्त समस्त संसार में थी, लेकिन इस्लाम ने गुलामों के साथ जितना अच्छा सलूक किया उस पर उसे गर्व हो सकता है । इस्लाम क़बूल करते ही गुलाम आज़ाद हो जाता था । यहां तक कि ऐसे गुलामों की कमी नहीं है जो अपने मालिक के बाद उसकी गद्दी पर बैठे और उसकी लड़की से विवाह किया । और किस समाज ने नीचों के साथ यह उदारता दिखायी है । कोमल वर्ग के साथ तो इस्लाम ने जो सलूक किये हैं उनके देखते

अन्य समाजों का व्यवहार पाशविक जान पड़ता है । किस समाज में स्त्रियों का जायदाद पर इतना हक़ माना गया है जितना इस्लाम में ? यूं बुद्धि और धन की असमता हमेशा रही है और हमेशा रहेगी, लेकिन इस्लाम ने समाज के किसी अंग के पैरों में बेड़ी नहीं डाली । वहां प्रत्येक व्यक्ति उतनी मानसिक और सामाजिक उन्नति कर सकता है जितनी उसमें सामर्थ्य हो । उसके मार्ग में कोई कंटक, कोई बाधा नहीं । हमारे विचार में वही सभ्यता श्रेष्ठ होने का दावा कर सकती है जो व्यक्ति को अधिक से अधिक उठने का अवसर दे । इस लिहाज़ से भी इस्लामी सभ्यता को कोई दूषित नहीं ठहरा सकता ।

भ्रातृभाव

अब सभ्यता का तीसरा अंग लीजिए । इस विषय में भी इस्लाम किसी अन्य जाति से पीछे नहीं है । हज़रत ने फ़रमाया–कोई मनुष्य उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक वह अपने भाई-बंदों के लिए भी वही न चाहे जो वह अपने लिए चाहता है । एक-दूसरी जगह आपने फ़रमाया है–जो प्राणी दूसरों का उपकार नहीं करता, ख़ुदा उससे ख़ुश नहीं होता । उनका यह क़ौल सोने के अक्षरों में लिखे जाने योग्य है–"ईश्वर की समस्त सृष्टि उसका परिवार है और वही प्राणी ईश्वर का भक्त है जो ख़ुदा के बंदों के साथ नेकी करता है ।" किसी मोमिन ने एक बार आपसे पूछा था–ख़ुदा की बंदगी कैसे की जाए ? आपने ज़वाब दिया–अगर तुम्हें ख़ुदा की बंदगी करनी है तो पहले उसके बंदों से मुहब्बत करो । इन शिक्षाओं से यह बात भली-भांति विदित हो जाती है कि इस्लाम के नियामक ने भ्रातृ-भाव का महत्व अन्य जातियों से कम नहीं समझा ।

इस्लाम की अन्य ख़ूबियां

यह तो सभ्यता के मूल तत्व हुए । उसके गौण अंगों में, राजनैतिक विधान, विद्याव्यसन, स्वाधीनता का प्रेम, कलाकौशल, भवन-निर्माण, वेष-भूषा सभी समाविष्ट हैं । सूद (ब्याज) की पद्धति ने संसार में जितने अनर्थ किये हैं और कर रही है वह किसी से छिपे नहीं हैं । इस्लाम वह अकेला धर्म है जिसने सूद को हराम ठहराया है । यह दूसरी बात है कि व्यवसाय की दृष्टि से इस निषेध का खंडन किया जाए, पर सामाजिक दृष्टि कोई इसका समर्थन किये बग़ैर नहीं रह सकता । विद्यानुराग में तो शायद बहुत कम जातियां मुसलमानों की बराबरी का दावा कर सकती हैं । हिन्दुस्तान से आयुर्वेद, गणित और ज्योतिष, अध्यात्म, यूनान से दर्शन और प्रजा-वाद, ग़रज़ जहां जो रत्न मिला, इस्लाम ने दोनों हाथ फैलाकर अपनाया और उसे अपनी सभ्यता का अंग बना लिया । भवन-निर्माण करने में तो शायद संसार की कोई जाति मुसलमानों से टक्कर नहीं ले सकती । जहां-जहां इस्लामी तहज़ीब का झंडा लहराया, उनकी बनवाई हुई इमारतें अब तक अपने निर्माताओं का य़शोगान कर रही हैं । स्वाधीनता का ऐसा सच्चा अनुराग कदाचित और कहीं देखने में न आएगा ।

आज कौन ऐसा सहृदय प्राणी है जो मुट्ठी भर रिफ़ों को यूरोप की दो महान शक्तियों से युद्ध करते देखकर गर्व से फूल न उठे ? दमिश्क़ में, शाम में, तुर्की में, मिस्र में, जहां देखिये मुसलमान अपने को स्वाधीनता की वेदी पर बलिदान कर रहे हैं । अफ़ग़ानिस्तान केवल स्वाधीनता पर मर मिटने के लिए तैयार होने के कारण आज स्वाधीन बना हुआ है । हम तो यहां तक कहने को तैयार हैं कि इस्लाम में जनता को आकर्षित करने की जितनी शक्ति है उतनी और किसी संस्था में नहीं है ।

जब नमाज़ पढ़ते समय एक मेहतर अपने को शहर के बड़े से बड़े रईस के साथ एक ही क़तार में खड़ा पाता है तो क्या उसके हृदय में गर्व की तरंगें न उठने लगती होंगी । उसके विरुद्ध हिन्दू समाज ने जिन लोगों को नीच बना दिया है उनको कुएं की जगत पर भी नहीं चढ़ने देता, उन्हें मंदिरों में घुसने नहीं देता ! ये अपने में मिलाने के नहीं अपने से अलग करने के लक्षण हैं । इस्लामी धर्म और सभ्यता को संसार में जो सफलता मिली है वह तलवार के ज़ोर से नहीं, इसी भ्रातृभाव के कारण मिली है । आज भी अफ़्रीक़ा में ईसाइयों के मुक़ाबले में इस्लाम का प्रचार अधिक हो रहा है, हालांकि ईसाइयों के पास सभी प्रकार के प्रलोभन हैं और यहां केवल अल्लाह का नाम है ।

अंत में हम संगठन और तंज़ीम के प्रेमियों से यह निवेदन करना चाहते हैं कि इन आयोजनाओं से आप हम दोनों जातियों के बीच में एक लोहे की दीवार खड़ी कर रहे हैं । अगर आप बिना मुसलमानों से बिगाड़ किये हुए अपने जाति में संगठन कर सकते हैं, विधवाओं का, अनाथों का, अछूतों का उद्धार कर सकते हैं तो शौक़ से कीजिए । तंज़ीम में भी कोई बुराई नहीं है अगर वह बिना हिन्दुओं से बिगाड़ किये हुए की जा सके । लेकिन अब तक हमें जो अनुभव हुआ है वह साफ़ बता रहा है कि आंतरिक संगठन और अंदरूनी तंज़ीम केवल कल्पना का स्वर्ग है ।

قال اللہ تعالیٰ

احل اللہ البیع وحرم الربوا (القرآن)

اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام فرمایا۔

HALAL
INVESTMENT & FINANCE

Eat Halal Earn Halal

HALAL
INVESTMENT & FINANCE

Best Concept For Bright Future & Best Economic Conditions

Nihal Co-Operative Credit Society Ltd.

Eat Halal Earn Halal
INTEREST FREE INVESTMENT & FINANCE

Regd No. TNA/(TNA)/RSR/1029 Year : 1998/99
Regd. Office : 3rd Floor, Nihal House,
N. H. School Road, Opp. Ideal Tower, Mira Road (E)
Mumbai (Maharashtra)

Chairman : Janab Imammuddin Nihaluddin Shaikh

Contact Us : 9022665544, 9869641648

समाज-सेवा का महत्व

■ डॉ॰ ज़फ़र दारिक क़ासिमी

इस्लाम केवल एक नैतिक सिद्धांतों और कुछ नियमों का नाम नहीं है, बल्कि यह एक पूर्ण जीवन-व्यवस्था है । इसका सामाजिक दृष्टिकोण इस तरह व्यापक, इसके नियम-सिद्धांत इस तरह विस्तृत, विवेकपूर्ण और सार्वभौमिक हैं कि इनको हर अवसर पर लागू किया जा सकता है । स्वस्थ इस्लामी समाज की स्थापना के लिए इस्लाम ने स्वतंत्रता, समानता, लाभकारिता और सहिष्णुता के सिद्धांतों को सामने रखा है । चूंकि लोगों के बीच सहयोग, हमदर्दी और आपसी मुहब्बत व शुभेच्छा की भावना समाज में राजनीतिक सुदृढ़ता, सामाजिक शांति व सलामती और आर्थिक विकास के लिए अत्यधिक ज़रूरी होती है, अत: इस्लाम ने पारस्परिक हमदर्दी व सहयोग को श्रेष्ठ इन्सानी गुणों का हिस्सा बना दिया है । कुरआन में अल्लाह तआला फ़रमाता है–

"जो काम नेकी और ईशभय के हैं उनमें सबसे सहयोग करो और जो गुनाह और ज़्यादती के काम हैं उनमें किसी से सहयोग न करो ।" (कुरआन, 5:2)

इस्लाम अल्लाह के अधिकारों और मानव-अधिकारों का उत्तम मिश्रण है । वह अपने मानने वालों से इस काम की अपेक्षा करता है कि अल्लाह के अधिकारों के साथ-साथ मानव-अधिकारों की अदायगी भी बहुत ज़रूरी है । कुरआन मजीद ने ऐसे नमाज़ियों के लिए हलाकत की सज़ा सुनायी है, जो नमाज़ को रुकूअ व सजदा तक सीमित रखते हैं और इन्सानियत को दुखों से मुक्ति नहीं दिलाते । अल्लाह तआला फ़रमाता है–

"फिर तबाही है उन नमाज़ पढ़ने वालों के लिए जो अपनी नमाज़ से ग़फ़लत बरतते हैं, जो दिखावे का काम करते हैं और साधारण ज़रूरत की चीज़ें (लोगों को) देने से कतराते हैं ।" (कुरआन, 107:4-7)

इसी तरह कुरआन की सूरह बक़रा में इस्लामी अक़ीदे, इबादत, सामाजिक कल्याण व भलाई और जनहित के विश्वव्यापी चार्टर हैं–

"नेकी यह नहीं है कि तुमने अपने चेहरे पूरब की ओर कर लिए या पश्चिम की ओर, बल्कि नेकी यह है कि आदमी अल्लाह को और आख़िरत के दिन को और फ़रिश्तों को और अल्लाह की उतारी हुई किताब और उसके पैग़म्बरों को दिल से माने और अल्लाह की मुहब्बत में अपना मनभाता माल रिश्तेदारों और यतीमों पर, मिस्कीनों और मुसाफ़िरों पर, मदद के लिए हाथ फैलाने वालों पर और दासों की रिहाई पर ख़र्च करे, नमाज़ क़ायम करे और ज़कात दे ।" (कुरआन, 2:177)

मानव-कल्याण व भलाई के लिए इस चार्टर के अनुसार अस्ल नेकी व भलाई यह है कि इन्सान इन्सानियत के नतीजे में अपने धन-दौलत के साथ मुहब्बत और चाहत के बावजूद इसे सामाजिक कल्याणकारी कामों पर ख़र्च करे । इस्लाम की कल्याणकारी सामाजिक व्यवस्था और इस्लाम के आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों में घनिष्ठ संबंध है । इस्लाम के ये मूल्य इन्सान को त्याग, क़ुरबानी और निश्छल मानव-सेवाभाव पर उभारते हैं । परिणामस्वरूप वे अपने ज़रूरतमंद भाइयों के लिए हर तरह की क़ुरबानी देने पर आत्मिक खुशी महसूस करते हैं ।

इस्लाम अंतिम और परिपूर्ण धर्म है, इसलिए इसने हर तरह के इन्सानों के स्वभाव के अनुसार मार्गदर्शन दिये हैं । कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनके लिए आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों के साथ-साथ क़ानूनी और प्रशासनिक नियम-सिद्धांतों की भी ज़रूरत होती है । इस ज़रूरत के पेशेनज़र इस्लाम में नैतिक और क़ानूनी नियमों के मध्य हसीन मिश्रण किया गया है । सामाजिक कल्याण व जनहित के बुनियादी नियम व सिद्धांत सूरह बक़रा की आयत नम्बर 177 में बयान हुए हैं । इन्हीं नियम व सिद्धांतों को अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) के पवित्र जीवनकाल में, ख़िलाफ़ते

राशिदा, उमवी और अब्बासी दौर में क़ानूनी हैसियत देकर इस्लामी शासन की विभिवत रूप से हिकमते अमली (कूटनीति) ठहराया गया । अल्लाह तआला का इरशाद है–

"ये सदक़े तो वास्तव में फ़क़ीरों और मिस्कीनों के लिए हैं और उन लोगों के लिए जो सदक़ों के काम पर नियुक्त हों और उनके लिए जिनका मन मोहना हो, साथ ही यह गर्दनों के छुड़ाने और क़र्ज़दारों की मदद करने में और अल्लाह के रास्ते में और मुसाफ़िर की सहायता में इस्तेमाल करने के लिए हैं ।" (कुरआन, 9:60)

कुरआन की इस आयत में हर तरह के बेबस, मजबूर, मुहताज, ग़रीब और बेसहारा लोगों का ज़िक्र किया गया है । ऐसे लोगों के लिए जो पारिभाषिक शब्दावली इस्तेमाल की गयी हैं वे अपनी व्यापकता में ऐतिहासिक कार्य-कारिणी के तहत हर ज़माने में दिखायी देने वाली दरिद्रता व कंगाली और बेबसी व बेचारगी पर हावी हैं । इनमें वे लोग शामिल हैं, जो ज़रूरतमंद हों, जो आर्थिक रूप से बिल्कुल बर्बाद हों, जो दासता का जीवन व्यतीत कर रहे हों और जो शिक्षा और चिकित्सा से वंचित हों । वे लोग जो अपने ज़रूरी सफ़र पर समर्थ न हों या सफ़र के दौरान इस क़ाबिल न रहे हों, इन सबके लिए जनहित के दृष्टिकोण से इस्लाम ने स्थायी व्यवस्था को स्थापित कर दिया है ।

कहने का तात्पर्य यह है कि निर्धनता व दरिद्रता, दुख व पीड़ा और ग़रीबी व कंगाली जैसी मजबूरियों व विवशताओं के उन्मूलन के लिए हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) का पवित्र जीवनकाल, ख़िलाफ़ते राशिदा, उमवी और अब्बासी काल की सामाजिक सेवाएं भी इतिहास में प्रकाश-स्तंभ की हैसियत रखती हैं ।

आप (सल्ल०) की इससे सहाबा किराम (रज़ि०) ने मानव-सेवा और जनहित को प्राणों का रक्षा-कवच बनाया । ख़ुल्फ़ा-ए-राशिदीन का जनहित और सामाजिक भलाई व कल्याण का दौर एक बेमिसाली दौर है, यह सब कुछ नबी करीम हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) की तर्बियत का उपकार था । मौजूदा समय में जनहित या सामाजिक कल्याण व भलाई एक आम परिभाषा है । वर्तमान लोकतांत्रिक रियासतें अपने लिए जनहित और कल्याणकारी रियासत की जो धारणा पेश करती हैं, उनमें मानव-सेवा और लोकहित की सरगर्मियों को बुनियादी अहमियत प्राप्त है । जनहित या सामाजिक भलाई व कल्याण, जिसे अंग्रेज़ी में Social Welfare कहते हैं । "इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका" के अनुसार इसके कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित विभाग सम्मिलित हैं, जैसे–

1. अल्पसंख्यकों का मान-सम्मान । 2. लाचार-अपाहिज और मंदबुद्धि लोगों की सुरक्षा । 3. वृद्धों की देख-रेख व निगरानी । 4. ऐसे रोगी जो मानसिक या लैंगिक रोग का शिकार हों, उनका उपचार । 5. ग़रीबों और मिस्कीनों की मदद । 6. महिलाओं के अधिकार । 7. वे लोग जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, उनकी सहायता करना । 8. परिवार के लोगों की मदद करना । 9. प्रसूता और उसके नवजात बच्चे का भरण-पोषण और मदद । 10. नवजवानों के लिए कल्याणकारी योजना । 11. गांवों से शहरों में आने वालों की समस्याएं । 12. आकस्मिक दुर्घटनाओं से बचाव और उनकी सहायता । 13. सामूहिक रूप से समाज का विकास । 14. मनोरोग की रोकथाम । 15. शैक्षिक क्षेत्रों में भलाई व कल्याण । 16. प्रवासियों की आबादकारी व सहायता । 17. भिक्षुकों की समस्याओं का निवारण ।

उपर्युक्त कार्यों, जिन पर आधुनिक काल में जनहित की बुनियाद स्थापित है, उनको जब हम अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के पवित्र जीवनकाल और इस्लामी रियासतों की रोशनी में देखते हैं, तो मालूम होता है कि जनहित और सामाजिक भलाई व कल्याण की शुरुआत आज से चौदह सौ पूर्व हो गयी थी, जब रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने भाईचारा व समानता, सहयोग व सहानुभूति और जनहित के क़दमों के साथ-साथ व्यावहारिक क़दम उठाकर, एक जनहित व कल्याणकारी राज्य प्रबंध की बुनियाद डाली । फिर उसी कल्याणकारी मार्ग पर चलकर ख़ुल्फ़ा-ए-राशिदीन और उमवी व अब्बासी ख़लीफ़ाओं ने एक व्यापक जन-कल्याणकारी राज्य की स्थापना की, जिनमें उपर्युक्त 17 विषयों से बढ़कर विषय और कार्य शमिल थे । जिनमें केवल इन्सानों की भलाई व कल्याण ही नहीं, बल्कि जानवरों के लिए भी ऐसे क़दम उठाये गये कि जिनसे वास्तविक जन-कल्याणकारी प्रबंध-व्यवस्था का पता चलता है ।

जनहित और सामाजिक भलाई व कल्याण का मतलब, सामूहिक मामलों और कोशिशों को इस तरह अमल में लाना

है कि सबकी ज़िन्दगी की बुनियादी ज़रूरतें पूरी हुए बिना न रहें । कोई बेघर न रहे, कोई रोगी मूलभूत चिकित्सा से वंचित न रह जाए । अज्ञानता, दिलो-दिमाग़ का अंधेरा है, उसे कोशिशों से दूर किया जाए और कोई अकारण ज्ञान की रोशनी से वंचित न रह जाए । मानव-सेवा और लोकहित की प्रचलित धारणा 20वीं सदी ईसवी के बदलते हुए हालात की पैदावार है । यही धारणा आज के अधिकतर विकासशील देशों में विभिन्न सूरतों में और विभिन्न नियम व सिद्धांतों की सूरत में नज़र आती है । आज की दुनिया इन्सान से गहरी हमदर्दी प्रकट करती है । इन्सान की भलाई व कल्याण के लिए असंख्य कार्यक्रम बनाए गये हैं । अंतर्राष्ट्रीय संस्था संयुक्त राष्ट्र का नारा है कि दुनिया से भूख, अज्ञानता और बीमारी को ख़त्म कर दिया जाएगा । इस संस्था की अनगिनत शाखाएं इन्सानियत की भलाई के लिए काम कर रही हैं । वर्तमान लोकतांत्रिक रियासतें अपने लिए जन-कल्याणकारी रियासत के नाम से नामांकित होना पसंद करती हैं । फिर मानव अधिकारों की सुरक्षा और उनकी अदायगी को फ़र्ज़ ठहराती हैं ।

पूंजीवादी व्यवस्था और साम्यवादी व्यवस्था ने भी जन-कल्याणकारी व्यवस्था को अपनाने की कोशिश की, मगर उनकी यह कल्याणकारी व्यवस्था सीमित वर्ग तक ही सीमित रही । पूंजीवादी व्यवस्था के यहां जन-कल्याणकारी धारणा धनिक वर्गों तक सीमित रही, जबकि समाजवादी व्यवस्था ने किसी हद तक कल्याणकारी व्यवस्था को सफल बनाने की कोशिश की, मगर उनके यहां यह व्यवस्था इन्सानियत के लिए इस तरह महंगी साबित हुई कि इन्सानियत से उसका स्वाभाविक अधिकार "हक़े मिल्कियत" छीन लिया गया । बहरहाल दोनों व्यवस्थाएं अपने यहां जनहित व कल्याणकारी धारणा की दावेदार हैं ।

जनहित व मानव-सेवा की धारणा, शैक्षिक स्तर पर विधिवत रूप से एक साइंस का दर्जा अपना चुकी है । मौजूदा दौर में जबकि एक तरफ़ ज्ञान-विज्ञान और टेक्लोलॉजी में आश्चर्यजनक प्रगति के कारण कृषि व उद्योगधंधों को बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा मिला है, जो दूसरी तरफ़ बेकारी और बेरोज़गारी, भुखमरी, बेचैनी, अशांति और व्याकुलता में भी उसी तुलना से वृद्धि हुई है । इस सूरतेहाल ने अनगिनत सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक समस्याओं को जन्म दिया है । इस सूरत से नित्य नयी समस्याओं का अंतहीन सिलसिला जारी हो गया है । यूरोप के औद्योगिक क्रांति के बाद शहर बड़े-बड़े उद्योगों के केन्द्र बनते गये और ग्रामीण आबादी आजीविका की तलाश में गांवों से शहरों में आकर आबाद होती चली गयी ।

शहरों में ग्रामीण क्षेत्र से आने वालों की आबादी में वृद्धि इस बड़े पैमाने पर हुई कि शहर हर तरह की समस्याओं का केन्द्र बन गये । आवास, भोजन, वस्त्र, यातायात के साधन, शिक्षा और चिकित्सा की असीमित समस्याएं उठ खड़ी हुईं । इसी तरह पश्चिम के बाद पूरब ने भी औद्योगिक क्षेत्र में क़दम रखा, तो यहां भी यही परिस्थितियां पैदा हो गयीं । इन परिस्थितियों में जनता की भलाई के लिए ऐसी संस्थाओं की ज़रूरत पेश आयी जो इन समस्याओं को हल कर सकें । लोगों की भलाई के लिए जनहितकारी संस्थाएं स्थापित की गईं जो कि इन्सानियत के निर्माण में सहायक सिद्ध हों ।

आज जब कि पूरी दुनिया, निर्धन व निर्धनता, अज्ञान व अज्ञानता और अशांति व असंतोष का शिकार है । भौतिकता का ग़लबा है, जबकि अध्यात्म विलुप्त है । ऐसी परिस्थितियों में सामाजिक सेवा और जनहित के द्वारा इन्सानियत की भलाई के लिए कोशिश करना बहुत बड़ी नेकी है । अत: सदाचार की रोशनी में ऐसी प्रबंध-व्यवस्था की स्थापना की जाए, जिसकी मिसालें ख़िलाफ़ते राशिदा, उमवी और अब्बासी दौर में मिलती हैं ।

यही वजह है कि अंबिया-इस्लाम (अलैहि॰) के उन कालों में इन्सानियत की निश्छल सेवाएं अंजाम दी गयीं, यहां तक कि समाज के निर्माण और विकास के लिए कल्याणकारी योजनाओं और संस्थाओं की स्थापना का काम अमल में लाया गया ।

मौजूदा ज़माने में तथाकथित जन-कल्याणकारी संस्थाओं को चाहिए कि वे ऐसी हितकारी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करें कि इसका लाभ प्रत्यक्ष रूप से इन्सानियत को पहुंचे और समाज से अशांति, रिश्वत, निर्धनता जैसी प्राणघातक बीमारियों का ख़ात्मा किया जा सके । अत: इसलिए इस वक़्त ज़रूरत है कि हम इस्लाम की सामाजिक व्यवस्था का ढांचा इन्सानियत के सामने पेश करें, ताकि इन सिद्धांतों से लाभ उठाकर क़ौम के विकास के लिए काम करें ।

भारत-तुर्की संबंधों में नया आयाम

● संपादन प्रभाग

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयिब अर्दगान के बीच नयी दिल्ली में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद भारत व तुर्की ने तीन समझौतों पर हस्ताक्षर किये । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुर्की से भारतीय अर्थव्यवस्था में भागीदारी का आह्वान करते हुए दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को मज़बूत बनाने पर ज़ोर दिया ।

साल 2017-2020 के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान को लेकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया । भारत के फारेन सर्विस इंस्टीट्यूट (एफ॰एस॰आई॰) तथा तुर्की के डिप्लोमेसी अकादमी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया । आई॰सी॰टी॰ के क्षेत्र में सहयोग को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया ।

मोदी ने भारत दौरे पर आए तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयिब अर्दगान से प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद कहा, दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं में विस्तार की अपार संभावनाएं हैं । दोनों देशों की सरकार को सामरिक तथा दीर्घकालिक साझेदारी के संदर्भ में इन अवसरों का लाभ उठाना चाहिए । दोनों ओर से व्यवसाय व उद्योग जगत बहुत कुछ कर सकते हैं । प्रधानमंत्री ने तुर्की के उद्योग जगत को भारत में बुनियादी ढांचा तथा सरकार की विभिन्न योजनाओं में भागीदारी के लिए भी आमंत्रित किया ।

मोदी तथा अर्दगान ने वैश्विक आतंकवाद सहित विभिन्न साझा सुरक्षा चुनौतियों पर भी चर्चा की और आतंकवाद का पोषण करने वाले, उन्हें समर्थन देने वाले और उनका प्रसार करने वाले के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई की मांग की । प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार, भारत तथा तुर्की के बीच संयुक्त राष्ट्र में व्यापक सुधार की आवश्यकताओं पर भी चर्चा हुई, जिसमें सुरक्षा परिषद को अधिक प्रतिनिधियात्मक, जवाबदेह तथा प्रभावी बनाने के लिए इसका विस्तार भी शामिल है । बाद में मोदी तथा अर्दगान ने सी॰आई॰आई॰, फिक्की तथा एसोचैम द्वारा आयोजित एक व्यापार सम्मेलन को संबोधित किया, जहां दोनों नेताओं ने भारत-तुर्की के व्यापार तथा आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने का आह्वान किया ।

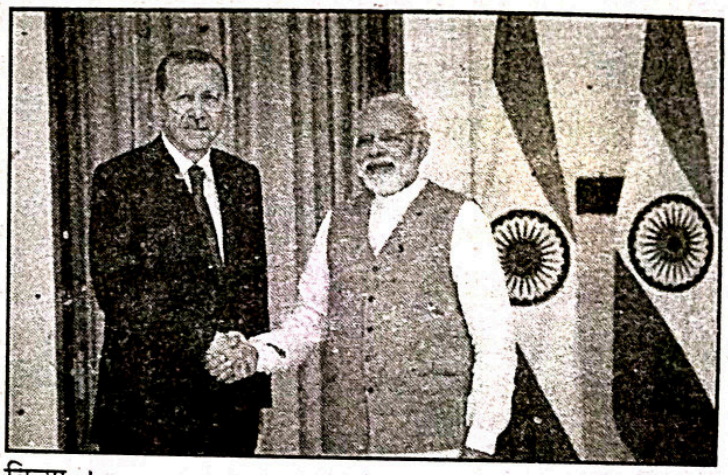

रजब तैयिब अर्दगान ने पहली बार 2008 में भारत का दौरा किया था, तब वे तुर्की के प्रधानमंत्री थे और अब 2017 में जब वे दूसरी बार यहां आए हैं तो वे तुर्की के राष्ट्रपति हैं । एक ऐसे समय में, जबकि उन्हें पिछले महीने वहां होने वाले जनमत संग्रह में सफलता मिलने के बाद तुर्की के इतिहास के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति के रूप में देखा जा रहा है । इसके साथ पश्चिमी ब्लाक के कुछ देश उनके बारे में यह दुष्प्रचार भी करते नज़र आ रहे हैं कि वे भविष्य के तानाशाह होंगे । भारतीय पृष्ठभूमि में उनके इस दौरे को विशेष रूप से दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों को लेकर महत्वपूर्ण माना जा रहा है ।

ख़ुद अर्दगान ने भी बुनियादी तौर इसी उद्देश्य से यात्रा की है, इसलिए उनके साथ आर्थिक विशेषज्ञों का 150 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी है ।

शिक्षा और अनुसंधान पर भी तुर्की का विशेष फोकस है, इसलिए वे अपनी यात्रा के दौरान देश की अग्रणी और प्रतिष्ठित शिक्षा संस्था जामिया मिल्लिया इस्लामिया गये । जामिया देश का एकमात्र विश्वविद्यालय है, जहां तुर्की भाषा में आनर्स के अलावा एडवांस डिप्लोमा तक शिक्षा की व्यवस्था है । उनके आगमन और विचारों के आदान-प्रदान के बाद अधिक सकारात्मक शिक्षा विस्तार की उम्मीद की जा सकती है । जामिया मिल्लिया इस्लामिया से उन्हें डी लिट की मानद उपाधि दिए जाने की ख़बरें भी हैं, इस क़दम की आम तौर पर सराहना की जा रही है ।

स्टॉर्क परिवार के पक्षी

आज हम बात करेंगें पानी तथा पानी के आसपास पाये जाने वाले पक्षियों में स्टॉर्क परिवार के पक्षियों की ।

सॅर्क पक्षी (परिवार सिकोनाइडी) ऊपरी तौर पर बड़े अंजन से मिलते-जुलते होते हैं । इनकी टांगे लंबी और टांगों का निचला भाग कुछ बालरहित खुला होता है । गर्दन लंबी और भारी और आगे को पतली पड़ती नुकीली चोंच होती हैं । उड़ते हुए ये अंजनों से बिल्कुल अलग पहचाने जा सकते हैं । इनकी गर्दन आगे को खिची रहती है और इसके ख़िलाफ़ बगुलों की गर्दन अंग्रेज़ी अक्षर एस के आकार में चपटी और मुड़ी होती है । सारसो के स्वर पेशियां नहीं होती इसलिए ये आमतौर पर चुप ही रहते हैं । ये सिर्फ़ कभी किसी मौक़े पर गले से हल्की घुरघुराहट की-सी आवाज़ या प्रजनन काल में नर-मादा दोनों ही खूब खुलकर अपने जबड़ों से फटफटाहट की-सी आवाज़ें करते हैं ।

भारत में इस स्टॉर्क परिवार की जो सबसे अधिक आम और आकर्षक प्रजाति पायी जाती है वह है जंगहिल दांख कंकारी-ये लगभग गिद्ध के आकार का और सिर तक लगभग साढ़े तीन फुट ऊंचा होता है । इसके पर सफ़ेद होते है जिन पर ऊपर की तरफ़ चमकदार हरापन लिए काले रंग के पास-पास निशान और पट्टियां पड़ी होती है और छाती पर काली पेटी-सी बनी होती है । अंग्रेज़ी में इसे पेंटेड स्टार्क कहते हैं । इसका कारण ये है कि इसकी पूंछ के पास मुलायम हल्के गुलाबी रंग के पर (अस्ली नहीं ऊपरी) होते हैं । मुंह कुछ चिकना पीला होता है और उस पर बाल नहीं होते तथा चोंच पीली तथा भारी नोंक पर कुछ मुड़ी होती है । यह चिड़िया झीलों और दलदलों के पास छोटे-मोटे दलों या बड़े झुंडों में पाई जाती है । ये और स्टॉर्क के साथ सारा दिन या तो कूबड़ निकाले चुपचाप खड़े रहते हैं या दलदली भूमि या उथले पानी में मछलियां और मेंढक ढूंढ़ते बड़े धैर्य के साथ घूमते रहते हैं ।

मछलियां और मेंढक उसका ख़ास भोजन है । खाने को ये पानी के कीड़े केंकड़े और घोंघे भी खाते हैं । जंगहिल खाना ढूंढ़ने के लिए उथले पानी में घुस जाता है फिर गर्दन झुकाए चोंच खोले और कुछ भाग पानी में डुबाए धीरे-धीरे चलता रहता है । चोंच को या तो कुछ पाने की आशा में बिल्कुल निश्चिल रखता है या एक टांग उठाए हुए इधर-उधर बाजुओं की ओट घुमाता रहता है । टांग को इस तरह घुमाकर वह पानी को चलाता है और शिकार को हांक कर खुले जबड़ों की ओर ले आता है ।

जंगहिल पानी में या उसके पास स्थित पेड़ों पर निस्संकोच होकर बैठते और बसेरा करते हैं । घोंसला पानी में या उसके निकट स्थित पेड़ों पर होता है । एक-एक पेड़ पर 10 से 20 तक घोंसले पनकौओं बगुलों इत्यादि के घोंसलों के साथ होते हैं । इसके अंडे 3 से 5 तक मटमैले सफ़ेद रंग के होते हैं और कभी-कभी उन पर दूर-दूर चित्तियां या लकीरें पड़ी होती हैं ।

स्टार्क्स में गुंगला या घूंगिल यानी ओपन बिल स्टार्क काफ़ी छोटा लेकिन आम और व्यापक रूप में पाया जाता है । यह सिर तक लगभग ढाई फुट ऊंचा होता है । यह सफ़ेद या भूरापन लिए सफ़ेद रंग का होता है और परों में काला रंग होता है । कभी-कभी दूर से देखने पर प्रवासी सफ़ेद सारस का धोखा होता है । इसकी चोंच अजीब ललछर काली होती है, जबड़े थोड़े गोलाई लिए हुए जिसमें थोड़ी जगह छूट जाती है और इसको पहचानने की यही सबसे बढ़िया निशानी है । ये दो-दो तीन-तीन के गिरोहों में या झुंड के झुंड झीलों या दलदलों में पाए जाते हैं । इसकी आदतें और स्वभाव सब स्टार्क परिवार जैसे ही होते हैं लेकिन इसकी इस अजीब बनी चोंच का क्या महत्व अथवा काम है पूरी तरह समझ में नहीं आता है । यह मेंढक-मछलियां केकड़े बड़े कीड़े और दूसरे जीव भी खाता है ।

घूंगिल पनकौओं बगुओं सारसों और दलदली ज़मीन में रहने वाली दूसरी चिड़ियों की बड़ी-बड़ी बस्तियों के बीच ही अंडे बच्चे पालता है । घोंसला टहनियों का बना गोल चबूतरा-सा बीच में थोड़ा-सा खमदार होता है । उस पर पानी में पाई जाने वाली खरपतवार की पत्तियां वग़ैरह बिछी होती है ।

स्टार्क्स में सबसे बड़ा हरगिल गरूर या ढेंक यानी एडजूटेंट स्टॉर्क होता है । यह लगभग 4 फुट ऊंचा होता है । हरगिल विशालकाय कुछ उदास काले रंग का भूरा और गंदला सफ़ेद पक्षी होता है । उसकी चोंच पीली लगभग चार कोने की पच्चड़नुमा होती है । इसके भूरे लाल रंग की लगभग 12 इंच लंबी एक अलग थैली होती है, यही इसकी पक्की पहचान है । ये कुछ इलाक़ों में ज़्यादातर कीचड़दार पानी में या म्यूनिस्पलिटी के कूड़ा डालने की जगहों में अकेले य दो तीन साथ रहते हैं । अंग्रेज़ी में इसे एडजुटैंट इसलिए कहा गया है कि यह खाने की तलाश में इधर-उधर जैसे बहुत सोच-विचार कर बड़े फ़ौजी डग भरता हुआ घूमता रहता है । इसकी लटकी हुई थैली का वास्तविक महत्व क्या है यह तो समझ में नहीं आता पर ऊपरी तौर पर लगता है कि यह एक हवा की थैली है जो उसकी नाक की गुहा से जुड़ी होती है न कि पेट की थैली से । इसलिए आमतौर पर जो कहा जाता है कि यह अपना खाना इसमें पहुंचाता है और जमा किए रखता है सही नहीं मालूम होता। जूठन और सड़ी-गली चीज़े खाने के अलावा अक्सर यह गिद्धों के साथ पड़ी हुई लाशें भी खाता है । यह मरी हुई या कोने कोतरे में फंसी मछलियां, मेंढक व सांप छोटे-मोटे जीव और टिड्ढे या दूसरे कीड़े भी खाता है ।

इसकी उड़ान भारी होती है और उड़ते समय शोर होता है । उड़ने के लिए पहले इसे थोड़ा दौड़ना फिर तेज़ी से फड़फड़ाना पड़ता है । अपने जैसी अन्य चिड़ियों की भांति ही इसे भी खुले दिन में आसमान की तरंगों में पहुंच ऊंचे पर मंडराना अच्छा लगता है । इसकी शांत बैठने की मुद्रा ऐसी लगती है कि हंसी ही आ जाए । यह घोंसला चट्टानों की चोटियों या जंगल के ऊंचे पेड़ों पर या कभी-कभी छुटपुट बस्तियों में बनाता है । टहनियों-तिनकों इत्यादि से बना यह घोंसला काफ़ी बड़ा होता है । एक बार में 3 या 4 अंडे देता है जो प्राय: काफ़ी मटमैले होते हैं ।

● **मनोज कुमार**

मुद्रक एवं प्रकाशक मुहम्मद अहमद द्वारा दावत ट्रस्ट (रजि०), D-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नयी दिल्ली-110025 से प्रकाशित एवं भारत ऑफ़सेट प्रेस, 2035, क़ासिम जान स्ट्रीट, बल्लीमारान, दिल्ली-110006 से मुद्रित। फ़ोन : 011-26949430, 09818799223

संपादक : डॉ० मुहम्मद अहमद

संस्था की लिखित अनुमति के बिना सम्पूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णत: प्रतिबंधित है ।



अक़ायद व इबादात पर हमारी अहम पुस्तकें

आवागमनीय पुर्नजन्म	डॉ० मुहम्मद अहमद	50.00
अनेकेश्वरवाद की वास्तविकता	मौलाना अमीन अहसन इस्लाही	70.00
एकेश्वरवाद की वास्तविकता	मौलाना अमीन अहसन इस्लाही	35.00
एक ईश्वर की धारणा	मुहम्मद फारूक़ खाँ	40.00
परलोक की छाया में	मुहम्मद फारूक़ खाँ	90.00
पहेली जीवन की	मुहम्मद फारूक़ खाँ	12.00
रिसालत	मुहम्मद फारूक़ खाँ	45.00
लोगोः हिसाब का समय निकट आ चुका है	मौलाना सैय्यद जलालुद्दीन उमरी	14.00
खुदा की गुलामी इंसान की बुलन्दी	मौलाना सैय्यद जलालुद्दीन उमरी	18.00
जीवन मृत्यु के पश्चात्	मौलाना सैय्यद अबुल आला मौदूदी	12.00
बनाव और बिगाड़	मौलाना सैय्यद अबुल आला मौदूदी	12.00
शान्ति-मार्ग	मौलाना सैय्यद अबुल आला मौदूदी	15.00
सोचने की बातें	मौलाना सैय्यद अबुल आला मौदूदी	10.00
प्यारी माँ के नाम इस्लामी संदेश	मौलाना नसीम ग़ाज़ी फ़लाही	07.00
मानव जीवन और परलोक	शोबा-ए-दावत	22.00
मुक्ति-मार्ग	इनामुर्रहमान ख़ाँ	10.00
मौत के बाद क्या?	डॉ० शाहिद अली	10.00
मरने के बाद क्या होगा?	बिन्तुल इस्लाम	60.00
सत्य की खोज	मौलाना वहीदुद्दीन खाँ	16.00
नबी करीम (सल्ल०) की दुआएँ (पाकेट साइज़)	मौलाना सैय्यद अबुल आला मौदूदी	64.00
रमज़ान कैसे गुज़ारें?	खुर्रम मुराद	22.00
रोज़ा और उसका असली मक़्सद	मौलाना सैय्यद अबुल आला मौदूदी	10.00
इबादत	मौलाना सैय्यद अबुल आला मौदूदी	16.00
इस्लाम में पाकी और सफाई	मौलाना नसीम ग़ाज़ी फलाही	20.00
नमाज़ में आप क्या पढ़ते हैं?	मौलाना सैय्यद अबुल आला मौदूदी	18.00
इमान की कसौटी	मौलाना सैय्यद अबुल आला मौदूदी	08.00
खुतबाते हरम	मौलाना सैय्यद अबुल आला मौदूदी	18.00
नमाज़	मौलाना नसीम ग़ाज़ी फलाही	12.00

MMI PUBLISHERS
D-307,Dawat Nagar,Abul Fazal Enclave,Jamia Nagar,New Delhi-110025
Phone: 26981652,26984347 Fax: 26987858
E-mail:mmipublishers@gmail.com Website: www.mmipublishers.net

Posted on 20-21 May 2017
June 2017
E-mail: kantihindimonthly@yahoo.com
Publishing Date: 18.05.2017
Total Pages-52 (With Covers)

हिन्दी मासिकों की मासिक पत्रिका
कान्ति

RNI 53372/91
DL(S)-01/3147/2015-2017
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. U (SE)-73/2015-2017
Posted at DELHI R.M.S. Delhi-6

स्वस्थ चेतना का वाहक हिन्दी साप्ताहिक अख़बार

कान्ति

स्वस्थ चेतना का वाहक हिन्दी साप्ताहिक अख़बार

पढ़िए और पढ़ाइए

जो केवल समाचार ही न दे

- बल्कि बताए समाचारों का मर्म और आगे-पीछे का हाल
- देश व समाज की उन्नति के लिए प्रस्तुत करे ठोस उपाय
- प्रस्तुत करे इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ होने वाले दुष्प्रचार का तोड़
- सामने लाए सही स्थिति और अवगत कराये वास्तविकताओं से
- रखे ध्यान नैतिक मूल्यों का और मार्गदर्शन करे भलाई व कल्याण की ओर

सहयोग राशि :-

✧ प्रति कॉपी 5/= ✧ छहमाही 125/= ✧ वार्षिक 250/=

एजेंसी और ग्राहक बनने के लिए सम्पर्क करें।

KANTI WEEKLY

D-314, Dawat Nagar, Abul Fazl Enclave, Jamia Nagar, New Delhi-25
Phone : 09818799223, 011-26949430
E-mail : kantiweekly@hotmail.com